भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

राजस्थान सरकार

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
अनुमानों और वास्तविक आंकडों में अन्तर	1.2	5
संग्रहण की लागत	1.3	6
बिक्री कर का प्रति करदाता संग्रहण	1.4	6
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	1.5	7
कर निर्धारणों में बकाया	1.6	9
कर का अपवंचन	1.7	9
राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग	1.8	10
प्रतिदाय	1.9	10
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	11
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ-उत्तरदायित्व की कमी एवं जवाबदेही का अभाव	1.11	11
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.12	13
ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.13	13
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	1.14	14
स्वीकार किये गये प्रकरणों में राजस्व की वसूली	1.15	14
अध्याय-II : बिक्री कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	15
शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना	2.2	16
गलत छूट प्रदान करना	2.3	16
स्टोन क्रशिंग इकाइयों को अनियमित छूट देना	2.4	17
मार्बल कटिंग इकाइयों को गलत छूट प्रदान करना	2.5	18
अनियमित शाखा स्थानान्तरण पर कर का अनारोपण	2.6	18
अपात्र उद्योग को अनियमित छूट प्रदान करना	2.7	19
चूक पर आस्थगित कर की अवसूली	2.8	20
कर योग्य व्यापारावर्त को छिपाना	2.9	20
अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर का कम आरोपण	2.10	21

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत मांग में अनियमित कमी	2.11	22
कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	2.12	22
निर्यात विक्रय पर अनियमित कर छूट देना	2.13	23
वस्तुओं के हस्तान्तरण पर कर का अनारोपण	2.14	23
ब्याज का कम आरोपण	2.15	24
अध्याय-III : मोटर वाहनों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	25
मोटर वाहन कर का आरोपण व वसूली	3.2	26
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से विशेष पथ कर की अवसूली	3.3	30
विशेष पथ कर एवं शास्ति की अवसूली	3.4	31
मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की अवसूली/ कम वसूली	3.5	31
22 सीट तक बैठक क्षमता वाले संविदा वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.6	32
22 से अधिक क्षमता वाले संविदा वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.7	33
अध्याय-IV : भू-राजस्व एवं विद्युत कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	34
अ. भू-राजस्व		
कृषि भूमि का अकृषि उद्देश्य के लिए आवंटन, रूपान्तरण और नियमितिकरण	4.2	35
भूमि की कीमत की कम वसूली	4.3	37
ब. विद्युत कर		
प्रशमन योजना के अन्तर्गत विद्युत कर का अनारोपण	4.4	37
अध्याय-V : मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	39
सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.2	40
पट्टा विलेखों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण	5.3	42
पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं होना	5.4	43

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-VI : राज्य उत्पाद शुल्क		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	44
समीक्षाः आबकारी राजस्व संग्रहण एवं वसूली	6.2	45
राजस्थान आबकारी राजस्व प्रणाली में कम्प्यूटरीकरण	6.3	60
अध्याय-VII : कर-इतर प्राप्तियाँ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	64
अ. वित्त विभाग		
ब्याज प्राप्तियों की कम/अवसूली	7.2	65
ब. वन विभाग		
उच्चतम निविदा को स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण राजस्व हानि	7.3	70
स. खान एवं भूविज्ञान विभाग		
सरकार के अनुदेशों की पालना नहीं करना	7.4	71
ठेका राशि के कम संशोधन से राजस्व हानि	7.5	72
विकास प्रभारों की अवसूली	7.6	73
लोह अयस्क (आयरन ओर) पर अधिशुल्क की कम वसूली	7.7	73
खदान अनुज्ञप्ति शुल्क का कम आरोपण	7.8	74
अधिशुल्क एवं ब्याज की अवसूली	7.9	74
बिना रवन्नाओं के खनिज संप्रेषण से राजस्व हानि	7.10	75
अधिशुल्क का कम निर्धारण	7.11	75
अनाधिकृत उत्खनन के कारण राजस्व हानि	7.12	76

प्रस्तावना

31 मार्च 2006 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (दायित्व, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें राज्य की बिक्री कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क तथा अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2005-06 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के अनुक्रम में ध्यान में आए तथा उनमें से भी है जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

विंहगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित एक समीक्षा सहित 39 अनुच्छेद हैं, जिसमें 352.81 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है। महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:-

I. सामान्य

वर्ष 2004-05 में 17,763.59 करोड़ रुपये के विरूद्ध वर्ष 2005-06 की राज्य सरकार की प्राप्तियाँ 20,839.19 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व 12,617.90 करोड़ रुपये था (कर राजस्वः 9,880.23 करोड़ रुपये तथा कर-इतर राजस्वः 2,737.67 करोड़ रुपये), जबकि शेष 8,221.29 करोड़ रुपये संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग (5,300.08 करोड़ रुपये) तथा सहायतार्थ अनुदान (2,921.21 करोड़ रुपये) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुए।

(अनुच्छेद 1.1)

2005-06 के अन्त में राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल 2,984.79 करोड़ रुपये की बकाया अवसूल रही। ये बकाया प्रमुख रूप से बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, भू-राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों तथा मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क से संबंधित थी।

(अनुच्छेद 1.5)

वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न करों से संबंधित अभिलेखों की, की गई मापक जांच से 18,131 मामलों में 688.81 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष के दौरान विभागों ने 10,248 मामलों में 111.89 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण स्वीकार किये। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर वर्ष के दौरान 2,215 मामलों में 9.70 करोड़ रुपये की वसूली भी की गई।

(अनुच्छेद 1.10)

II. बिक्री कर

15 औद्योगिक इकाइयों के द्वारा ऐसी छूट प्राप्त करने को विनियमित करने वाली शर्त के उल्लघंन पर कर छूट का लाभ वापस नहीं लेने के परिणामस्वरूप कर तथा ब्याज के 10.06 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.2)

27 औद्योगिक इकाइयां जो विभिन्न कर छूट योजनाओं के अन्तर्गत कर छूट का लाभ प्राप्त कर रही थी तथा आगे कोई कर छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं थी किन्तु

इन इकाइयों को 1998 की योजना के अन्तर्गत गलत रूप से 24.97 करोड़ रुपये की छूट स्वीकृत कर दी गई।

(अनुच्छेद 2.3)

19 इकाइयां जो स्टोन क्रशिंग में लगी हुई थी को अनियमित रूप से 97.66 लाख रुपये की कर छूट प्रदान कर दी गई।

(अनुच्छेद 2.4)

दो व्यवसाइयों ने प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निर्धारित अनुज्ञेय सीमा से अधिक शाखा स्थानान्तरण किया जिसके परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के 5.89 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

निर्धारित घोषणापत्रों द्वारा असमर्थित निर्यात विक्रय पर अनियमित कर छूट के परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के 35.40 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.13)

निर्धारित घोषणापत्रों द्वारा असमर्थित वस्तुओं के हस्तान्तरण पर अनियमित छूट प्रदान करने के परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के 63.92 लाख रुपये का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.14)

III. मोटर वाहनों पर कर

1,335 भार वाहनों के स्वामियों से मोटर वाहन कर तथा विशेष पथ कर के 2.26 करोड़ रुपयों की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 3.2.3.1)

3,545 अभिकर्त्ताओं/प्रचारकों का पंजीयन करने में विभाग के असफल रहने के परिणामस्वरूप 2.13 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.2.4)

2005-06 के दौरान राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा भुगतान योग्य विशेष पथ कर के 10.23 करोड़ रुपयों का गलत रूप से समायोजन करने के परिणामस्वरूप उस सीमा तक सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

IV. भू-राजस्व एवं विद्युत कर

अः भू-राजस्व

कृषि भूमि का अकृषि उद्देश्य के लिये उपयोग से संबंधित नियमन प्रभारों के सरकार के भाग 16.16 करोड़ रुपये राजकोष में जमा नहीं कराये गये।

(अनुच्छेद 4.2)

उदयपुर में 4.71 हेक्टेयर माप की सरकारी भूमि का रेलवे को आवंटन वाणिज्यिक दरों के बजाय कृषि भूमि की दरों से करने के परिणामस्वरूप 13.82 करोड़ रुपयों की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.3)

बः विद्युत कर

तीन विद्युत वितरण निगमों ने विद्युत कर के 10.73 करोड़ रुपये राजकोष में जमा नहीं कराये परिणामस्वरूप उस सीमा तक सरकारी राजस्व की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 4.4)

V. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्के के कुल 3.30 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 5.2)

VI. राज्य उत्पाद शुल्क

'आबकारी राजस्व संग्रहण एवं वसूली' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुएः-

बीयर उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल से उत्पादन के न्यूनतम मानक निर्धारण के अभाव में बीयर का उत्पादन कम हुआ सन्निहित आबकारी शुल्क राशि 10.77 करोड़ रुपये।

(अनुच्छेद 6.2.10.1)

शीरे से प्रासव निर्माण के मानक निर्धारण के अभाव में प्रासव का कम उत्पादन हुआ सन्निहित आबकारी शुल्क की राशि 41.90 करोड़ रुपये।

(अनुच्छेद 6.2.10.2)

उत्पादन पर विभाग के नियंत्रण में शिथिलता के परिणामस्वरूप 82,448.355 क्विंटल चिरे हुए डोडा पोस्त का विभाग के लेखों में कम लेखांकन हुआ सन्निहित आबकारी शुल्क राशि 28.86 करोड़ रुपये।

(अनुच्छेद 6.2.11)

आसवकों के भण्डार में अनिस्तारित पड़ी शोधित प्रासव तथा शोधित प्रासव से निर्मित भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर 9.74 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.2.12.1)

चिरे हुए डोडा पोस्त एवं मदिरा खुदरा विक्रय समूहों की निविदा प्रक्रियाओं में बेनामी व्यक्तियों के भाग लेने दिये जाने के कारण 8.71 करोड़ रुपये के राजकीय राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 6.2.15)

VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

अः वित्त विभाग

चार निगमों के द्वारा ऋणों के पुनः भुगतान में असफल रहने के परिणामस्वरूप ऋण के 49.34 करोड़ रुपये तथा ब्याज के 70.50 करोड़ रुपये की राशि का संचयन हुआ।

(अनुच्छेद 7.2.3)

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कार्यरत 360 सहकारी समितियों में से 245 सहकारी समितियां अपने अतिदेय ऋण एवं ब्याज़ का समय पर भुगतान नहीं कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2005 तक 78.60 करोड़ रुपये के ब्याज की राशि की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 7.2.7)

दो ऋणों पर जिन्हें बाद में अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया था, ब्याज आरोपित नहीं करने के कारण 3.18 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.2.9)

बः खान एवं भूविज्ञान विभाग

सरकार के निर्देशों के बावजूद विभाग द्वारा निविदां में चूक करने वाले निविदादाताओं से ठेका हानि की वसूली के लिये प्रावधान संबंधी क्लाज सम्मिलित नहीं करने के परिणामस्वरूप 92.08 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.4)

एक पट्टाधारी ने अनाधिकृत रूप से 35.94 करोड़ रुपये मूल्य का ताँबा तथा चाँदी का उत्खनन किया। विभाग द्वारा उसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक सरकारी राजस्व की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.12.1)

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग और सहायतार्थ अनुदान और गत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
I.	**राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	5,671.17	6,253.34	7,246.18	8,414.82	9880.23
	• कर-इतर राजस्व	1,508.46	1,569.00	2,071.64	2,146.15	2,737.67
	योग	**7,179.63**	**7,822.34**	**9,317.82**	**10,560.97**	**12,617.90**
II.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग	2,882.36	3,063.10	3,602.22	4,305.61	5,300.08
	• सहायतार्थ अनुदान	2,091.30	2,196.42	2,503.80	2,897.01	2,921.21
	योग	**4,973.66**	**5,259.52**	**6,106.02**	**7,202.62**	**8,221.29**
III.	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (I और II)**	**12,153.29**	**13,081.86**	**15,423.84**	**17,763.59**	**20839.19**[1]
IV	**I से III का *प्रतिशत***	**59**	**60**	**60**	**59**	**61**

[1] ब्यौरे के लिए, कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2005-06 के वित्त लेखे की 'विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे' देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व' के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, '0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028 आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवा कर एवं 0045-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपरोक्त विवरण में राज्य द्वारा वसूल किये गए राजस्व में से घटाया गया है एवं विभाजित होने वाले संघीय करों में 'राज्य का भाग' जोड़ा गया है।

1.1.2 वर्ष 2005-06 के दौरान वसूल किये गए कर राजस्व का विवरण गत चार वर्षों के आंकडों सहित नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2005-06 में 2004-05 पर *प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	• बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2,869.23	3,229.79	3,751.80	4,500.78	5,245.41	(+) 17
	• केन्द्रीय बिक्री कर	199.80	208.11	233.63	296.75	348.23	(+) 17
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,110.27	1,142.34	1,163.15	1,276.07	1,521.80	(+) 19
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	478.89	515.73	611.77	817.83	1,031.79	(+) 26
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	250.88	239.85	280.29	442.76	471.35	(+) 6
5.	वाहनों पर कर	566.33	646.14	904.31	817.21	908.18	(+) 11
6.	यात्रियों एवं माल पर कर	23.10	130.44	150.50	144.01	236.71	(+) 64
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	15.56	17.23	20.11	1.85	0.25	(-) 86
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	54.04	47.12	46.85	47.56	31.70	(-) 33
9.	भू-राजस्व	79.17	57.98	71.44	68.86	84.30	(+) 22
10.	अन्य कर	23.90	18.61	12.33	1.14	0.51	(-) 55
	योग	**5,671.17**	**6,253.34**	**7,246.18**	**8,414.82**	**9,880.23**	**(+) 17**

वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कमी/वृद्धि के कारण, जो विभागों द्वारा सूचित किये गए हैं, नीचे दिये जा रहे हैं:-

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर:-विभाग द्वारा कर अपवंचन रोकथाम, वसूली प्रयास तथा पट्रोल एवं डीजल के मूल्यों में वृद्धि के कारण वृद्धि (दोनों करों में 17 *प्रतिशत*) हुई है।

राज्य उत्पाद शुल्क:- नव आबकारी नीति को लागू करने के कारण वृद्धि (19 *प्रतिशत*) हुई।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्कः-दस्तावेजों के पंजीयन में बढ़ोतरी तथा पुरानी बकायों की वसूली के कारण वृद्धि (26 *प्रतिशत*) हुई।

वाहनों पर करः-राजस्व लक्ष्यों में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि (11 *प्रतिशत*) हुई।

यात्रियों एवं माल पर करः-प्रवेश कर के अन्तर्गत नई वस्तुओं को सम्मिलित करने के कारण वृद्धि (64 *प्रतिशत*) हुई।

आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर करः-व्यवसाय कर समाप्त करने के कारण कमी (86 *प्रतिशत*) हुई।

वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्कः-तम्बाकु पर विलासिता कर समाप्त करने के कारण कमी (33 *प्रतिशत*) हुई।

भू-राजस्वः-भूमि की बिक्री के कारण वृद्धि (22 *प्रतिशत*) हुई।

1.1.3 वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य द्वारा वसूल किया गया, मुख्य कर-इतर राजस्व का विवरण गत चार वर्षों के आंकडों सहित नीचे दिया जा रहा है:-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2005-06 में 2004-05 पर *प्रतिशत* वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	583.77	607.04	685.12	754.94	990.21	(+) 31
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	44.82	41.63	39.53	39.41	40.07	(+) 2
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	412.98	449.38	513.70	645.35	814.08	(+) 26
4.	विविध सामान्य सेवाएं	46.23	43.88	340.50	90.47	305.87	(+) 238
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	18.43	20.74	43.23	56.50	46.79	(-) 17
6.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	24.57	22.40	16.28	29.84	16.70	(-) 44
7.	सहकारिता	6.79	7.90	6.93	8.71	14.79	(+) 70
8.	सार्वजनिक निर्माण	17.49	19.69	16.45	17.85	27.86	(+) 56
9.	पुलिस	48.66	57.59	46.16	54.04	75.86	(+) 40
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	34.76	38.21	50.65	91.79	54.02	(-) 41
11.	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	269.96	260.54	313.09	357.25	351.42	(-) 2
	योग	**1,508.46**	**1,569.00**	**2,071.64**	**2,146.15**	**2,737.67**	**(+) 28**

वर्ष 2004-05 की तुलना में वर्ष 2005-06 के दौरान प्राप्तियों में कमी/वृद्धि के कारण, जो संबंधित विभागों द्वारा सूचित किये गए हैं, नीचे दिये जा रहे हैं:-

ब्याज प्राप्तियाँ:-विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से अधिक ब्याज प्राप्ति तथा नकद शेषों के निवेश के कारण वृद्धि (31 *प्रतिशत*) हुई।

अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग:- अधिशुल्क से राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि (26 *प्रतिशत*) हुई।

विविध सामान्य सेवाऐं :-निःस्वामी निक्षेप, भूमि एवं सम्पत्ति के विक्रय तथा उप शीर्ष 'अन्य प्राप्तियों' के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि (238 *प्रतिशत*) हुई।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई:-चम्बल परियोजना, भाखड़ा बाँध सिंचाई शाखा तथा गंग नहर से प्राप्तियों में कमी के कारण कमी (17 *प्रतिशत*) हुई।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य- मुख्यतया राज्य कर्मचारी बीमा योजना से प्राप्तियों तथा जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत अन्य प्राप्तियों में कमी के कारण कमी (44 *प्रतिशत*) हुई।

सहकारिता:-लेखापरीक्षा शुल्क तथा अन्य प्राप्तियों में अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि (70 *प्रतिशत*) हुई।

सार्वजनिक निर्माण:-ठेकेदारों से संग्रहित प्रतिशत प्रभारों की अधिक वसूली के कारण वृद्धि (56 *प्रतिशत*) हुई।

पुलिस:-राज्य पुलिस मुख्यालय की प्राप्तियों के खातों में अधिक प्राप्तियों के कारण वृद्धि (40 *प्रतिशत*) हुई।

अन्य प्रशासनिक सेवाऐं:-लघु शीर्ष 'चुनाव' के अन्तर्गत अन्य प्राप्तियों में कमी के कारण कमी (41 *प्रतिशत*) हुई।

1.2 अनुमानों और वास्तविक आंकडों में अन्तर

वर्ष 2005-06 के लिए कर एवं कर-इतर राजस्व के मुख्य शीर्षों से संबंधित संशोधित अनुमानों और वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के अन्तर नीचे दिये गए हैः-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	बजट अनुमानों के संदर्भ में अन्तर का प्रतिशत
कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	5,500.00	5,593.64	(+) 93.64	(+) 2
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,508.00	1,521.80	(+) 13.80	(+) 1
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,000.00	1,031.79	(+) 31.79	(+) 3
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	499.24	471.35	(-) 27.89	(-) 6
5.	वाहनों पर कर	880.00	908.18	(+) 28.18	(+) 3
6.	भू-राजस्व	99.05	84.30	(-) 14.75	(-) 15
7.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	0.15	0.48	(+) 0.33	(+) 220
	योग	**9,486.44**	**9,611.54**	**(+) 125.10**	**(+) 1**
कर-इतर राजस्व					
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	750.00	814.08	(+) 64.08	(+) 9
2.	ब्याज प्राप्तियां	1,009.56	990.21	(-) 19.35	(-) 2
3.	विविध सामान्य सेवाऐं	120.23	305.87	(+) 185.64	(+) 154
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	40.75	40.07	(-) 0.73	(-) 2
5.	पुलिस	80.00	75.86	(-) 4.14	(-) 5
	योग	**2,000.54**	**2,226.09**	**(+) 225.55**	**(+) 11**

कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर करः-वृद्धि (220 *प्रतिशत*) के कारण यद्यपि मांगे गये थे किन्तु प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2006)।

विविध सामान्य सेवाऐंः-भूमि एवं सम्पत्ति की ब्रिकी, निःस्वामी निक्षेप तथा उप-शीर्ष "अन्य प्राप्तियों" के अन्तर्गत बढ़ोतरी के कारण वृद्धि (154 *प्रतिशत*) हुई।

भू-राजस्वः-बंजर भूमि की विक्रय प्राप्तियाँ एवं भूमि कर के विमोचन तथा उप-शीर्ष "अन्य प्राप्तियों" के अन्तर्गत कम प्राप्तियों के कारण कमी (15 *प्रतिशत*) हुई।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय और सकल संग्रहण के लिए किये गए ऐसे व्यय का *प्रतिशत*, वर्ष 2004-05 के लिए संबंधित अखिल भारतीय औसत *प्रतिशत* के साथ नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय का *प्रतिशत*	वर्ष 2004-05 के लिये अखिल भारतीय औसत का *प्रतिशत*
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2003-04	3,985.43	37.05	0.9	
		2004-05	4,797.53	41.85	0.9	0.95
		2005-06	5,593.64	52.42	0.9	
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2003-04	1,163.15	19.82	1.7	
		2004-05	1,276.07	22.39	1.8	3.34
		2005-06	1521.80	34.18[2]	2.2	
3.	वाहनों पर कर	2003-04	904.31	11.49	1.3	
		2004-05	817.21	13.30	1.6	2.74
		2005-06	908.18	13.67	1.5	
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	2003-04	611.77	11.23	1.8	
		2004-05	817.83	14.32	1.8	3.44
		2005-06	1,031.79	15.79	1.5	

1.4 बिक्री कर का प्रति करदाता संग्रहण

(लाख रुपयों में)

वर्ष	करदाताओं की संख्या	बिक्री कर राजस्व	प्रति करदाता राजस्व
2001-02	1,87,281	3,06,903	1.64
2002-03	2,19,052	3,43,790	1.57
2003-04	2,09,216	3,98,543	1.90
2004-05	2,16,462	4,79,753	2.21
2005-06	2,58,614	5,59,364	2.16

[2] गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2005-06 में व्यय में 52 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि जैसा कि प्रतिवेदित किया गया, आबकारी निरोधक बल के पुनर्गठन जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नये पदों का सृजन कम्प्यूटर इत्यादि के क्रय के कारण हुई।

1.5 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2006 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व की बकाया की राशि 2,984.79 करोड़ रुपये थी जिसमें से 772.12 करोड़ रुपये पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जिसका विवरण नीचे दिया है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2006 को बकाया राशि	पांच वर्षों से अधिक बकाया राशि	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
01.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	2,336.12	482.86	2,336.12 करोड़ रुपयों में से 234.64 करोड़ रुपयों की मांग पर स्थगन था। 92.82 करोड़ रुपयों की मांग भू-राजस्व अधिनियम तथा राजस्व वसूली अधनियम के अन्तर्गत आच्छादित थी। 8.22 करोड़ रुपये की मांग अपलिखित होने की संभावना थी। 234.48 करोड़ रुपये की मांग उन व्यापारियों, जिनका पता नहीं चल सका के विरूद्ध बकाया थी। 444.78 करोड़ रुपये की वसूली सरकारी विभागों के विरूद्ध बकाया थी। 1,321.18 करोड़ रुपये की बकाया वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।
02.	राज्य उत्पाद शुल्क	217.19	187.79	72.41 करोड़ रुपयों की वसूली न्यायालयों/न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई, 120.35 करोड़ रुपयों की वसूली संशोधन/समीक्षा के लिये आवेदनों के कारण रोकी गई तथा 24.43 करोड़ रुपयों की मांग अपलिखित होने की संभावना थी।
03.	वाहनों पर कर	21.62	9.98	21.62 करोड़ रुपयों में से 2.31 करोड़ रुपयों की मांगें न्यायालय/सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 17.75 करोड़ रुपये की मांगें वसूली प्रमाण पत्रों के द्वारा आच्छादित थी। 1.56 करोड़ रुपयों की बकाया की वसूली विभिन्न स्तरों पर थीं।
04.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	76.80	6.48	76.80 करोड़ रुपयों में से 39.75 करोड़ रुपयों की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों सें आच्छादित थीं। 35.36 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई। 1.36 करोड़ रुपयों की मांगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 0.29 करोड़ रुपयों की मांगें संशोधन/समीक्षा के आवेदनों के कारण रोकी गई तथा 0.03 करोड़ रुपयों की मांगें अपलिखित किये जाने के कारण रोकी गई।

1.	2.	3.	4.	5.
05.	भू-राजस्व	59.21	11.65	59.21 करोड़ रुपयों में से 3.69 करोड़ रुपयों की मांगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई तथा 5.78 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 0.02 करोड़ रुपयों की मांगें अपलिखित होने की संभावना थी। 49.72 करोड़ रुपयों की बकाया वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं।
06.	ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजनाओं से जलापूर्ति एवं सफाई प्राप्तियाँ	61.88	22.78	61.88 करोड़ रुपयों में से 0.02 करोड़ रुपयों की मांगें वसूली प्रमाणपत्रों से आच्छादित थी। 0.24 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई तथा 0.03 करोड़ रुपये सरकार द्वारा स्थगित कर दिये गये। 0.03 करोड़ रुपयों की मांगें व्यवसायियों के दिवालिया हो जाने के कारण रुकी रही। 61.56 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
07.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	82.26	26.63	82.26 करोड़ रुपयों में से 43.50 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय/ अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गईं तथा 2.40 करोड़ रुपये सरकार द्वारा स्थगित कर दिये गये। 22.41 करोड़ रुपयों की मांगें भू-राजस्व अधिनियम तथा पी डी आर अधिनियम के अन्तर्गत वसूली प्रमाण पत्रों से आच्छादित थी। 1.84 करोड़ रुपयों की बकाया अपलिखित होने की संभावना थी। 12.11 करोड़ रुपयों की बकाया वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी।
08.	विविध सामान्य सेवाऐं- भूमि की बिक्री	105.76[3]	11.74	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गये।
09.	[4]वृहद एवं मध्यम सिंचाई	23.95	12.21	23.95 करोड़ रुपयों में से 0.16 करोड़ रुपयों की मांगें सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई, 11.56 करोड़ रुपयों की बकाया जो राजस्व मण्डल से संबंधित है, वसूली के विभिन्न स्तरों पर थी। शेष 12.23 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के स्तरों को आयुक्त, सिं.क्षे.वि., चम्बल कोटा तथा मुख्य अभियन्ता इ.गा.न.प. बीकानेर द्वारा सूचित नहीं किये गये।
	योग	2,984.79	772.12	

[3] अन्तरिम है।

[4] यह सूचना राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर; आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास (सिं.क्षे.वि.) चम्बल, कोटा तथा मुख्य अभियंता इंदिरा गांधी नहर परियोजना (इ.गा.न.प.), बीकानेर से संबंधित है।

1.6 कर निर्धारणों में बकाया

वर्ष 2005-06 के आरंभ में लम्बित कर निर्धारणों के मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निपटाये गये मामले और वर्ष 2005-06 के अन्त में लम्बित मामलों का विवरण, जैसा कि विभागों द्वारा प्रेषित किया गया, नीचे दिया गया है:-

राजस्व शीर्ष	प्रारंभिक शेष	निर्धारण हेतु बकाया नये प्रकरण	योग	निपटाये गये प्रकरण	शेष	कालम 5 का 4 पर प्रतिशत
वित्त विभाग						
बिक्री कर	64,830	1,90,787	2,55,617	2,54,740	877	99.66
मनोरंजन कर	1,968	2,996	4,964	3,619	1,345	72.90
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	1,093	आंकड़े प्रतिक्षित थे।				
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	6,355	7,532	13,887	7,149	6,738	51.48

1.7 कर का अपवंचन

वर्ष 2005-06 में विभागों द्वारा कर अपवंचन के पता लगाये गये मामले, अन्तिम रूप दिये गये मामले तथा अतिरिक्त कर की मांग कायमी का विवरण जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया, नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2005 को प्रारम्भिक शेष	पता लगाये गये मामले	योग	निर्धारण/अन्वेषण पूर्ण किये गये तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग कायम शुदा मामले		31 मार्च 2006 को बकाया मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (करोड़ रुपयों में)	
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	281	11,681	11,962	11,777	54.95	185
2.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	8,267	2,617	10,884	2,079	सूचना प्राप्त नहीं हुई	8,805
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	14,558	11,741	26,299	17,476	67.06	8,823

1.8 राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग

वर्ष 2005-06 के दौरान 12,710 मामलों में 30.46 करोड़ रुपये की मांगें अपलिखित/माफ/प्रेषण की गई जैसा कि विभागों द्वारा सूचित किया गया का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)	कारण
1.	वाणिज्यिक कर	7,405	2,020.50[5]	व्यवसाइयों की मृत्यु के कारण, चल/अचल सम्पत्ति नहीं होने, व्यवसाइयों द्वारा व्यावसायिक स्थल छोड़ने के कारण माफ की गई।
2.	आबकारी	2	0.13	व्यवसाइयों की मृत्यु होने पर, चल/ अचल सम्पत्ति नहीं होने के कारण माफ की गई।
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	5,303	1,025.10	5,017 प्रकरणों में शास्ति की राशि 661.08 लाख रुपये माफ की गई तथा 286 प्रकरणों में 364.02 लाख रुपये की राशि अन्य कारणों से माफ/अपलिखित की गई।
	योग	**12,710**	**3,045.73**	

1.9 प्रतिदाय

वर्ष 2005-06 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिदाय के मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदाय दिये गये मामले तथा वर्ष 2005-06 के अन्त में बकाया मामलों की संख्या जैसी की विभागों द्वारा सूचित की गई, नीचे दी गई है:-

(करोड़ रुपयों में)

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष		प्राप्त दावे		अनुमत्य दावे		अन्तिम शेष	
	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
वाणिज्यिक विभाग	1,372	7.78	6,767	43.40	6,777	44.61	1,362	6.57
पंजीयन एवं मुद्रांक	2,082	1.64	1,422	2.45	2,146	2.51	1,358	1.58
भू-राजस्व	5	0.07	18	0.02	16	0.02	7	0.07
उपनिवेशन	44	0.12	18	0.03	32	0.10	30	0.05
भूमि एवं भवन कर								
अलौह धातु एवं खनन उद्योग	169	0.31	18	0.25	33	0.26	154	0.30
योग	**3,672**	**9.92**	**8,243**	**46.15**	**9,004**	**47.50**	**2,911**	**8.57**

[5] इसमें 725.44 लाख रुपये एमनेस्टी योजना के अन्तर्गत तथा 483.39 लाख रुपये शास्ति एवं ब्याज के अन्तर्गत माफ की गई राशि के भी सम्मिलित हैं।

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विलम्ब से प्रतिदाय के कारण 1,134 प्रकरणो में 4.79 करोड़ रुपये तथा 1,104 प्रकरणों में 3.22 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान अन्य कारणों से किया गया था जिनका उल्लेख नहीं किया गया। खान विभाग द्वारा विलम्ब से प्रतिदाय के कारण एक प्रकरण में 0.01 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान किया गया।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान बिक्री कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, एवं अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ के अभिलेखों की मापक जांच में 18,131 मामलों में 688.81 करोड़ रुपयों की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण तथा राजस्व हानि का पता चला। संबंधित विभागों द्वारा अवनिर्धारण आदि की निहित राशि 111.89 करोड़ रुपये के 10,248 मामले स्वीकार किये गये, जिनमें से निहित राशि 56.12 करोड़ रुपये के 4,815 मामले वर्ष 2005-06 की लेखापरीक्षा के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2005-06 के दौरान लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर 2,215 मामलों में 9.70 करोड़ रुपये की राशि विभागों ने वसूल कर ली।

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित एक समीक्षा सहित 39 अनुच्छेद, जिनमें 352.81 करोड़ रुपये निहित है, सम्मिलित किए गए हैं। सरकार/विभागों ने जुलाई 2006 तक 37.07 करोड़ रुपयों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की हैं जिसमें से 2.05 करोड़ रुपये वसूल हो चुके हैं।

1.11 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ-उत्तरदायित्व की कमी एवं जवाबदेही का अभाव

करों, शुल्कों, फीस आदि का अवनिर्धारण, कम निर्धारण/वसूली पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ और प्रारंभिक लेखों के रख-रखाव में त्रुटियां जिनका मौके पर निस्तारण नहीं हुआ है, निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों को सूचित किए जाते हैं। अधिक महत्व की अनियमितताऐं भी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से कार्यालय महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) द्वारा सरकार/विभागों को सूचित की जाती हैं, जिसके प्रथम उत्तर इनके प्रेषण होने के एक माह में भेजे जाने होते हैं।

31 दिसम्बर 2005 तक जारी किये गये राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जो 30 जून 2006 को विभागों से निपटारे हेतु बकाया थे, गत दो वर्षों के आंकडों सहित नीचे दिये गये हैं:-

क्र. सं.	विवरण	30 जून को		
		2004	2005	2006
1.	निपटारे हेतु बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,971	2,800	2,370
2.	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	7,477	7,701	6,716
3.	निहित राजस्व राशि (करोड़ रुपयों में)	1,117.84	1,511.54	1,804.08

30 जून 2006 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	विभाग	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)	सर्वप्रथम वर्ष जिससे निरीक्षण प्रतिवेदन संबिंधित है	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या जिनकी प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई
1.	वाणिज्यिक कर	542	1,723	860.56	1989-90	8
2.	भू-राजस्व	483	837	200.61	1989-90	14
3.	पंजीयन एवं मुद्रांक	494	1,391	49.66	1996-97	89
4.	परिवहन	424	1,482	68.10	1996-97	11
5.	वन	144	365	4.71	1997-98	8
6.	खान एवं भू-विज्ञान	137	542	550.29	2000-01	6
7.	राज्य उत्पाद शुल्क	103	298	67.67	1998-99	7
8.	भूमि एवं भवन कर	13	17	0.71	1997-98	-
9.	विद्युत निरीक्षण	30	61	1.77	1995-96	शुन्य
	योग	**2,370**	**6,716**	**1,804.08**		**143**

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान में लम्बित रहने की अवधि सात से 16 वर्षों के मध्य थी। सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 327(1) के अनुसार लेखापरीक्षा के बाद विभिन्न लेखांकन अभिलेखों की परिरक्षण अवधि एक वर्ष एवं तीन वर्ष के मध्य हैं। अभिलेखों की निर्धारित परिरक्षण अवधि में विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के आक्षेपों की अनुपालना में विफलता के परिणामस्वरूप भविष्य में अभिलेखों के न मिलने के कारण उनके निस्तारण की संभावना क्षीण हो जाती है।

सरकार को प्रकरण में ध्यान देना चाहिये एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर निर्धारित समय सारणी में प्रेषित करने में असफल रहने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हो, राजस्व वसूली की तथा लेखापरीक्षा आपत्तियों पर तुरन्त कार्यवाही एवं उचित उत्तर देने की पद्धति सरल एवं कारगर हो।

उपरोक्त स्थिति अक्टूबर 2006 में सरकार के ध्यान में लाई गई।

1.12 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

प्रत्येक विभाग द्वारा, एक् वर्ष में चार बार तिमाही आधार पर दिसम्बर तक, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करनी थी। वर्ष 2005 के दौरान विभाग-वार आयोजित बैठकों की स्थिति निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	विभाग का नाम	2005 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या				
		मार्च 2005 को समाप्त 1ली तिमाही	जून 2005 को समाप्त 2री तिमाही	सितम्बर 2005 को समाप्त 3री तिमाही	दिसम्बर 2005 को समाप्त चौथी तिमाही	योग
1.	वाणिज्यिक कर	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2.	आबकारी	1	1	शुन्य	शुन्य	2
3.	परिवहन	1	शुन्य	2	शुन्य	3
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	1	1	शुन्य	शुन्य	2
5.	भूमि एवं भवन कर	1	1	शुन्य	शुन्य	2
6.	भू राजस्व	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
7.	खान एवं भू गर्भ विज्ञान	शुन्य	शुन्य	शुन्य	1	1
	योग	4	3	2	1	10

1.13 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु निर्देश जारी किये थे। ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान दिलाये जाने तथा यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे अपने उत्तर तीन सप्ताह में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेदों के अन्त में समान रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्ध शासकीय पत्रों के द्वारा जून 2005 एवं अगस्त 2006 के मध्य प्रेषित किये गये थे। जारी किये गये 124 मामलों (39 पैराग्राफ में सम्मिलित) में से 32 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

1.14 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के तीन माह के अन्दर उसमें सम्मिलित अनुच्छेदों के संबंध में, अपने व्याख्यात्मक पत्रक लेखापरीक्षा द्वारा जांचोपरान्त राजस्थान विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करने होते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये तथा 31 जुलाई 2006 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई है। इससे विदित होता है कि वर्ष के दौरान 54 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर जन लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000-01 तक के प्रतिवेदनों के कोई भी अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष नहीं था तथा वर्ष 2001-02 से 2004-05 की अवधि से सम्बन्धित 94 अनुच्छेद शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियम एवं कार्यविधि के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों को प्रेषित करने हेतु संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगें। बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की स्थिति परिशिष्ट 'ब' में दर्शायी गयी है। इससे विदित होता है कि बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की अवधि 15 माह से 75 माह तक रही।

1.15 स्वीकार किये गये प्रकरणों में राजस्व की वसूली

वर्ष 2000-01 एवं 2004-05 के मध्य के वर्षों के दौरान विभाग/सरकार ने 509.88 करोड़ रुपये की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ स्वीकार की जिसमें से 31 मार्च 2006 तक, 127.65 करोड़ रुपयों की वसूली की जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सकल धन मूल्य	स्वीकार किया गया धन मूल्य	की गई वसूली
2000-01	421.94	39.29	22.54
2001-02	448.86	97.72	29.60
2002-03	382.52	173.30	35.54
2003-04	381.48	181.41	36.88
2004-05	276.63	18.16	3.09
योग	**1,911.43**	**509.88**	**127.65**

अध्याय-II: बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की की गई मापक जांच से 2,305 मामलों में 207.48 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	कर योग्य व्यापारावर्त का निर्धारण नहीं करना	245	4.44
2.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	271	14.62
3.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	357	26.05
4.	अनियमित छूट प्रदान करना	480	110.65
5.	क्रय कर आरोपित नहीं करना	50	0.59
6.	शास्ति/ब्याज आरोपित नहीं करना	164	1.28
7.	अन्य अनियमिततायें	738	49.85
	योग	**2,305**	**207.48**

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 440 मामले जिनमें 12.53 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, में अवनिर्धारणों आदि को स्वीकार किया, जिसमें से 40 मामले जिनमें 30.47 लाख रुपये अन्तर्निहित थे वर्ष 2005-06 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2005-06 के दौरान 31 मामलों में 1.23 करोड़ रुपये वसूल किये जिनमें से 0.75 लाख रुपये के छः मामले वर्ष 2005-06 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पिणियों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी मामले जिनमें 100.98 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:-

2.2 शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना

उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन/छूट योजनाएं 1987 एवं 1998 के अन्तर्गत जिन औद्योगिक इकाइयों को वस्तुओं के विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई है, उन्हें कम से कम अगले पांच वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखना आवश्यक था। शर्त के उल्लंघन के मामले में इकाइयों पर निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर यह मानते हुए कर का दायित्व होगा जैसै कोई छूट थी ही नहीं इसके अतिरिक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों से ब्याज भी आरोप्य था।

नौ वाणिज्यिक कर कार्यालयों[1] में यह देखा गया कि 15 आद्योगिक इकाइयों को फरवरी 1992 एवं जून 1999 के मध्य पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। ये इकाइयां वर्ष 1992-93 से 2003-04 के दौरान 4.66 करोड़ रुपये की कर छूट का लाभ प्राप्त कर चुकी थी तथा इन्हें अगले पांच वर्षों तक अर्थात 2004-05 से 2008-09 तक अपना उत्पादन जारी रखना आवश्यक था। इन इकाइयों ने वर्ष 2000-01 एवं 2003-04 के मध्य अपना उत्पादन बंद कर दिया, किन्तु कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पहले से ही उठाई गई छूट वापस लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 5.40 करोड़ रुपये के ब्याज सहित कर के 10.06 करोड़ रुपयों की वसूली नहीं हुई।

चूक नवम्बर 2004 एवं मार्च 2006 के मध्य विभाग को ध्यान में लाई गई तथा दिसम्बर 2004 एवं अप्रैल 2006 के मध्य सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

2.3 गलत छूट प्रदान करना

उद्योगों के लिये बिक्री कर छूट योजना 1998 में प्रावधान है कि किसी भी औद्योगिक इकाई को इस योजना के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी यदि वह पहले से ही किसी अन्य विशिष्ट या सामान्य कर छूट या कर आस्थगन योजना के अन्तगत छूट का लाभ प्राप्त कर रही हो।

चौदह वाणिज्यिक कर कार्यालयों[2] में यह देखा गया कि 27 औद्योगिक इकाइयां, जिनका कर निर्धारण 2000-01 एवं 2004-05 के मध्य किया गया था, कर छूट योजनाओं के अन्तर्गत कर छूट का लाभ प्राप्त कर रही थी किन्तु इन इकाइयों को 1998 की योजना के अन्तर्गत गलत रूप् से 24.97 करोड़ रुपये की छूट का लाभ और

---

[1] विशेष अलवर (1), 'बी' बीकानेर (1), भिवाड़ी (3), चूरू (2), 'ए' जयपुर (1), विशेष-IV जयपुर (2), विशेष-II जोधपुर (1), 'ए' कोटा (1) एवं पाली (3)।

[2] अजमेर (2), विशेष-अलवर (1), विशेष-बीकानेर (3), 'ए' बीकानेर (1), भीलवाड़ा (1), भिवाड़ी (2), 'ई' जयपुर (1), विशेष-II जयपुर (6), झालावाड़ (1), विशेष-I जोधपुर (1), विशेष-II जोधपुर (5), किशनगढ़ (1), 'बी' कोटा (1) तथा विशेष-उदयपुर (1)।

स्वीकृत कर दिया गया। तथापि, 2000-01 एवं 2004-05 के मध्य कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारी त्रुटि का पता लगाने में असफल रहे। ये इकाइयां वर्ष 1998-99 एवं 2002-03 के मध्य 7.56 करोड़ रुपये की कर छूट प्राप्त कर चुकी थी जो कि ब्याज सहित वसूली योग्य थी। इसके अतिरिक्त, 17.41 करोड़ रुपये की शेष बची छूट जो आगे प्राप्त करने के लिये रखी गई थी को भी वापस लिया जाना था।

चूक अप्रैल् 2005 एवं अप्रैल 2006 के मध्य विभाग के ध्यान में लाई गई तथा नवम्बर 2005 एवं अप्रैल 2006 के मध्य सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

2.4 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को अनियमित छूट देना

बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987 एवं 1989 के अन्तर्गत केवल निर्माण कर रही इकाइयाँ ही छूट के लिये पात्र है। न्यायिक रूप से यह माना[3] गया है कि पत्थर से गिट्टी तैयार करना निर्माण गतिविधी नहीं है क्योंकि क्रशिंग के बाद भी पत्थर, पत्थर ही रहता है। अतः ऐसी इकाइयां इन दोनों में किसी भी योजना के अन्तर्गत कर छूट के लाभ के लिये पात्र नहीं है।

सात वाणिज्यिक कर कार्यालयों[4] में यह देखा गया कि 19 इकाइयां जो स्टोन क्रशिंग के कार्य में लगी हुई थी, को अगस्त 1994 एवं अक्टूबर 2000 के मध्य 3.76 करोड़ रुपये की कर छूट का लाभ दे दिया गया, जो कि गलत था। तथापि, वर्ष 2002-03 एवं 2004-05 के मध्य कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारी त्रुटि का पता लगाने में असफल रहे। ये इकाइयां, वर्ष 2000-01 एवं 2002-03 के मध्य 97.66 लाख रुपये की कर छूट का लाभ प्राप्त कर चुकी थी जो ब्याज सहित वसूली योग्य था। इसके अतिरिक्त, 2.78 करोड़ रुपये की शेष बची छूट राशि जो आगे प्राप्त करने के लिये रखी गई थी को भी वापस लिया जाना था।

चूक अक्टूबर 2004 एवं जनवरी 2006 के मध्य विभाग के ध्यान में लाई गई तथा नवम्बर 2005 एवं मई 2006 के मध्य सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

---

[3] कमीशनर सेल्स टैक्स बनाम मै.लाल कुंआ स्टोन क्रशर प्रा.लि. (एस.सी.)(2000) 118 एस टी सी 287।

[4] 'ए' भरतपुर (2), 'बी' भरतपुर (2), चूरू (2), गंगापुर सिटी (1), 'बी' जयपुर (1), 'सी' जयपुर (8) तथा 'बी' जोधपुर (3)।

2.5 मार्बल कटिंग इकाइयों को गलत छूट प्रदान करना

न्यायिक रूप से यह माना[5] गया है कि मार्बल के ब्लाक्स की स्लेबों तथा टाईलों के रूप में कटिंग करना निर्माण प्रक्रिया नहीं है।

चौदह वाणिज्यिक कर कार्यालयों[6] में यह देखा गया कि 136 इकाइयां जो मार्बल कटिंग का कार्य कर रही थी को नवम्बर 1994 एवं अगस्त 2003 के मध्य, कर प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत 78.47 करोड़ रुपये की कर छूट प्रदान कर दी गई। तथापि, वर्ष 2000-01 एवं 2004-05 के मध्य कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारी त्रुटि का पता लगाने में असफल रहे। ये इकाइयां वर्ष 1999-2000 तथा 2002-03 के मध्य 23.19 करोड़ रुपये की कर छूट का लाभ प्राप्त कर चुकी थी जो ब्याज सहित वसूल किया जाना था। इसके अतिरिक्त, 55.28 करोड़ रुपये की शेष बची छूट जो आगे प्राप्त करने के लिये रखी गई थी को भी वापस लिया जाना था।

चूक, जून 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य विभाग के ध्यान में लाई गई तथा फरवरी 2006 एवं मई 2006 के मध्य सरकार के ध्यान में लाई गई, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

2.6 अनियमित शाखा स्थानान्तरण पर कर का अनारोपण

उद्योगों के लिये बिक्री कर प्रोत्साहन/छूट योजनाएं 1987 एवं 1998 के अन्तर्गत एक निर्धारित सीमा के अधिक शाखा स्थानान्तरण को अन्तर्राज्यीय विक्रय माना जायेगा तथा उस पर कर देय था।

---

[5] सी.आई.टी. बनाम लक्की मिनरल्स (प्रा.) लि. आई.टी.आर. 226 (1996)।
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल बनाम ऐसासिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज एवं अन्य जे टी 2000 (6) एस सी 552।
मै.अमन मार्बल इण्डस्ट्रीज बनाम सी.सी.ई. जयपुर 2003 (58) आर एल टी 595(एस.सी.)।

[6] बांसवाड़ा (5), 'ए' भीलवाड़ा (1), चित्तौडगढ़ (6), विशेष-I जयपुर (2), विशेष-II जयपुर (1), 'ई' जयपुर (2), किशनगढ़ (16), 'बी' मकराना (17), निम्बाहेडा (2), राजसमंद (74), विशेष उदयपुर (2), 'ए' उदयपुर (2), 'बी' उदयपुर (2) तथा 'सी' उदयपुर (4)।

दो वाणिज्यिक कार्यालयों में कर निर्धारण अभिलेखों की जांच में पता चला कि दो व्यवसाइयों ने अनुज्ञेय सीमा से अधिक शाखा स्थानान्तरण किया था, परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के कुल 5.89 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं हुआ जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वृत्त का नाम/ इकाइयों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष/कर निर्धारण का माह	वस्तु	कुल उत्पादन	सकल शाखा स्थानान्तरण	अनुज्ञेय शाखा स्थानान्तरण	अधिक शाखा स्थानान्तरण	उस पर देय कर एवं ब्याज
1.	विशेष राजस्थान, जयपुर (1)	2000-01/ मार्च 2004	सीमेंट	9.16 मी.ट.	3.52 मी. ट.	2.29 मी. ट.	1.23 मी.ट.	552.35
2.	विशेष अजमेर (1)	2002-03/ दिसम्बर 2004	यार्न	4.15 लाख कि.ग्रा.	3.14 लाख कि.ग्रा.	0.83 लाख कि.ग्रा.	2.31 लाख कि.ग्रा.	37.12
योग	**2**							**589.47**

अनियमितता, अप्रैल 2005 तथा सितम्बर 2005 के मध्य विभाग के ध्यान में लाई गई तथा जनवरी 2006 में सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जुलाई 2006)।

2.7 अपात्र उद्योग को अनियमित छूट प्रदान करना

उद्योगों के लिये बिक्री कर छूट योजना, 1998 के अन्तर्गत वे इकाइयां जो हाइड्रोजनेटिड वनस्पति तैल या वनस्पति घी का निर्माण कर रही थी, ऐसी संयुक्त इकाइयां जो खाद्य तैल के साथ-साथ हाइड्रोजनेटिड वनस्पति तैल का भी निर्माण कर रही थी को छोड़कर, इस योजना के अन्तर्गत कर से छूट के लिये पात्र नहीं थी।

जयपुर में मार्च 2004 में यह देखा गया कि एक औद्योगिक इकाई जो हाइड्रोजनेटिड वनस्पति तैल का निर्माण कर रही थी को मार्च 2001 में 1998 की योजना के अन्तर्गत 3.16 करोड़ रुपये की कर छूट स्वीकृत की गई। चूंकि इकाई केवल हाइड्रोजनेटिड वनस्पति तैल का निर्माण कर रही थी, वह इस योजना के अन्तर्गत छूट के लिये पात्र नहीं थी। ये इकाई वर्ष 2001-02 के दौरान 1.05 करोड़ रुपये की कर छूट प्राप्त कर चुकी थी जो उस पर देय ब्याज सहित वसूलनीय था। इसके अतिरिक्त, 2.11 करोड़ रुपये की शेष छूट जो भविष्य में प्राप्त करने के लिये रखी थी को भी वापिस लिया जाना था।

चूक अप्रैल 2004 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा जनवरी 2005 में सरकार के ध्यान में लाई गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (जुलाई 2006)।

2.8 चूक पर आस्थगित कर की अवसूली

राजस्थान बिक्री कर आस्थगन योजना 1987 तथा उद्योगों के लिये बिक्री कर नव आस्थगन योजना 1989 के अन्तर्गत यदि आस्थगित कर की किश्त का भुगतान निर्धारित तिथि पर नहीं किया जाता है तो व्यवसाई के विरूद्ध समस्त आस्थगित कर की बकाया भू-राजस्व की बकाया के रूप में ब्याज सहित तुरन्त वसूलनीय होगी।

उदयपुर में, यह देखा गया कि छः औद्योगिक इकाइयों को, इन योजनाओं के अन्तर्गत 2.49 करोड़ रुपये के कर के भुगतान को आस्थगित करने हेतु जून 1995 एवं अक्टूबर 1997 के मध्य पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गये। इन इकाइयों ने 1.55 करोड़ रुपये के कर आस्थगन का लाभ उठाने के पश्चात जुलाई 2002 एवं नवम्बर 2004 के मध्य 53.13 लाख रुपये का पुनः भुगतान किया तथा तत्पश्चात किश्तों के भुगतान में चूक की। अतः आस्थगित कर की 1.02 करोड़ रुपये की बकाया राशि, भू-राजस्व के बकाया के रूप में तुरन्त वसूलनीय थी। इसके अतिरिक्त, 44.40 लाख रुपये का ब्याज भी आरोपणीय था। तथापि, फरवरी 2005 एवं मार्च 2005 के मध्य वर्ष 2002-03 के कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने देय कर तथा उस पर भुगतान योग्य ब्याज की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के 1.46 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

चूक जनवरी 2006 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा मई 2006 में सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

2.9 कर योग्य व्यापारावर्त को छिपाना

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यवसाई जिसका इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान का दायित्व है, को अपनी व्यवसायिक गतिविधियों का सत्य एवं सही लेखा रखना होता है। यदि किसी व्यवसाई ने अपने खातों से क्रय या विक्रय के किसी संव्यवहार को छुपाया है या किसी रीति से, कर का अपवंचन करता है या बचता है तो वह नियमों के अन्तर्गत उसके द्वारा भुगतान योग्य कर के अतिरिक्त, ऐसे बचाये गये या अपवंचित कर की राशि के दुगने के बराबर शास्ति के रूप में भुगतान करने का दायी होगा।

जयपुर में, यह देखा गया कि एक व्यवसाई ने वर्ष 2002-03 में राज्य के बाहर से 1.26 करोड़ रुपये मुल्य की बैटरियों का आयात किया। तथापि, व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत व्यापार खातों से उसके द्वारा जारी 18ए प्रपत्रों[7] का प्रति-सत्यापन करने पर पता चला कि 125.52 लाख रुपये के क्रय के विरूद्ध व्यवसाई ने अपने खातों में 90.08 लाख रुपये के क्रय का लेखांकन किया, जिसके परिणामस्वरूप 35.44 लाख रुपये मुल्य की वस्तुओं का लेखांकन कम हुआ। इन वस्तुओं का विक्रय मुल्य, इसमें 10 प्रतिशत का

[7] प्रपत्र 18ए, राज्य से बाहर से कर योग्य वस्तुओं के क्रय के लिये जारी किया जाता है।

लाभ जोड़ने के पश्चात 38.99 लाख रुपये होता है, जिस पर 5.38 लाख रुपये का कर आरोपणीय था। इसके अतिरिक्त, 10.76 लाख रुपये की शास्ति तथा 2.45 लाख रुपये का ब्याज भी प्रभार्य था। व्यवसाई के कर निर्धारण को जनवरी 2005 में अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारी व्यापारावर्त के छिपाव का पता लगाने में असफल रहे।

अक्टुबर 2005 में इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद, कर निर्धारण प्राधिकारी ने जनवरी 2006 में सूचित किया कि अक्टुबर 2005 में 18.59 लाख रुपये की मांग (कर:5.38 लाख रुपये, ब्याज एवं शास्तिः 13.21 लाख रुपये) कायम की जा चुकी थी। वसूली की प्रगति प्रतिक्षित थी (जुलाई 2006)।

मामला अप्रैल 2006 में सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2006)।

2.10 अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर का कम आरोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत, निर्धारित घोषणापत्रों से समर्थित अन्तर्राज्यीय विक्रय पर चार प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपणीय था। ऐसे विक्रय यदि निर्धारित प्रपत्रों से समर्थित नहीं है तो उन पर 10 प्रतिशत की दर या राज्य में ऐसी वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर लगने वाली दर, जो भी अधिक हो, से कर योग्य होगी। कर की रियायती दर का दावा करने के लिये, मई 2002 से सी/डी प्रपत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया था। सीमेंट/सीमेंट पाइप्स के बिना 'सी' फार्म के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर क्रमशः 16 प्रतिशत/12 प्रतिशत की राज्य दर के साथ कर की राशि पर 15 प्रतिशत अधिभार सहित आरोपणीय था।

चार वाणिज्यिक कर कार्यालयों[8] के अभिलेखों की समीक्षा में पता चला कि चार व्यवसाइयों ने बिना 'सी' फार्म प्रस्तुत किये 39.13 करोड़ रुपये मुल्य की सीमेंट/सीमेंट पाईप्स का अन्तर्राज्यीय विक्रय किया। तथापि, व्यवसाइयों के वर्ष 2002-03 के कर निर्धारणों को जून 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने गलत रूप से सही दर के बजाय छः प्रतिशत की दर से, जैसा की व्यवसाइयों द्वारा दावा किया गया था, कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 5.15 करोड़ रुपये के कर का कम आरोपण हुआ, इसके अतिरिक्त इस पर 2.34 करोड़ रुपये का ब्याज भी प्रभार्य था।

चूक सितम्बर 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य विभाग के ध्यान में लाई गई तथा जनवरी 2006 एवं अप्रैल 2006 के मध्य सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

[8] विशेष अजमेर, विशेष भीलवाड़ा, 'ई' जयपुर तथा विशेष-V जयपुर।

2.11 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत मांग में अनियमित कमी

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में मई 2002 से किये गये संशोधन के अनुसार 'सी' प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था। 'सी' प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर निर्धारित दरों से कर आकर्षित होता है। तथापि, उपरोक्त संशोधन के विरोध में वाणिज्यिक कर आयुक्त ने ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए दिसम्बर 2005 में एक परिपत्र जारी कर दिया।

कोटा में, यह देखा गया कि 16 मामलों में वर्ष 2002-03 के कर निर्धारणों को जुलाई 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 'सी' प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर 6.51 करोड़ रुपये की मांग कायम की थी। तथापि, दिसम्बर 2005 में जारी परिपत्र की अनुपालना में उक्त मांग बाद में दिसम्बर 2005 में घटाकर शुन्य कर दी गई। चूंकि यह परिपत्र केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था, मांग में कमी करना अनियमित था तथा परिणामस्वरूप 6.51 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

चूक अप्रैल 2006 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

2.12 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

सरकार द्वारा समय-समय पर अधिनियम की अनुसूचियां एवं अधिसूचनाएं जारी कर, कर की दरें सूचित की जाती है।

चार वाणिज्यिक कर कार्यालयों के कर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि पाँच मामलों में कर की गलत दर लगाने के कारण कर, अधिभार तथा ब्याज के कुल 39.93 लाख रुपयों का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम/ इकाइयों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण का माह	वस्तु	व्यापारावर्त	आरोपणीय कर, अधिभार एवं ब्याज	आरोपित कर, अधिभार एवं ब्याज	कम आरोपित कर, अधिभार एवं ब्याज
1.	विशेष, कोटा (1)	2002-03/ मई 2004	कम्प्यूटर पार्टस्	100.70	10.07	4.03	6.04
2.	पाली (2)	2002-03/ जनवरी 2005 एवं फरवरी 2005 के मध्य	काटन यार्न (घोषित वस्तु)	197.63	20.91	3.95	16.96
3.	'ए' जोधपुर (1)	2000-01/ फरवरी 2004	पान मसाला	80.46	14.80	4.16	10.64
4.	विशेष उदयपुर (1)	2001-02 एवं 2002-03/ जून 2004 एवं जनवरी 2005 के मध्य	कम्प्यूटर पेपर	136.73	12.58	6.29	6.29
योग	5				**58.36**	**18.43**	**39.93**

अप्रैल 2005 एवं अप्रैल 2006 के मध्य ध्यान में लाये जाने के बाद, विभाग ने नवम्बर 2005 एवं जून 2006 के मध्य सूचित किया की क्र.सं. 1 एवं 4 के मामलों में 12.33 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी। वसूली की सूचना तथा क्र.सं. 2 एवं 3 के मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

मामला अप्रैल 2005 एवं अप्रैल 2006 के मध्य सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2006)।

2.13 निर्यात विक्रय पर अनियमित कर छूट देना

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत निर्यात के क्रम में किये गये विक्रय पर कोई कर आरोपणीय नहीं है। भारत की भूमि के बाहर इन वस्तुओं के निर्यात हेतु किये गये क्रय या विक्रय के पूर्व किये गये क्रय या विक्रय को भी ऐसे निर्यात के क्रय में किया जाना माना जायेगा, यदि ऐसा क्रय या विक्रय निर्यात के संबंध में किये गये करार की पालना के उद्देश्य से किये गये हो। इसके अतिरिक्त, ऐसी छूट तभी उपलब्ध होगी जब ऐसा विक्रय निर्यात के साक्ष्य सहित प्रपत्र 'एच' में प्रमाण पत्र के द्वारा समर्थित हो। सरकार ने राज्य में अफीम के विक्रय पर 43 प्रतिशत की कर दर निर्धारित (मार्च 2002) की थी। इसके अतिरिक्त कर की राशि पर अधिभार भी आरोपणीय है।

कोटा में, फरवरी 2006 में यह देखा गया कि एक व्यवसाई ने, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपनी तिमाही विवरणियों में 46.49 करोड़ रुपये मूल्य की अफीम का विक्रय, भारत की भूमि के बाहर निर्यात के क्रम में किया, किन्तु न तो प्रपत्र 'एच' ना ही निर्यात के समर्थन में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया। तथापि, वर्ष 2002-03 के कर निर्धारण को मार्च 2005 में अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारी ने राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत ही आदेश पारित किया तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित संव्यवहारों पर ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप कोई कर आरोपित नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 22.99 करोड़ रुपये के कर का आरोपण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त 12.41 करोड़ रुपये का ब्याज भी आरोपणीय था।

चूक अप्रैल 2006 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

2.14 वस्तुओं के हस्तान्तरण पर कर का अनारोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत विवरणियां तथा अन्य संबिंधत दस्तावेजों पर आधारित होता है। मई 2002 में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में किये गये संशोधन के द्वारा, वस्तुओं के हस्तान्तरण को प्रमाणित करने के लिये प्रपत्र 'एफ' प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है। अन्यथा ऐसे संव्यवहारों को,

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के सभी उद्देश्य के लिये की गई बिक्री के रूप में माना जायेगा।

जयपुर में नवम्बर 2005 में यह देखा गया कि एक व्यवसाई ने वर्ष 2002-03 के दौरान अपने 4.39 करोड़ रुपये मूल्य के उर्वरक के स्टाक को राज्य के बाहर स्थित अपने मुख्यालय को हस्तान्तरित किया तथा उसके समर्थन में प्रपत्र 'एफ' में घोषणा पत्र प्रस्तुत किये बिना कर से छूट का दावा किया। दिसम्बर 2004 में कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारी ने गलत रूप से दावा की गई छूट प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप 43.93 लाख रुपये के कर का आरोपण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त 19.99 लाख रुपये का ब्याज भी आरोपणीय था।

चूक जनवरी 2006 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा फरवरी 2006 में सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

2.15 ब्याज का कम आरोपण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत, यदि कोई व्यवसाई इस अधिनियम के अन्तगत भुगतान योग्य कर की किसी राशि के भुगतान में चूक करता है तो, वह चूक की अवधि के लिये निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

जयपुर में नवम्बर 2005 में देखा गया कि एक व्यवसाई के वर्ष 1992-93 के लिये एक अपीलीय आदेश के अनुसरण में, जनवरी 2004 में कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारी ने, नवम्बर 1996 एवं जुलाई 2000 के मध्य किये गये कर के विलम्बित भुगतान पर प्रभार्य 1.64 करोड़ रुपये के ब्याज के विरूद्ध 1.47 करोड़ रुपये का ब्याज आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 17.17 लाख रुपये का ब्याज कम आरोपित हुआ।

चूक नवम्बर 2005 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा मार्च 2006 में सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2006)।

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 8,122 मामलों में 35.35 करोड़ रुपयों के कर, शुल्क एवं शास्ति की कम वसूली का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज एवं प्रशमन शुल्क का भुगतान न करना/कम करना	6,070	32.80
2.	विशेष पथ कर का अवधारण/संगणना न करना/कम करना	86	0.37
3.	अन्य अनियमिततायें	1,966	2.18
	योग	**8,122**	**35.35**

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 6,561 मामलों जिनमें 19.75 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, में पथ कर, विशेष पथ कर आदि के कम निर्धारण को स्वीकार किया जिनमें से 3,482 मामले जिनमें 7.91 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे वर्ष 2005-06 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त विभाग ने वर्ष 2005-06 के दौरान 481 मामलों में 23.58 लाख रुपये वसूल किये जिनमें से 11.38 लाख रुपये के 135 मामले वर्ष 2005-06 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

ड्राफ्ट पैरा जारी होने के पश्चात विभाग ने वर्ष 2005-06 से संबंधित एक प्रकरण में 10.96 लाख रुपये की वसूली की।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी मामले जिनमें 18.96 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:-

3.2 मोटर वाहन कर का आरोपण व वसूली

समस्त वाहनों पर मोटर वाहन कर (मो.वा.क.) का आरोपण राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 (रा.मो.वा.क.अधिनियम), एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित दरों पर किया जाता है।

3.2.1 प्रस्तावना

रा.मो.वा.क.अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत सभी वाहनों पर जिनका राज्य में उपयोग किया जाता है अथवा जो उपयोग हेतु रखे जाते हैं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से मो.वा.क. अग्रिम में देय है। कर की दर चेसिस/वाहन के मूल्य पर आधारित होती है। मोटर वाहन कर के अतिरिक्त सभी परिवहन वाहनों पर विशेष पथ कर (वि.प.क.) भी निर्धारित दरों से अग्रिम देय है। इसके अलावा विलम्ब से कर भुगतान करने पर शास्ति भी निर्धारित दरों से आरापेण योग्य है।

3.2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

41 में से 31 परिवहन कार्यालयों में अप्रैल 2001 से मार्च 2005 के मध्य कर आरोपण एवं संग्रहण की मापक जांच मई 2005 एवं फरवरी 2006 के मध्य की गई। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

3.2.3.1 भार वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

भार वाहनों के संबंध में 17[1] परिवहन कार्यालयों के कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा संधारित कर खातों, पंजियन अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 1,335 भार वाहनों द्वारा अप्रैल 2002 तथा मार्च 2005 के मध्य मो.वा.क. और वि.प.क. का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। कर खातों एवं पंजियन अभिलेखों में इस तरह कि कोई भी टिप्पणी नहीं पायी गयी कि वाहन रोड़ पर नहीं चलाये गये अथवा अन्य राज्यों को स्थानान्तरित हो गये अथवा कर का भुगतान अन्य स्थान पर किया गया है। कराधान अधिकारी द्वारा कर वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप मो.वा.क. एवं वि.प.क. राशि 2.26 करोड़ रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

त्रुटि ध्यान में लाने पर विभाग ने नवम्बर 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य में बताया कि झालावाड़ एवं अलवर के 31 वाहनों से 3.34 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है तथा टौंक के 114 वाहनों के मांग पत्र जारी किये जा रहे थे। शेष वाहनों पर की गई कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई (जुलाई 2006)।

---

[1] प्रा.प.का.: अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तोडगढ, दौसा एवं उदयपुर।
जि.प.क.: बाँरा, भरतपुर, डूँगरपुर, हनुमानगढ़, (भार वाहन) जयपुर, झालावाड़, झुन्झुनू, कोटपूतली, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं टौंक।

3.2.3.2 डम्परों/टिप्परों के मोटर वाहर कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम के अधीन राज्य सरकार ने 31 मार्च 1997 को अधिसूचना जारी कर डम्परों/टिप्परों के संबंध में देय कर की दरें निर्धारित की। रा.मो.वा.क.अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कर के विलम्ब से भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों से शास्ति आरोपण योग्य है जो अधिकतम देय कर की 200 प्रतिशत तक हो सकती है।

तीन परिवहन कार्यालयों[2] के कर खातों एवं पंजीयन अभिलेखों की जाँच में उद्घटित हुआ कि 124 डम्परों/टिप्परों के वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2002 तथा मार्च 2005 के मध्य मो.वा.क. का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। कराधान अधिकारियों द्वारा वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप 19.49 लाख रुपये के मो.वा.क. की अवसूली/कम वसूली हुई।

इसके अतिरिक्त सिरोही में दो फर्मों के 28 डम्परों के संबंध में अप्रैल 2001 एवं मार्च 2004 के मध्य की अवधि के मो.वा.क. की दर गलत लगाने से कर की गलत संगणना की गई, परिणामस्वरूप 35.68 लाख रुपये के कर की कम वसूली हुई। 3.23 लाख रुपये की शास्ति भी आरोपणीय थी।

ध्यान में लाये जाने के बाद विभाग ने जनवरी 2006 तथा मार्च 2006 के मध्य बताया कि झालावाड़ के 15 वाहनों से 1.92 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है तथा सिरोही के 28 वाहनों को मांग पत्र जारी हो चुके हैं। शेष वाहनों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जुलाई 2006)।

3.2.3.3 गैर परिवहन वाहनों के संबध में मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली

अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 1997 जैसा कि समय समय पर संशोधित द्वारा गैर परिवहन वाहनों यथा निर्माण संयंत्र जैसे एक्सकेवेटर, लोडर, क्रेन, रिग इत्यादि के लिए देय कर की दर निर्धारित की गई।

छः परिवहन कार्यालयों[3] के कर खातों, पंजीयन अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अप्रैल 2002 तथा मार्च 2005 की अवधि के मध्य 207 गैर परिवहन वाहनों के मो.वा.क. का वाहन स्वामियों द्वारा या तो भुगतान नहीं किया गया अथवा कम भुगतान किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप 34.93 लाख रुपये के मो.वा.क. की अवसूली/कम वसूली हुई।

यह ध्यान में लाये जाने के बाद विभाग ने नवम्बर 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य बताया कि अलवर तथा भीलवाड़ा में 11 वाहनों से 1.79 लाख रुपये वसूल कर लिये गये है तथा भीलवाड़ा से संबंधित 73 वाहनों को मांग पत्र जारी किये जा रहे हैं। शेष वाहनों पर की गई कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है (जुलाई 2006)।

---

[2] (भार वाहन) जयपुर, जैसलमेर एवं झालावाड़।

[3] प्रा.प.का.: अलवर, कोटा एवं उदयपुर।
जि.प.का.: भरतपुर, भीलवाड़ा, (एन.टी.) जयपुर।

चित्तोडगढ़ में अभिलेखों की जांच से उद्‌घटित हुआ कि एक फर्म द्वारा 10 गैर परिवहन वाहन जिनमें लोडर, क्रेन, फोर्क लिफ्ट इत्यादि सम्मिलित हैं, पूर्ववर्ती वर्षो में 1967 तथा 1996 के मध्य क्रय किये गये थे जो मार्च 2005 में पंजीकृत हुए। ये वाहन फर्म के परिसर में ही चलाये गये थे। तथापि, कराधान अधिकारी ने गलत रूप से इन वाहनों की कर गणना मार्च 2005 में वाहनों की क्रय तिथी के बजाय अप्रैल 1997 से की परिणामस्वरूप मार्च 1997 तक 3 लाख रुपये की अवसूली रही। इसके अतिरिक्त अप्रैल 1997 एवं मार्च 2005 के मध्य की अवधि की कर संगणना की समीक्षा से यह उद्‌घटित हुआ कि 3 वाहनों के संबंध में कर राशि 4.21 लाख रुपये कम आरोपित की गई। इसके अलावा कर का भुगतान नहीं करने/कम करने पर शास्ति रुपये 12.75 लाख भी आरोपणीय थी। चूक के फलस्वरूप कुल 19.96 लाख रुपये के कर एवं शास्ति का अभुगतान/कम भुगतान हुआ।

यह ध्यान में लाये जाने पर कराधान अधिकारी ने जून 2005 में बताया कि 11.37 लाख रुपये (कर 4.22 लाख रुपये तथा शास्ति 7.15 लाख रुपये) की वसूली कर ली गयी है। विभाग द्वारा जून 2006 में सूचित किया गया कि विभाग द्वारा जारी मांग पत्रों के विरूद्ध फर्म ने याचिका दायर कर दी है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि कर निर्धारण आदेश न्यायालय की अनुमति के बाद ही लागू किया जावे।

3.2.4 अभिकर्ता/प्रचारक द्वारा शुल्क की अवसूली से राजस्व की हानि

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सपठित रा.मो.वा. नियम 1990 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे वो सार्वजनिक सेवा वाहनों का स्वामी हो अथवा नहीं हो, सार्वजनिक सेवा वाहनों द्वारा यात्रा के लिए टिकटों के विक्रय में अभिकर्ता या प्रचारक के रूप में अथवा ऐसे यानों के लिये ग्राहकों की अन्य रूप में याचिका करने के रूप में या भार वाहनों द्वारा वहन किये जाने वाले माल को संग्रहित, अग्रेषित या वितरित करने के कारोबार में अभिकर्ता के रूप में काम करने में अपने आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष में तब तक नहीं लगायेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकरण से तथा राज्य सरकार की निर्धारित शर्तों पर लाईसेंस प्राप्त न कर ले। राज्य सरकार ने लाइसेंस स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र शुल्क 5,000 रुपये तथा वार्षिक लाईसेंस शुल्क 1,000 रुपये निर्धारित किया है। इस शुल्क के अलावा प्रत्येक संग्रहण, अग्रेषण या वितरण अभिकर्ता या प्रचारक को न्यूनतम नकद सिक्यूरिटी के रूप में 5,000 रुपये भी पंजीयन अधिकारी को जमा करवाने होंगे।

31 मार्च 1993 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (राजस्व प्राप्तियाँ) के अनुच्छेद 3.10 में भी अभिकर्ता/प्रचारक से शुल्क एवं सिक्युरिटी अवसूली का उल्लेख किया गया था। जन लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट (फरवरी 1998) में विभागीय सर्वे तथा इसकी वसूली हेतु अनुसंशा की थी। सरकार ने क्रियान्विती प्रतिवेदन में बताया कि सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह प्रतीत हो कि सर्वे करवाने तथा अभिकर्ताओं को लाईसेंस जारी करने हेतु कोई कार्यवाही की गई हो।

केन्द्रीय उत्पाद विभाग के अभिलेखों का नौ परिवहन कार्यालयों[4] के साथ प्रतिपरीक्षण से ज्ञात हुआ कि 1,799 परिवहन/यात्रा अभिकर्ता सेवा शुल्क अदा कर रहे थे परन्तु ना तो वो परिवहन विभाग में पंजीकृत थे एवं ना हीं कोई लाईसेंस प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग, बी.एस.एन.एल. एवं निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित डाइरेक्ट्री/येलो पेजेज तथा ट्रांसपोर्ट यूनियन से उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में विभिन्न स्थानों पर 1,746 भार/यात्रा अभिकर्ता कार्यरत थे। इन अभिकर्ताओं ने ना तो लाईसेंस स्वीकृत करने हेतु आवेदन किया एवं ना ही विभाग द्वारा इनके पंजीयन हेतु कोई कार्यवाही की गई।

इस प्रकार विभाग की असफलता के परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 के लिए 3,545 अभिकर्ताओं/प्रचारकों से फीस की अवसूली के कारण 2.13 करोड़ रुपये की हानि हुई तथा 1.77 करोड़ रुपये की सिक्यूरिटी जमा का अभाव रहा।

3.2.5 गैर अस्थाई अनुज्ञापत्रों के बिना रखे गये यात्री वाहनों से मोटर वाहन कर की अवसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत गैर अस्थाई अनुज्ञापत्र से आच्छादित यात्री वाहन से भिन्न वाहन के संबंध में मोटर वाहन कर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से देय होगा।

पाँच परिवहन कार्यालयों[5] के कर खातों एवं अनुज्ञापत्र पंजिका की नमूना जांच में पाया गया कि 187 यात्री वाहनों के स्वामियों द्वारा अप्रैल 2002 एवं मार्च 2005 के मध्य की अवधि के लिये मो.वा.क. का भुगतान नहीं किया गया जबकि इस दौरान वाहन बिना किसी गैर अस्थाई अनुज्ञापत्रों के रहे। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा देय कर की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 92.96 लाख रुपये के मो.वा.क. की अवसूली रही।

3.2.6 कर में अनियमित छूट प्रदान करना

रा.मो.वा.क.अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत वाहन स्वामियों पर पंजीयन प्रमाण पत्र के समर्पण की अवधि में कर अदायगी का दायित्व नहीं होगा बशर्ते समर्पण की अवधि एक से दो महीने के लिए हो जब तक संबंधित कराधान अधिकारी द्वारा इसमें वृद्धि ना की गई हो। उक्त नियमों में यह भी प्रावधान है कि यदि वाहन स्वामी दो महिने की प्रारंभिक समर्पण अवधि समाप्त होने पर अवधि में वृद्धि हेतु आवेदन नहीं करता है तो उसके पश्चात कर सामान्य दर से लागू होगा।

चार परिवहन कार्यालयों[6] के पंजीयन प्रमाण पत्र, समर्पण रजिस्टर, कर गणना आदि अभिलेखों की नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि कर निर्धारण अधिकारियों ने 35 वाहन स्वामियों को सितम्बर 2001 से मार्च 2005 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए दो

---

[4] प्रा.प.का.: अलवर, बीकानेर, चित्तोडगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली, सीकर एवं उदयपुर।

[5] प्रा.प.का.: अलवर, बीकानेर, कोटा, सीकर एवं जि.प.का. भरतपुर।

[6] प्रा.प.का.: जयपुर एवं उदयपुर; जि.प.का.: भीलवाड़ा एवं झुन्झुनू।

महिनों की समर्पण अवधि के बाद भी बिना समयावृद्धि आवेदन के कर में छूट प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप अनियमित छूट प्रदान की गई जिसके कारण 10.05 लाख रुपये के कर की अवसूली रही।

3.2.7 व्यवसायियों से कर की अवसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम के अधीन मार्च 2000 में जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन नियमों के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में मोटर वाहनों के स्वामित्व वाले निर्माताओं/व्यवसाईयों/वित्त प्रदाता/बॉडी निर्माता इत्यादि जिन्हें प्राधिकार के अधीन व्यवसाय प्रमाण पत्र स्वीकृत हैं पर राज्य सरकार ने कर निर्धारित किया। दो पहिया वाहनों के मामले में यह वार्षिक कर प्रत्येक 100 वाहनों या उसके भाग के लिए 2,000 रुपये की दर से देय था। इसी प्रकार चार पहिया वाहनों के मामले में यह कर प्रत्येक 50 वाहन या उसके भाग के लिए 4,000 रुपये वार्षिक की दर से देय था। व्यवसाई द्वारा वाहन के विक्रय या हस्तान्तरण के अतिरिक्त अन्य मामलों में निर्धारित दर का एक चौथाई की दर से कर देय होगा।

आठ परिवहन कार्यालयों[7] से ज्ञात हुआ कि व्यवसाय प्रमाण पत्र धारण 171 व्यवसाईयों/वित्त प्रदाताओं इत्यादि द्वारा अप्रैल 2001 तथ मार्च 2005 के मध्य विक्रय/वित्त पोषित किये गये। वाहनों से संबंधित निर्धारित कर 14.04 लाख रुपये जमा नहीं करवाये गये।

जुलाई 2005 तथा नवम्बर 2005 के मध्य ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने अक्टूबर 2005 एवं दिसम्बर 2005 के बताया कि जयपुर (एन.टी.) के दो प्रकरणों एवं करौली के चार प्रकरणों में 0.26 लाख रुपये वसूल कर लिये गये हैं।

मई 2006 में उपर्युक्त लेखापरीक्षा टिप्पणी से विभाग तथा सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

3.3 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से विशेष पथ कर की अवसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत कर की गणना के लिए लागत वही होगी जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को परिवहन आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जावेगी। राज्य सरकार ने फरवरी 2004 में निश्चित किया की रा.रा.प.प.नि. द्वारा प्रदान की गई निशुल्क/रियायती सेवाओं पर किये गये व्यय का पुनर्भरण नकद में नहीं किया जावेगा तथा यह रा.रा.प.प.नि. से वित्तीय वर्ष के अंतिम दो महिनों के वि.प.क. की देय राशि के विरूद्ध समायोजित किया जावेगा बशर्ते रा.रा.प.प.नि. वित्तीय वर्ष के प्रथम दस महिनों का वि.प.क. पूर्ण एवं नियमित जमा करवाये।

[7] प्रा.प.का.: सीकर एवं उदयपुर।
जि.प.का.: चूरू, धौलपुर, (भारवाहन) जयपुर, (एन टी) जयपुर, करौली एवं श्रीगंगानगर।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (प्रा.प.का.) जयपुर में फरवरी 2006 में ध्यान में आया कि रा.रा.प.प.नि. ने दो महिनों का विशेष पथ कर (फरवरी एवं मार्च 2005) उसके द्वारा प्रदान की गई निशुल्क/रियायती सेवाओं के व्यय के पुनर्भरण के समायोजन को ध्यान में रखकर जमा नहीं करवाया। तथापि यह भी ध्यान में आया कि रा.रा.प.प.नि. ने जनवरी 2005 तक 10 महिनों का वि.प.क. 1.72 करोड़ रुपये कम जमा करवाया क्योंकि इसकी गणना परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित कीमत के बजाय चैसिस के खरीद मूल्य पर की गयी थी। इसके बाद विभाग ने इस प्रकार कम जमा वि.प.क. 1.72 करोड़ रुपये की मांग कायम की। अतः इसको दृष्टिगत रखते हुए फरवरी एवं मार्च 2005 के दो महिनों के कर का समायोजन देय नहीं था परन्तु इसके लिए 10.23 करोड़ रुपये की मांग कायम नहीं की गयी।

मार्च 2006 में मामला विभाग के ध्यान में लाया गया तथा सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2006)।

3.4 विशेष पथ कर एवं शास्ति की अवसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम एवं उसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत विभाग द्वारा वाहनों के पंजियन प्रमाण पत्र के समर्पण स्वीकार किये जाने की अवधि का कर देय नहीं होता है। तथापि जहाँ कोई मोटर वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र समर्पण किये जाने के बाद संचालित पाया जाता है तो ऐसे वाहन पर संपूर्ण समर्पण अवधि के कर के साथ साथ देय कर के पांच गुणा के बराबर शास्ति आरोपणीय होती है।

प्रादेशक परिवहन अधिकारी जयपुर में पंजीयन प्रमाण पत्रों के समर्पण से संबिंधत अभिलेखों का रा.रा.प.प.नि. द्वारा संधारित किये गये अभिलेख/मासिक डिपो रिटर्न के प्रतिपरीक्षण पर फरवरी 2006 में ज्ञात हुआ कि रा.रा.प.प.नि. की 27 मंजिली वाहन आर.सी. समर्पण अवधि में संचालित हुये। इस प्रकार वि.प.क. 7.91 लाख रुपये एवं शास्ति 39.55 लाख रुपये यद्यपि आरोपणीय थे परन्तु आरोपित नहीं करने के परिणामस्वरूप कम वसूली हुई।

मामला मार्च 2006 में विभाग के ध्यान मे लाया गया तथा सरकार को सूचित किया गया (मार्च 2006); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2006)।

3.5 मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत मंजिली वाहनों के संबंध में वि.प.क. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मासिक तौर पर अग्रिम रूप से प्रत्येक माह के सातवें दिन या इससे पूर्व देय है, तथा वाहन स्वामी को प्रत्येक माह के प्रथम 14 दिन के अन्दर विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। यदि कर का सही भुगतान नहीं

किया जाता है या वाहना स्वामी द्वारा विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो कराधान अधिकारी देय कर की गणना कर राशि वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

नो प्रा.प.का/जि.प.का.[8] में मई 2005 तथा फरवरी 2006 के मध्य पाया गया कि 199 मंजिली वाहनों के स्वामियों द्वारा दिसम्बर 2002 तथा मार्च 2005 के मध्य की अवधि के वि.प.क. का या तो भुगतान नहीं किया गया अथवा कम भुगतान किया गया। कराधान अधिकारी द्वारा देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं. की गई। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप 67.99 लाख रुपये के वि.प.क. की अवसूली/कम वसूली हुई।

जून 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य ध्यान में लाने पर विभाग ने सितम्बर 2005 तथा जून 2006 के मध्य बताया कि अलवर, भीलवाड़ा, नागौर तथा जयपुर के 31 वाहनों के संबंध में 9.36 लाख रुपये की राशि वसूल की जा चुकी है। शेष वाहनों की सूचना प्राप्त नहीं हुई (जुलाई 2006)।

मामला सरकार को अक्टूबर 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

3.6 22 सीट तक बैठक क्षमता वाले संविदा वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत संविदा वाहनों पर, जिनकी बैठक क्षमता 22 समस्त तक है, का मो.वा.क. एवं वि.प.क. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से त्रैमासिक उस माह जिससे कर संबंधित है, के 10 वें दिन या उससे पूर्व अग्रिम रूप से देय है।

तेरह प्रा.प.का./जि.प.का.[9] में मई 2005 तथा फरवरी 2006 के मध्य पाया गया कि 470 संविदा वाहन स्वामियों द्वारा अप्रैल 2002 तथा मार्च 2005 के मध्य की अवधि के मो.वा.क. एवं वि.प.क. का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। कराधान अधिकारी द्वारा देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप मो.वा.क. एवं वि.प.क. की राशि 54.42 लाख रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

जून 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य ध्यान में लाने पर विभाग ने सितम्बर 2005 तथा जून 2006 के मध्य बताया कि अलवर, सीकर, भरतपुर (सी.सी.) जयपुर, उदयपुर तथा जालौर में 57 वाहनों से 5.98 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। शेष वाहनों की सूचना प्राप्त नहीं हुई (जुलाई 2006)।

---

[8] प्रा.प.का.:अजमेर, अलवर बीकानेर एवं जोधपुर।
जि.प.का.: भीलवाड़ा, चूरू, (एस.सी.) जयपुर, झुन्झुनू एवं जोधपुर।

[9] प्रा.प.का.:अजमेर, अलवर बीकानेर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर।
जि.प.का.: बाँरा, भरतपुर, (सी सी) जयपुर, जालोर, झुन्झुनू, श्रीगंगानगर एवं टौंक।

चूक अगस्त 2005 तथा अप्रैल 2006 के मध्य सरकार के ध्यान में लाई गई; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

3.7 22 से अधिक क्षमता वाले संविदा वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क.अधिनियम एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत संविदा वाहनों पर जिनकी बैठक क्षमता 22 से अधिक हो का वि.प.क. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर से उस माह में जिससे कर संबिंधत हो के सातवें दिन अथवा उससे पूर्व अग्रिम रूप से देय है।

तीन प्रा.प.का./जि.प.का.[10] में अगस्त 2005 तथा अक्टूबर 2005 के मध्य ध्यान में आया कि 35 संविदा वाहनों के स्वामियों द्वारा अगस्त 2003 तथा मार्च2005 के मध्य वि.प.क. का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। कराधान अधिकारी द्वारा देय कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप वि.प.क. राशि 33.66 लाख रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

सितम्बर 2005 तथा दिसम्बर 2005 के मध्य ध्यान में लाये जान पर विभाग ने जनवरी 2006 तथा अप्रैल 2006 के मध्य बताया कि जयपुर के संबंध में कर वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं तथा जोधपुर में 12 वाहनों के संबंध में 11.15 लाख रुपये वसूल कर लिये गये हैं। शेष वाहनों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है (जुलाई 2006)।

मामला सरकार को अक्टूबर 2005 तथा जनवरी 2006 के मध्य सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2006)।

[10] प्रा.प.का.: जोधपुर एवं उदयपुर; जि.प.का. (सी सी) जयपुर।

अध्याय-IV: भू-राजस्व एवं विद्युत कर

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान भू-राजस्व के अभिलेखों की मापक जांच में 3,913 मामलों में 112.35 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण और राजस्व हानि का पता लगा जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
अ. भू-राजस्व			
1.	सरकारी भूमि पर अतिचारियों के मामलों का अनियमितिकरण	2,075	1.86
2.	खातेदारों से रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली	232	0.53
3.	केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों/प्रतिष्ठानों से प्रीमियम और किराये की अवसूली	832	28.50
4.	सिंचित/असिंचित/निष्क्रान्त सीलिंग आदि भूमि की कीमत की अवसूली	200	35.70
5.	अन्य अनियमितताएं	572	18.87
6.	कृषि भूमि का अकृषि उद्देश्य के लिए आवंटन, रूपान्तरण और नियमितिकरण	1	16.16
ब. विद्युत कर			
7.	प्रशमन योजना के अन्तर्गत विद्युत कर का अनारोपण	1	10.73
	कुल योग	**3,913**	**112.35**

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 483 मामलों में 6.21 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये, जिनमें से 1.36 करोड़ रुपये के 67 मामले वर्ष 2005-06 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये। इसके अतिरिक्त विभाग ने वर्ष 2005-06 के दौरान 445 मामलों में 1.24 करोड़ रुपये वसूल किये जिनमें से राशि 1.63 लाख रुपये के 12 मामले वर्ष 2005-06 से तथा शेष पूर्व वर्षों से संबंधित थे।

भू-राजस्व पर कुछ निदर्शी मामले तथा प्रशमन योजना के अन्तर्गत विद्युत कर का अनारोपण पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिनमें 40.71 करोड़ रुपये सन्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

अ. भू-राजस्व

4.2 कृषि भूमि का अकृषि उद्देश्य के लिए आवंटन, रूपान्तरण और नियमितिकरण

भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (भू.रा.अधिनियम) में जून 1999 में धारा 90-ब की प्रस्तावना के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संबंधित आवंटिती से रूपान्तरण एवं नियमन प्रभारों की वसूली के लिए प्राधिकृत किया गया। कृषि भूमि का अकृषि उद्देश्य के लिए नियमन एवं रूपान्तरण हेतु राज्य सरकार का शहरी विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग समय समय पर दरें निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त अगस्त 2001 में जारी शासकीय निर्देश के अनुसरण में नियमन प्रभारों की प्राप्त राशि के साथ ही इसमें भविष्य में जमा होने वाली संपूर्ण राशि को प्रारंभिक रूप से स्थानीय निकायों के ब्याजधारी निजी निक्षेप (पी.डी.) खाते में जमा किया जायेगा। उक्त जमा में से 40 प्रतिशत राशि को प्राप्त होते ही तुरन्त राजकोष में जमा कराया जायेगा तथा शेष 60 प्रतिशत का उपयोग स्थानीय निकाय अपने प्राधिकार में आने वाले क्षेत्र के विकास में करेगा।

योजना के कार्यान्वयन के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) एवं नौ[1] नगर विकास न्यासों (यू.आई.टी.) के कार्यालयों के अवधि 1999-2000 एवं 2004-2005 के मध्य के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में मापक जांच सितम्बर 2005 से मार्च 2006 के दौरान की गई। निम्न अनियमितताएं ध्यान में आईः-

4.2.1 संबंधित अभिलेखों[2] की लेखापरीक्षा जांच तथा जे.डी.ए. एवं नौ यू.आई.टी. द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता लगा कि उनके द्वारा वर्ष 1999-2005 के दौरान आवंटितियों से निर्धारित दरों पर नियमन प्रभारों के 283.12 करोड़ रुपये वसूल किये गये जिसमें से 113.25 करोड़ रुपये (283.12 करोड़ रुपये का 40 प्रतिशत) राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए था। तथापि, मात्र 103.36 करोड़ रुपये राजकोष में जमा किये गये जिसके परिणामस्वरूप 9.89 करोड़ रुपये कम जमा हुए। आगे यह पता लगा कि राजकोष में कम जमा राशि में से 1.50 करोड़ रुपये जो जे.डी.ए. द्वारा 44 आवंटितियों से वसूल किये गये थे, राजकोष के स्थान पर अनियमित रूप से अपनी आय में जमा कर लिये गये।

ध्यान में लाये जाने के बाद जे.डी.ए. तथा यू.आई.टी. श्रीगंगानगर ने बताया (क्रमशः अक्टूबर 2005 एवं मार्च 2006) कि लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाई गई कम जमा राशि का प्रकरण विचाराधीन है तथा उसके परिणामों से अवगत करा दिया जावेगा। आगे यू.आई.टी. भीलवाड़ा द्वारा 28.12 लाख रुपये दिसम्बर 2005 में राजकोष में जमा कराये गये।

---

[1] अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर।

[2] रोकड़ पुस्तिका, प्राप्ति पुस्तिका, राजस्व संग्रहण पंजिका, कैश चालान, राजकोष में जमा कराने से संबंधित राशि की पंजिका, पट्टा विलेख पत्रावलियाँ आदि।

4.2.2 सितम्बर 1999 में जारी विभागीय परिपत्र के अनुसरण में नियमन प्रभारों के विलम्बित भुगतान पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देय था।

अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि जे.डी.ए. द्वारा वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान नियमन प्रभारों के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज के 9.83 करोड़ रुपये वसूल किये गये किन्तु उसमें से राजकीय हिस्से के 3.93 करोड़ रुपये राजकोष में जमा नहीं कराये गये।

इसके अतिरिक्त यह ध्यान में आया कि नियमन प्रभारों एवं अन्य जमाओं पर ब्याज के 9.71 करोड़ रुपये वसूल किये गये तथा जे.डी.ए./यू.आई.टी. के पी.डी. एवं बैंक खातों में जमा किये गये। इसमें से अकेले नियमन प्रभारों से संबंधित ब्याज का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि आनुपातिक अंश राजकोष में जमा कर दिया गया है। यू.आई.टी. द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त नहीं हुई (जुलाई 2006)।

मार्च 2006 में यह ध्यान में लाये जाने के बाद यू.आई.टी. उदयपुर ने पी.डी. खातें में जमा में से राजकीय हिस्से के 40 प्रतिशत 20.34 लाख रुपये हस्तान्तरित कर दिये।

4.2.3 दो[3] यू.आई.टी. एवं जे.डी.ए. के अभिलेखों की मापक जांच में पता लगा कि स्थानीय निकायों के पी.डी. खाते में कृषि भूमि तथा अन्य संपत्तियों के हस्तान्तरण शुल्क से संबंधित 14.96 करोड़ रुपये रखे हुये थे। कृषि भूमि के हस्तान्तरण शुल्क से संबंधित राशि का विवरण न तो अभिलेखों में उपलब्ध था और न ही प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार सरकार का आनुपातिक अंश वसूली से शेष रहा।

यह ध्यान में लाने के बाद जे.डी.ए. ने अक्टूबर 2005 में बताया कि आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु हस्तान्तरण शुल्क को पृथक करने की कार्यवाही की जा रही है।

4.2.4 मई 2000 में जारी परिपत्र सपठित आदेश (अक्टूबर 2002) में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में राजकीय भूमि के क्षेत्र के आरक्षित मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर नियमन प्रभार एवं अवाप्त कृषि भूमि की क्षेत्र वार जोन दर के साथ 30 रुपये प्रति वर्ग गज से अतिरिक्त शुल्क आवंटितियों से वसूलनीय था।

अभिलेखों की मापक जांच में ध्यान में आया कि उपरोक्तानुसार नियमन प्रभारों के रूप में पाँच इकाइयों[4] में 645 आवंटितियों से 2.50 करोड़ रुपये की राशि वसूलनीय थी। उक्त प्रभारों के विरूद्ध संबंधित आवंटितियों से मात्र 1.02 करोड़ रुपये वसूल किये गये। इस प्रकार गलती के परिणामस्वरूप आवंटितियों से नियमन प्रभारों के रूप में कम वसूल राशि 1.48 करोड़ रुपये के राजकीय अंश के 40 प्रतिशत के बराबर राशि 59.20 लाख रुपये की हानि हुई।

---

[3] यू.आई.टी. जोधपुर एवं भरतपुर।

[4] यू.आई.टी. अलवर, (41), जोधपुर (261), कोटा (182), श्रीगंगानगर (5) एवं उदयपुर (156)।

4.2.5 दिसम्बर 1999 एवं सितम्बर 2000 में जारी परिपत्र की पालना में कृषि भूमि के नियमन प्रभारों को संबंधित क्षेत्र की निर्धारित जोन दरों के अनुसार वसूल किया जाना था। तथापि यह ध्यान में आया कि जे.डी.ए. तथा यू.आई.टी.[5] के 274 मामलों में गलत दरों को लागू करने के कारण नियमन प्रभारों के 5.53 करोड़ रुपये के स्थान पर 1.65 करोड़ रुपये वसूल किये गये जिसके परिणामस्वरूप 3.88 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई। त्रुटि के कारण राजकीय अंश के रूप में 1.55 करोड़ रुपये की हानि हुई।

4.3 भूमि की कीमत की कम वसूली

सरकार द्वारा जारी निर्देश (मार्च 1987), के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के विभागों तथा संगठनों को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ शहरी क्षेत्र एवं उसकी परिधि में स्थित सरकारी भूमि के आवंटन पर संबंधित जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक दर से कीमत आरोपणीय होगी।

तहसील गिर्वा (उदयपुर) में सितम्बर 2005 में पाया गया कि उदयपुर के शहरी क्षेत्र स्थित 4.71 हैक्टेयर माप की सरकारी भूमि गेज परिवर्तन हेतु रेलवे को मई एवं जुलाई 2000 के मध्य आवंटित की गई थी। भूमि का आवंटन वाणिज्यिक दर (14.19 करोड़ रुपये) के स्थान पर प्रचलित कृषि भूमि की दर से 37 लाख रुपये में किया गया। गलती के परिणामस्वरूप 13.82 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

त्रुटि अक्टूबर 2005 में विभाग के ध्यान में लाई गई एवं फरवरी 2006 में सरकार को सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2006)।

ब. विद्युत कर

4.4 प्रशमन योजना के अन्तर्गत विद्युत कर का अनारोपण

राजस्थान विद्युत कर अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दरों से विद्युत कर आरोपित किया जायेगा एवं राज्य सरकार को भुगतान किया जायेगा। बिना मीटर विद्युत आपूर्ति के मामलों में विद्युत कर विभाग द्वारा निर्धारित पाँच प्रतिशत की समान दर से देय है। आगे, विद्युत चोरी एवं मीटर उपकरणों के साथ दोषपूर्ण तरीके से बाधा डालने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए एक प्रशमन योजना आरंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता प्रत्येक कनेक्शन की श्रेणी के आधार पर एक निश्चित राशि चुका कर मामले का निस्तारण करवा सकता है।

[5] जे.डी.ए.(1), अजमेर (1), अलवर (2), भरतपुर (18), भीलवाड़ा (60), बीकानेर (83), जोधपुर (7), कोटा (6), श्रीगंगानगर (9) एवं उदयपुर (87)।

तीन[6] विद्युत वितरण निगमों के अभिलेखों की मार्च/अप्रैल 2006 में जांच करने पर पाया गया कि वर्ष 2001-02 से 2004-05 के मध्य प्रशमन योजना के अन्तर्गत एक मुश्त आधार पर 225.32 करोड़ रुपये के विद्युत चोरी/बेईमानी से विद्युत उपयोग के मामले निर्णित किये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	विद्युत वितरण निगम द्वारा निर्णित मामलों की राशि			
		अजमेर	जयपुर	जोधपुर	योग
1.	2000-01	9.75	16.78	7.94	34.47
2.	2001-02	19.21	23.73	12.91	55.85
3.	2002-03	19.47	16.01	15.18	50.66
4.	2003-04	18.19	17.15	10.65	45.99
5.	2004-05	15.35	14.12	8.88	38.35
योग		81.97	87.79	55.56	225.32

निर्णित मामलों में वसूल की गई राशि में पाँच प्रतिशत की दर से विद्युत कर भी सम्मिलित था। तद्नुसार विद्युत कर के 10.73 करोड़ रुपये की गणना होगी। निगम द्वारा विद्युत कर के निमित्त वसूल की गई राशि को सरकार को जमा नहीं कराया गया। निर्धारण प्राधिकारी निर्णित राशि पर विद्युत कर की मांग करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप 10.73 करोड़ रुपये के विद्युत कर की अवसूली हुई।

अप्रैल 2006 में मामला निगम/वाणिज्यिक कर विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2006)।

[6] अजमेर, जयपुर एवं जोधपुर।

अध्याय-V: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अभिलेखों की मापक जांच मे 2,232 मामलों में 15.94 करोड़ रुपयों के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली का पता लगा, जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	प्रलेखों का गलत वर्गीकरण	48	0.10
2.	सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन	1,964	12.61
3.	अन्य अनियमितताएं	220	3.23
योग		**2,232**	**15.94**

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 2,114 मामलों में अन्तर्निहित राशि 7.37 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण स्वीकार किये, जिनमें से राशि 5.99 करोड़ रुपये के 797 मामले वर्ष 2005-06 के दौरान ध्यान में लाये गये थे तथा शेष पूर्व वर्षों में। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2005-06 के दौरान 876 मामलों में 52.31 लाख रुपये वसूल किये, जिनमें 121 मामले राशि 6.29 लाख रुपये के वर्ष 2005-06 से संबंधित थे तथा शेष पूर्व वर्षों से।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी मामले जिनमें राशि 4.66 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

5.2 सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

5.2.1 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के अनुसार मुद्रांक कर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर प्रभार्य होगा। राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 एवं 2004 में प्रावधान है कि सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा अनुशंसित दरों या महानिरीक्षक (आई.जी.), मुद्रांक द्वारा अनुमोदित दरों में जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जावेगा।

छः उप पंजीयक कार्यालयों (एस.आर.ओ.) में जून 2005 एवं जनवरी 2006 के मध्य यह पाया गया कि व्यावसायिक/आवासीय भूखण्डों से संबंधित हस्तान्तरण पत्रों, जो कि मई 2003 एवं दिसम्बर 2004 के मध्य पंजीकृत हुए थे, के 18 मामलों में सम्पत्ति की कीमत का निर्धारण या तो व्यावसायिक भूमि के स्थान पर आवासीय भूमि की दरों से अथवा डी.एल.सी. द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरों पर किया गया। इसके परिणामस्वरूप तालिका में दर्शाये विवरणानुसार कुल 1.66 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआः-

(लाख रुपयों में)

पंजीयन प्राधिकारी क नाम	प्रकरणं की संख्या	सम्पत्ति की प्रकृति	डी.एल.सी. दर के अनुसार सम्पत्ति का बाजार मूल्य	आंकी गई कीमत	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		कम प्रभारित मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क
					वसूली योग्य	वसूल किया गया	
जयपुर-II	4	आवासीय/ वाणिज्यिक	1,637.05	1,189.64	145.05	105.61	39.44
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	2	वाणिज्यिक	185.83	16.00	20.94	1.72	19.22
हनुमानगढ़	7	आवासीय/ वाणिज्यिक	115.98	39.79	10.40	3.09	7.31
अजमेर	1	वाणिज्यिक	108.44	30.38	8.92	2.68	6.24
रानीवाड़ा (जालोर)	1	वाणिज्यिक	70.69	8.46	5.91	0.77	5.14
बस्सी (जयपुर)	3	वाणिज्यिक	887.53	79.42	98.38	9.30	89.08
योग	**18**		3,005.52	1,363.69	289.60	123.17	166.43

जुलाई 2005 एवं मार्च 2006 के मध्य ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने बताया कि जयपुर-II, हनुमानगढ़ एवं अजमेर के प्रकरणों को अधिनिर्णय हेतु कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ दर्ज कराया गया है। शेष मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2006)।

मामले सरकार को जनवरी 2006 एवं मार्च 2006 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2006)।

5.2.2 राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2002 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार निजी शैक्षणिक संस्थाओं को वाणिज्यिक संस्थाऐं माना जाना है।

चार उप पंजीयक कार्यालयों में मई 2005 एवं जनवरी 2006 के मध्य पाया गया कि उक्त स्पष्टीकरण के विपरीत शैक्षणिक संस्थाओं के पक्ष में जुलाई 2003 एवं जून 2005 के मध्य पंजीकृत विलेखों में वर्णित भूमि की कीमत व्यावसायिक दर के स्थान पर कृषि दर से निर्धारित की गई। गलती के परिणामस्वरूप नीचे दर्शाये अनुसार 1.49 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर और पंजीयन शुल्क का कम आरोपण हुआः-

(लाख रुपयों में)

उप पंजीयक कार्यालय का नाम	संस्था[1] जिसे भूमि विक्रय की गई	व्यावसायिक दर के आधार पर बाजार मूल्य	आंकी गई कीमत	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क		कम प्रभारित मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क
				वसूली योग्य	वसूल किया गया	
ब्यावर	पी	1,395.88	68.52	76.77	7.54	69.23
पाली	क्यू	553.77	12.72	44.55	1.15	43.40
माधोराजपुरा (जयपुर)	आर	230.53	15.22	26.71	0.99	25.72
नवलगढ़ (झुन्झुनू)	एस	96.39	2.02	10.85	0.24	10.61
योग		**2,276.57**	**98.48**	**158.88**	**9.92**	**148.96**

त्रुटि जून 2005 एवं फरवरी 2005 के मध्य ध्यान में लाई गई। ब्यावर के प्रकरण में विभाग ने आक्षेप अस्वीकार करते हुए जनवरी 2006 में बताया कि क्रय की गई भूमि दस्तावेज निष्पादन के समय कृषि भूमि थी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निष्पादित विलेख के साथ संलग्न दस्तावेजों से शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। एस.आर.ओ. पाली एवं नवलगढ़ द्वारा प्रकरण कलक्टर (मुद्रांक) को अधिनिर्णय हेतु भेज दिये गये, शेष एक प्रकरण में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

मामले सरकार को जनवरी 2006 एवं मार्च 2006 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2006)।

5.2.3 महानिरीक्षक, मुद्रांक ने निर्देश जारी किये (अक्टूबर 1999) कि दस्तावेज निष्पादन के समय औद्योगिक प्रयोजन में भूमि के उपयोग के मामले में डी.एल.सी. द्वारा अनुमोदित औद्योगिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा। साथ ही जुलाई 2003 में अधिसूचना जारी कर औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिये क्रय की गई भूमि पर 50 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर में छूट प्रदान की गई।

उप पंजीयन राजसमन्द में दिसम्बर 2005 में यह ध्यान में आया कि राजसमन्द जिले में औद्योगिक प्रयोजन हेतु 18 दस्तावेजों का पंजीयन जनवरी 2004 एवं नवम्बर 2004 के मध्य हुआ। तथापि पंजीयन प्राधिकारी द्वारा भूमि का मूल्यांकन औद्योगिक दर के स्थान पर कृषि दर से किया गया। फलस्वरूप 50 प्रतिशत छूट को समायोजित करने के बाद

[1] पी-धर्माशीला शैक्षणिक संस्था, क्यू-श्री शान्ति जैन पाठशाला समिति पाली, आर-सेन्ट थॉमस मेडीकल कॉलेज एवं अस्पताल, एस-डून्डलोद शैक्षणिक समिति, डून्डलोद।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 22.74 लाख रुपये के स्थान पर 8.04 लाख रुपये प्रभारित किये गये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 14.70 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

मामला जनवरी 2006 को विभाग के तथा मार्च 2006 में सरकार के ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर अपेक्षित है (जुलाई 2006)।

5.3 पट्टा विलेखों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

5.3.1 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 के अनुसार 20 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होने पर पट्टे पर मुद्रांक कर दो वर्ष के औसत किराये के प्रतिफल के बराबर की राशि पर प्रभार्य होगा। तथापि, जहाँ पट्टा 20 वर्ष से अधिक अवधि का है वहाँ मुद्रांक कर, जैसा कि हस्तान्तरण विलेख पर लगता है, सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर आरोपणीय है। लीज की अवधि में केवल दस्तावेज में दी गई अवधि ही सम्मिलित नहीं होती बल्कि इस अवधि में पूर्व की समस्त अवधि जो उन्हीं पट्टादाता एवं पट्टागृहिता की हो और उस अवधि में कोई अवरोध नहीं हो, भी सम्मिलित की जावेगी। साथ ही राजस्थान मुद्रांक नियम, 2004 के अनुसार डी.एल.सी. द्वारा अनुशंसित दरों या महानिरीक्षक, मुद्रांक द्वारा अनुमोदित दरों में से जो भी अधिक हो, के आधार पर भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण किया जावेगा।

चार[2] उप पंजीयक कार्यालयों में जून 2005 एवं सितम्बर 2005 के मध्य यह पाया गया कि 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये चार पट्टा विलेख जनवरी 2003 एवं जून 2004 के मध्य निष्पादित हुए। सम्पत्ति का बाजार मूल्य 8.71 करोड़ रुपये था जिस पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 97.06 लाख रुपये वसूली योग्य थे। तथापि औसत किराये के 5.60 लाख रुपये पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के मात्र 0.29 लाख रुपये प्रभारित किये गये जो कि गलत था जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के कुल 96.77 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

जुलाई 2005 एवं अक्टूबर 2005 के मध्य ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने जून 2006 में बताया कि सिरोही के प्रकरण को अधिनिर्णय हेतु कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ दर्ज कराया गया है। शेष मामलों में जवाब प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2006)।

मामले सरकार को जनवरी 2006 में प्रतिवेदित किये गये; जिनके जवाब प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2006)।

5.3.2 मई 2003 में जारी अधिसूचना के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) द्वारा आवंटित या बिक्रित सम्पत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण प्रतिफल, ब्याज, पैनल्टी तथा दो वर्ष के औसत किराये के आधार पर किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा नवम्बर 2001 में जारी अधिसूचना के अनुसार नये मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉलों के लिये

[2] बिलाड़ा (जोधपुर), प्रतापगढ़ (चित्तोडगढ), शिवगंज (सिरोही) एवं सिरोही।

नगरपालिका क्षेत्रों में क्रय की गई भूमि के हस्तान्तरण विलेखों पर आरोपणीय मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत तक की छूट इस शर्त पर प्रदान की गई कि मार्च 2001 से दिसम्बर 2002 की अवधि के दौरान कम से कम एक करोड़ रुपये का विनियोजन करेंगे और 31 दिसम्बर 2002 तक कार्य करना प्रारंभ कर देंगे।

नवम्बर 2005 में उप पंजीयक जयपुर-I के अभिलेखों की मापक जांच से पता लगा कि जे.डी.ए. द्वारा नवम्बर 2003 में चार कंपनियों के निदेशक को 99 वर्ष के पट्टे पर भूमि आवंटित की गई। पट्टा विलेख 24 मार्च 2004 को पंजीकृत हुए थे। चूंकि जे.डी.ए. द्वारा वर्ष 2003 में भूमि का विक्रय किया गया अतः कोई छूट स्वीकार्य नहीं थी। तथापि पंजीयन प्राधिकारी द्वारा 14.43 लाख रुपये की गलत छूट प्रदान करने के परिणामस्वरूप इस सीमा तक मुद्रांक कर की कम वसूली हुई।

मामला दिसम्बर 2005 में विभाग के तथा जनवरी 2006 में सरकार के ध्यान में लाया गया; जिनके उत्तर अपेक्षित है (जुलाई 2006)।

5.4 पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं होना

पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के अचल सम्पत्ति के पट्टे अनिवार्य रूप से पंजीयन किये जाने हैं। जहाँ पट्टा 20 वर्ष की अवधि या अधिक या शाश्वत अथवा जहाँ समयावधि का उल्लेख नहीं हो तो मुद्रांक कर हस्तान्तरण विलेख के समान सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर आरोपणीय होगा।

तीन उप पंजीयक कार्यालयों[3] में अगस्त 2005 एवं नवम्बर 2005 के मध्य उनके अभिलेखों का उनकी संबंधित तहसीलों के अभिलेखों से प्रति परीक्षण में ज्ञात हुआ कि चार प्रकरणों में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को जुलाई 2000 एवं अप्रैल 2003 के मध्य 99 वर्ष के पट्टे पर 2.47 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि आवंटित की गई, परंतु निगम द्वारा पंजीयन के लिये पट्टे प्रस्तुत नहीं किये। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 25.12 लाख रुपये की अवसूली रही।

अक्टूबर 2005 एवं जनवरी 2006 के मध्य ध्यान दिलाने पर विभाग ने जून 2006 में बताया कि उदयपुर-II के प्रकरण को अधिनिर्णय हेतु कलक्टर (मुद्रांक) के यहाँ दर्ज कराया गया है। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2006)।

प्रकरण जनवरी 2006 एवं मार्च 2006 के मध्य सरकार को प्रतिवेदित किये गये; जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2006)।

[3] धौलपुर (2), शाहपुरा (जयपुर) एवं उदयपुर-II

अध्याय-VI: राज्य उत्पाद शुल्क

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क कार्यालयों के अभिलेखों की की गई मापक जांच से 121 मामलों में 46.55 करोड रूपये के आबकारी राजस्व की अवसूली/कम वसूली का पता चला जो वृहद रूप मे निम्न वर्गो में आते है:-

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा फीस की कम वसूली/ अवसूली	19	0.72
2.	मदिरा की अधिक क्षति से उत्पाद शुल्क की हानि	15	0.27
3.	अन्य अनियमिततायें	86	13.94
4.	**'आबकारी राजस्व संग्रहण एवं वसूली' पर समीक्षा**	1	31.62
		121	**46.55**

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 66 मामलों में अन्तर्निहित 3.58 करोड़ रूपये की कम वसूली इत्यादि स्वीकार की जिनमें से 62.78 लाख रूपये के 24 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2005-06 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे। विभाग ने 61 मामलों में 1.26 करोड़ रूपये की वसूली की जिनमें से 22.71 लाख रूपये के 15 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2005-06 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे।

ड्राफ्ट पैरा जारी करने के पश्चात विभाग द्वारा वर्ष 2005-06 में सूचित किये गये एक प्रकरण की राशि 12.77 लाख रुपये की वसूली की गई।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियाँ एवं 'आबकारी राजस्व का संग्रहण एवं वसूली' पर समीक्षा के मामले जिनमें 31.49 करोड़ रुपये की राशि सन्निहित है, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं:-

6.2 आबकारी राजस्व संग्रहण एवं वसूली पर समीक्षा

6.2.1 मुख्य मुख्य बिन्दु

बीयर उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल से उत्पादन के न्यूनतम मानक निर्धारण के अभाव में बीयर का कम उत्पादन सन्निहित उत्पाद शुल्क राशि 10.77 करोड़ रुपये।

(अनुच्छेद 6.2.10.1)

शीरे से प्रासव निर्माण के मानक निर्धारण के अभाव में प्रासव का कम उत्पादन सन्निहित उत्पाद शुल्क राशि 41.90 करोड़ रुपये।

(अनुच्छेद 6.2.10.2)

चिरे डोडा पोस्त के उत्पादन पर विभाग के शिथिल नियंत्रण के परिणामस्वरूप 82,448.355 क्विंटल चिरे डोडा पोस्त का विभाग के लेखों में लेखांकन का अभाव निहित आबकारी शुल्क राशि 28.86 करोड़ रुपये।

(अनुच्छेद 6.2.11)

आसवकों के भण्डार में अनिस्तारित पड़ी शोधित प्रासव से बनाई भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी शुल्क राशि 9.74 करोड़ रुपये की अवसूली।

(अनुच्छेद 6.2.12.1)

चिरे डोडा पोस्त एवं मदिरा खुदरा विक्रय समूहों की निविदा प्रक्रियाओं में बेनामी व्यक्तियों के भाग लेने दिये जाने से राजकीय राजस्व् हानि राशि 8.71 करोड़ रुपये।

(अनुच्छेद 6.2.15)

6.2.2 सिफारिशें

राजस्व रिसाव को रोकने, राजस्व संग्रहण एवं उचित प्रबन्धन हेतु सरकार निम्न सिफारिशों पर विचार करेः

- कच्चे माल से प्रासव एवं बीयर की न्यूनतम प्राप्ति मानक सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिनियम/नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए;
- राज्य में चिरे डोडा पोस्त के उत्पादन के नियंत्रण के संबंध में प्रभावशील नियंत्रण प्रणाली विकसित की जानी चाहिए;
- निविदा प्रक्रिया में बेनामी व्यक्तियों के भाग लेने से रोकने हेतु नियमों में संशोधन हेतु विचार किया जाना चाहिए और

- श्रेष्ठतर वित्तीय प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ की जानी चाहिए।

6.2.3 प्रस्तावना

आबकारी राजस्व में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों में शुल्क, फीस, कर, जुर्माना एवं जब्तियों से प्राप्त राजस्व सन्निहित है। इसमें मदिरा, भांग एवं चिरे डोडा पोस्त के उत्पादन, अधिग्रहण एवं विक्रय से प्राप्त राजस्व भी शामिल है।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (आर.ई.एक्ट) राज्य सरकार को कालावधि के लिये आबकारी नीति निर्धारित करने के लिये प्राधिकृत करता है। आबकारी नीति भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा.नि.वि.म.), देशी मदिरा, (सी.एल.) डोडापोस्त एवं भांग की दुकान/समूह की एकाकी विशेषाधिकार (आरक्षित राशि) राशि निर्धारण की विधि नियत करती है। आबकारी आयुक्त आबाकारी नीति के निर्धारण तथा क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

एकाकी विशेषाधिकार पद्धति (ए.वि.प.) में आबकारी वस्तुओं के थोक या खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञाऐं स्वीकृत करने हेतु मुहरबंद निविदाऐं आमंत्रित कर या नीलामी या समझौता वार्ता या अन्य निर्धारित विधि अपनायी जाती है। डोडा पोस्त के अनुज्ञापत्र राजस्थान नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साईकोट्रापिक सब्सटेन्सेज रूल्स, 1985 (आर.एन.डी.पी.एस.रूल्स), के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते हैं।

6.2.4 संगठनात्मक संरचना

आबकारी विभाग के राज्य स्तर पर सामान्य प्रबन्धन की जिम्मेदारी वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव में निहित है। राज्य आबकारी विभाग के प्रमुख आबकारी आयुक्त हैं। 7 अतिरिक्त आबकारीआयुक्त (6 संभागीय मुख्यालयों पर एवं 1 प्रशासन के पद पर) तथा 32 जिलों के 28 जिला आबकारी अधिकारी एवं राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित राजस्व बकाया वसूली के प्रकरणों हेतु जयपुर और जोधपुर में 2 जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन) आबकारी आयुक्त की सहायता करते हैं। विभाग की प्रर्वतन शाखा के प्रमुख निदेशक हैं जो भारतीय पुलिस सेवा से हैं, वित्त शाखा के प्रमुख वित्तीय सलाहकार हैं जो राजस्थान लेखा सेवा से हैं।

6.2.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गयी थी कि:-

- आबकारी राजस्व संग्रहण को शासित करने वाले आबकारी अधिनियम/नियमों एवं आदेशों की कहाँ तक पालना की गई।

- अधिनियम/नियमों में कोई कमी या मानकों का अभाव तो नहीं रहा, जिससे राजकीय राजस्व प्रभावित हुआ।

- राजस्व की हानि का रिसाव को रोकने हेतु विभागीय कार्यप्रणाली में यथेष्ठ आंतरिक नियंत्रण एवं प्रबंधन रचना विकसित की गई है।

6.2.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

राजस्व वसूली हेतु विकसित तंत्र एवं कार्यप्रणाली की उपयुक्तता एवं प्रभवशीलता का पता लगाने की दृष्टि से 30 इकाइयों (जि.आ.का.) में से आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा संधारित लेखों सहित 10 इकाइयों[1] के वर्ष 2000-01 से 2004-05 के लेखों की मापक जांच की गई।

6.2.7 राजस्व की प्रवृत्ति

वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों में अन्तर नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक राजस्व	कमी	
			राशि	प्रतिशत
2000-01	1,175	1,118	57	(-) 5
2001-02	1,125	1,110	15	(-) 1
2002-03	1,240	1,142	98	(-) 8
2003-04	1,240	1,163	77	(-) 6
2004-05	1,325	1,276	49	(-) 4

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है कि वर्ष 2001-02 के बजट अनुमान वर्ष 2000-01 के अनुमानों से नीचे निर्धारण किये गये, जबकि 2002-03 एवं 2003-04 के बजट अनुमान अपरिवर्तित रहे। यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2006) कि बकाया की पूर्व अनुमानित कम वसूली एवं फीस की दरों में कमी वर्ष 2001-02 के बजट अनुमानों को कम करने में कारक रहे। साथ ही आगे यह भी बताया गया कि 2002-03 के बजट अनुमान राशि 1,240 करोड़ रुपये के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति राशि 1,142 करोड़ रुपये रही, अतः वास्तविक प्राप्ति के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2003-04 के बजट अनुमान में वृद्धि नहीं की गई। परन्तु वास्तविकता यह है कि राज्य आबकारी राजस्व वृद्धि में पिछले पांच वर्षों में लगभग स्थिर प्रवृत्ति रही, बावजूद इसके कि राज्य के संपूर्ण राजस्व में सामान्य वृद्धि पाई गई।

[1] अलवर, बांरा, भीलवाड़ा, चित्तोडगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर एवं उदयपुर।

6.2.8 वसूली योग्य बकाया राजस्व

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार निम्न वर्णित 294 बकाया प्रकरण जिनमें 213.34 करोड़ का राजस्व सन्निहित है, 31 मार्च 2005 को संग्रहण के अभाव में बकाया थेः

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष[2]	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान जोड़ गये		प्राप्त की गई वसूलियाँ		अंतिम शेष	
	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि	प्रकरण	राशि
2002-03	387	219	18	2	81	12	324	209
2003-04	324	209	13	15	21	13	316	211
2004-05	316	211	6	7	28	5	294	213

उपरोक्त दर्शाये अनुसार वसूली योग्य राजस्व के बकाया प्रकरणों की संख्या 31 मार्च 2005 को 387 से 294 रही अर्थात 24 प्रतिशत घटोतरी, परन्तु बकाया की राशि में कमी नगण्य रूप से रुपये 219 करोड़ से घटकर 213 करोड़ हुई यानि तीन प्रतिशत की कमी।

6.2.9 आन्तरिक नियंत्रण

6.2.9.1 निरीक्षण एवं नियंत्रण की कमी

राज्य आबकारी नियमावली के अनुसार प्रत्येक अधिकारी द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के मानक आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये हैं। आबकारी आयुक्त कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में निरीक्षण की पंजिका संधारित की जानी थी, जिसमें प्रत्येक अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण का ब्यौरा अंकित किया जाना वांछित था। प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवेदन में दर्शाये गये बिन्दुओं की अनुपालना निगरानी हेतु पृथक पत्रावली रखी जानी आवश्यक थी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि आबकारी आयुक्त कार्यालय में ऐसी कोई पंजिका या पत्रावली संधारित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त किसी भी अबाकारी अधिकारी द्वारा किये गये निरीक्षण का वृतान्त भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, सिवाय अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय) जिनके द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना भी अपूर्ण पायी गयी। इन परिस्थितियों में विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं नियंत्रण के आकलन की प्रभावशीलता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

[2] वर्ष 2001-02 तक के वसूली योग्य बकाया राजस्व प्रकरणों पर वर्ष 2002-03 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणी की जा चुकी है।

6.2.9.2 आन्तरिक जांच कार्य प्रणाली

विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर वर्ष 2000-01 से 2004-05 के दौरान किये गये एवं निस्तारित आंतरिकत जांच प्रतिवेदनों (आ.जां.प्र.) एवं अनुच्छेदों का विवरण निम्नांकित है:-

(लाख रुपयों में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष पैरा (आ.जां.प्र. / राशि	जोडे गये पैरा (आ.जां.प्र.) / राशि	योग पैरा (आ.जां.प्र.) / राशि	निस्तारण पैरा (आ.जां.प्र.) / राशि	शेष पैरा (आ.जां.प्र.) / राशि	निस्तारण का प्रतिशत	
						आ.जां.प्र.	पैरा
2000-01	962 (195) / 3.22	854 (11) / 13.12	1,816 (206) / 16.34	541 (28) / 0.81	1,275(178) / 15.53	14	30
2001-02	1,275 (178) / 15.53	1,436 (17) / 73.65	2,711 (195) / 89.18	1,173 (22) / 6.30	1,538 (173) / 82.88	11	43
2002-03	1,538 (173) / 82.88	1,454 (25) / 101.88	2,992 (198) / 184.76	1,531 (27) / 15.21	1,461(171) / 169.55	14	51
2003-04	1,461(171) / 169.55	837 (25) / 151.37	2,298 (196) / 320.92	942 (15) / 31.07	1,356 (181) / 289.85	8	41
2004-05	1,356 (181) / 289.85	252 (17) / 56.73	1,608 (198) / 346.58	514 (4) / 40.06	1,094 (194) / 306.52	2	32

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों का निस्तारण 2 से 14 प्रतिशत तक हुआ और अनुच्छेदों का 30 से 51 प्रतिशत तक। मार्च 2005 के अंत में राशि 3.07 करोड़ रुपये के अनुच्छेद उपचारात्मक कार्यवाही के अभाव में लंबित थे। बकाया आक्षेपों में उतरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति यह इंगित करती है कि विभाग में आन्तरित जांच में सहयोगात्मक वातावरण का अभाव है।

6.2.10 शीरे से प्रासव एवं बीयर की न्यूनतम प्राप्ति के मानकों का अभाव

6.2.10.1 बीयर उत्पादन में कमी

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के द्वारा राज्य में बीयर उत्पादन को नियंत्रित किया जाता है। परन्तु इन नियमों में बीयर उत्पादन में प्रयुक्त किये गये कच्चे माल से बीयर की न्यूनतम प्राप्ति के मानक का अभाव है। तथापि, आबकारी तकनीकी नियमावती के अनुसार 116.36 किलोग्राम चावल एवं 101.82 किलोग्राम चीनी प्रत्येक 12.73 किलोग्राम माल्ट के समतुल्य होते हैं।

संग्रहित सूचनाओं के अनुसार ब्रेवरी 'अ' द्वारा माल्ट, चीनी एवं चावल से किये गये बीयर उत्पादित एवं प्रयुक्त प्रति मैट्रिक टन कच्चे माल से बीयर की प्राप्ति निम्नांकित थीः

वर्ष	प्रयुक्त कच्चा माल्ट (माल एवं माल्ट के समतुल्य[3] मैट्रिक टनों में)	ब्रेवरीज द्वारा प्रदर्शित बीयर का उत्पादन (बी.एल.)	बीयर की प्रति मैट्रिक टन प्राप्ति (बी.एल.)
2000-2001	1,679.388	1,11,34,400	6,630
2001-2002	1,455.340	95,21,400	6,542
2002-2003	1,810.805	1,18,95,700	6,569
2003-2004	2,510.018	1,70,47,000	6,791
2004-2005	3,449.853	2,41,23,800	6,992

ब्रेवरी 'अ' द्वारा वर्ष 2001-02 में प्रयुक्त कच्चे माल से प्रति मैट्रिक टन मात्रा 6,542 बल्क लीटर बीयर की प्राप्ति के आधार पर यह देखा गया कि निम्न विवरणानुसार अन्य दो ब्रेवरीज 'बी' एवं 'सी' में 69,41,479 बी.एल. कम उत्पादन हुआ जिसमें राशि 10.77 करोड़ रुपये का आबकारी शुल्क सन्निहित हैः

(करोड़ रुपयों में)

इकाई का नाम	वर्ष	प्रयुक्त कच्चा माल (मैट्रिक टन)	उत्पादित बीयर (बी.एल.)	वांछित बीयर उत्पादन (@ 6,542 बी.एल. प्रति मैट्रिक टन)	कम उत्पादित बीयर (बी.एल.)	कम उत्पादित बीयर पर सन्निहित अबाकारी शुल्क
बी	2000-01 से 2004-05	16,765.001	10,49,76,966	10,96,76,637	46,99,671	7.18
सी	2000-01 से 2004-05	1,895.288	1,01,57,170	1,23,98,974	22,41,804	3.59
योग		**18,660.289**	**11,51,34,136**	**12,20,75,611**	**69,41,475**	**10.77**

6.2.10.2 शीरे से प्रासव का कम उत्पादन

केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा प्रयुक्त शीरे की प्रति टन मात्रा से 373.5 प्रुफ लीटर प्रासव की प्राप्ति के मानक निर्धारित किये गये। परन्तु राजस्थान आबकारी नियमों में ऐसे मानक के निर्धारण का अभाव है।

उदयपुर, अलवर, जयपुर एवं श्रीगंगानगर स्थित पांच आसवनियों के वर्ष 2000-01 से 2004-05 के प्रासव निर्माण लेखों की मापक जांच में पाया गया कि इस अवधि में 16,80,572.5 क्विंटल प्रयुक्त शीरे से 5.87 करोड़ प्रुफ लीटर प्रासव का उतपादन किया गया, जबकि केन्द्रीय शीरा बोर्ड के मानक के आधार पर शीरे की प्रयुक्त मात्रा से 6.28 करोड़ प्रुफ लीटर प्रासव का उत्पादन किया जाना था। अतः प्रासव की मात्रा 41.04 लाख प्रुफ लीटर, जिसमें राशि 41.90 करोड़ रुपये का आबकारी शुल्क निहित है, का कम उत्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया।

---

[3] चावल एवं चीनी से माल्ट समतुल्य की गणना आबकारी तकनीकी नियमावली के मानकों को लागू कर की गई है।

शीरे से प्रासव एवं बीयर की न्यूनतम प्राप्ति के मानकों के अभाव में बीयर एवं प्रासव के उत्पादन की विशुद्धता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी। अतः कच्चे माल से बीयर एवं प्रासव के मानक निर्धारण की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त माल्ट समतुल्य यथा चावल, चीनी एवं संबंधित सामग्री से न्यूनतम प्राप्ति के मानक भी निर्धारित किये जावें।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने दोनों प्रकरणों के आक्षेप को स्वीकार करते हुए बताया कि अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, कोटा एवं जयपुर के सदस्य की एक कमेटी मानक निर्धारण संबंधी जांच करने हेतु गठित की गई है।

6.2.11 चिरे डोडा पोस्त के उत्पादन पर शिथिल नियंत्रण

आर.एन.डी.पी.एस. नियमों के प्रावधानानुसार प्रत्येक डोडा पोस्त उत्पादक कृषक को प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक उसके द्वारा अफीम, डोडा-पोस्त कृषि की भूमि एवं डोडा-पोस्त उत्पादन का प्रपत्र 'सी' में विवरण विभाग को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ऐसे प्रतयेक कृषक से संबंधित यही सूचनांए विभागद्वारा नारकोटिक्स विभाग में भी संकलित की जावेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभाग के जुलाई 1977 के परिपत्र में निर्धारित 500 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर के अनुरूप ही कृषकों द्वारा डोडा-पोस्त का स्टाक विभाग को प्रस्तुत घोषणा पत्र में घोषित किया गया है। नियमों में यह भी प्रावधान है कि कृषकों के अधिकार में पड़े डोडा-पोस्त के स्टाक को कृषक प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य या तो बंधित अनुज्ञाधारियों को विक्रय करे या आबकारी अधिकारियों की उपस्थति में इसे जला कर नष्ट किया जावेगा।

31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) राजस्थान सरकार के अनुच्छेद 6.2 में अफीम डोडा के उत्पादन, संग्रहण एवं विक्रय का विभाग के लेखों में कम लेखांकन का उल्लेख किया गया था। जन लेखा समिति ने अपनी रिपोर्ट (मार्च 2003) में अनुसंशित किया किः

- डोडा पोस्त के अवैध विक्रय को नियंत्रित करने के लिए उत्पादन के मानक निर्धारित किए जावें;
- विभाग को घोषण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले कृषकों के विरूद्ध अभियोग दर्ज किए जावें;
- नारकोटिक्स विभाग से अफीम उत्पादक कृषकों की सूची प्राप्त करने के पश्चात कृषकवार पंजिका का संधारण किया जावे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डोडा पोस्त के उत्पादन मानक के पुनर्निर्धारण एवं कृषक वार पंजिका संधारण से संबंधित जन लेखा समिति की सिफारिश पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। विभाग को घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले कृषकों के विरूद्ध अभियोग दर्ज करने के निर्देश यद्यपि राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2004 में दिये गए, परंतु इनकी भी पालना किया जाना लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय में इससे संबंधित एक भी विवरणी प्राप्त नहीं की गई।

नारकोटिक्स विभाग एवं आबकारी विभाग[4] के लेखों के प्रति सत्यापन में 6 जिला आबकारी कार्यलयों में पाया गया कि नारकोटिक्स विभाग के लेखों के अनुसार वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान 1,72,033 कृषकों द्वारा 32,166.091 हेक्टेयर भूमि पर अफीम की खेती की गई। परन्तु केवल 87,783 कृषकों द्वारा 16,752.627 हेक्टेयर भूमि पर डोडा-पोस्त की पैदावर के घोषणा पत्र राज्य आबकारी को प्रस्तुत किये गये। शेष कृषकों से, इनके द्वारा किये गये डोडा पोस्त उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु, कोई घोषणा पत्र प्राप्त करने के विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये। आबकारी विभाग के प्रचलित मानकों के आधार पर 32,166.091 हेक्टयर भूमि पर 1,60,830.455 क्विंटल डोडा पोस्त का उत्पादन होना था, परन्तु राज्य आबकारी विभाग के लेखों में 16,752.627 हेक्टेयर भूमि पर 78,382.10 क्विंटल डोडा पोस्त का उत्पादन ही दर्शाया गया। इस प्रकार 82,448.355 क्विंटल डोडा पोस्त, जिसमें 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 28.86 करोड़ रुपये का आबकारी शुल्क निहित है, का कम लेखांकन लेखों में किया गया।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया। परन्तु यह बताया गया कि सीमित कर्मचारियों से इतनी अधिक संख्या के कृषकों को भौतिक रूप से नियंत्रित करना कठिन कार्य है। यद्यपि तथ्य यह है कि राजस्व संग्रहण के साथ ही डोडा पोस्त उत्पादन के सामाजिक दुरूपयोग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक सुनिश्चत नियंत्रण प्रणाली स्थापित किया जाना आवश्यक है।

6.2.12 आबकारी वस्तुओं का अनिस्तारण

6.2.12.1 वर्ष 2005-06 की आबकारी नीति में 1 अप्रैल 2005 से राज्य में शोधित प्रासव से बनी भा.नि.वि.म. का उत्पादन एवं विक्रय बंद करने का निर्णय लिया गया। परन्तु आसवकों के पास 31 मार्च 2005 को शेष रहे ऐसी मदिरा के स्टॉक के निस्तारण के तरीके का नीति में कोई उल्लेख नहीं किया गया।

पाँच जिला आबकारी कार्यालयों[5] में देखा गया कि 10 आसवक[6] जिनके द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान शोधित प्रासव से भा.नि.वि.म. का निर्माण किया जा रहा था, 1 अप्रैल 2005 से निर्माण बन्द कर दिये जाने के परिणामस्वरूप उनके पास 31 मार्च 2005 को 2,75,795.317 प्रुफ लीटर शोधित प्रासव एवं 2,97,427.745 प्रुफ लीटर शोधित प्रासव से बनी भा.नि.वि. मदिरा निस्तारण के अभाव में स्टॉक में शेष थी। नीति में प्रावधान के अभाव में यह उत्पाद अनिस्तारित रहा, जो अब तक आसवकों के स्वामित्व में पड़ा है। परिणामस्वरूप राशि 9.74 करोड़ रुपये आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

6.2.12.2 राजस्थान आसवनी नियम, 1976 के प्रावधानानुसार अनुज्ञापत्र की समाप्ति पर, जब तक आसवक को नया अनुज्ञापत्र प्रदत्त नहीं कर दिया जावे, आसवक

---

[4] बांरा, भीलवाड़ा, चित्तोडगढ़, झालावाड़, कोटा एवं उदयपुर।

[5] अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर।

[6] ग्लोबस एग्रोनिक्स डिस्टलरी, गोल्डन बोटलिंग प्लांट, तुलसी बोटलर्स, रजवाड़ा बेवरेज, राजस्थान लिकर्स, रीयल बेवरेज, शिवालिक किनेमा, आर एन प्रॉडक्ट, शोर प्रॉडक्ट एवं व्यंकटेश बोटलिंग प्लांट।

आसवनी में शैष स्प्रिट पर आबकारी शुल्क भुगतान के लिय बाध्य होगा। आसवक 10 दिवस के अन्दर शेष स्प्रिट को आसवनी से हटायेगा, ऐसा नहीं किये जाने पर स्प्रिट को आबकारी आयुक्त के विवेकानुसार अधिग्रहण किया जा सकेगा।

छः जिला आबकारी कार्यालयों[7] में देखा गया कि सात आसवनियों[8] एवं एक बंधित भण्डागार का अनुज्ञापत्र 31 मार्च 2005 को समाप्त हो गया, इन्हें कोई नया अनुज्ञापत्र जारी नहीं किया गया। अनुज्ञापत्र समाप्ति पर इनके स्टॉक में 59,267.218 प्रुफ लीटर शोधित प्रासव, माल्ट स्प्रिट, परिशोधित प्रासव एवं 59,533.653 प्रुफ लीटर भा.नि.वि. मदिरा शेष पडी थी। एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अनुज्ञाधारियों द्वारा शेष स्टॉक पर आबकारी शुल्क जमा नहीं कराया गया। विभाग द्वारा स्टॉक का अधिग्रहण करने की कार्यवाही नहीं की गई, यहाँ तक कि स्टॉक पर देय आबकारी शुल्क के जमा कराने का एक भी नोटिस जारी नहीं किया गया। विभाग के स्तर पर निष्क्रियता के कारण राजकोष को राशि 2.06 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क से वंचित रहना पड़ा।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग/सरकार द्वारा दोनों लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया गया। आगे की गई कार्यवाही के संबंध में सूचित नहीं किया गया।

6.2.13 क्षय के कारण राजस्व हानि

6.2.13.1 राजस्थान शीरा नियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार शीरा उत्पादक शीरे को लीक प्रुफ टेंक/गढ्ढों में संग्रहण करेगें, जिन्हें सही हालत में रखा जायेगा। शीरे की संग्रहण में हानि या सूखना दो प्रतिशत से ज्यादा हो तो आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के बिना इस क्षति को स्वीकार नहीं किया जायेगा। आबकारी अधिनियम/ नियमों में शीरा कम पाये जाने पर दण्ड वसूली का कोई प्रावधान नहीं है।

श्रीगंगानगर स्थित आसवनी में देखा गया कि 31 मार्च 2001 को 18,393.27 क्विंटल शीरा स्टॉक में था। परंतु आसवनी द्वारा गठित कमेटी द्वारा जून 2001 में किये गये भौतिक सत्यापन में शीरे का स्टॉक 4,082 क्विंटल ही पाया गया। शीरे की यह क्षति देय दो प्रतिशत क्षति से 3,515.44 क्विंटल ज्यादा थी। शीरे की क्षति को अनुज्ञाधारी द्वारा आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के बिना ही स्वीकार कर लिया गया, जो सही नहीं था। कम पाये गये शीरे से 3,39,318 प्रुफ लीटर शोधित प्रासव प्राप्त किया जा सकता था, जिस पर राशि 3.39 करोड़ रुपये का आबकारी शुल्क आकर्षित होता।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि शीरे की क्षति पर नियमों में आबकारी शुल्क लिये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण आबकारी शुल्क वसूल नहीं किया गया। परन्तु तथ्य यह है कि अधिक क्षति को आबकारी आयुक्त की स्वीकृति के बिना ही स्वीकार कर लिया गया। अतः राजकोष के राजस्व हितों को ध्यान में रखते हुए देय क्षति से अधिक क्षति पर अधिनियम में दण्डनीय प्रावधान लाये जाने के सिफारिश की जाती है।

---

[7] अलवर, जयपुर जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं सिरोही।

[8] सम्राट बाटलर्स, जयपुर बोटलिंग प्लांट, सिंधु वेली बोटलिंग प्लांट, शोर प्रॉडक्ट, के.के. इण्डस्ट्रीज, इन्टरलिंक बोटलिंग प्लांट, आर एन प्रॉडक्ट लि. एवं मेक्डॉवल एण्ड कंपनी 47(1)(ए)।

6.2.13.2 राजस्थान मदिरा के (आसवनियों और भण्डागारों में) स्टॉक ग्रहण और अपचय संबंधि नियम, 1959 के अनुसार आसवनी एवं भण्डागार में संग्रहित शोधित प्रासव, परिपक्व एवं मसालेदार प्रासव के संग्रहण में क्षति क्रमशः 0.4 प्रतिशत एवं 0.3 प्रतिशत से अधिक देय नहीं होगी। यदि संपूर्ण क्षति 3 प्रतिशत से अधिक हो तो संपूर्ण क्षति पर आबकारी शुल्क प्रभारित किया जायेगा।

तीन जिला आबकारी कार्यालयों[9] में देखा गया कि 3 आसवनियों के पास 31 मार्च 2003 को 1,93,181.965 प्रुफ लीटर शोधित प्रासव, माल्ट स्प्रिट एवं परिशुद्ध प्रासव स्टॉक में पड़ा था। विभाग द्वारा जनवरी 2004 से अक्टूबर 2004 के मध्य किये गये भौतिक सत्यापन में प्रासव की मात्रा 1,70,404.84 प्रुफ लीटर ही स्टॉक में पायी गयी। कम पायी गई मात्रा 22,777.125 प्रुफ लीटर 3 प्रतिशत से अधिक होने के कारण मुक्त क्षति अनुज्ञेय नहीं थी। परन्तु नियमों में प्रावधान होने पर भी आबकारी शुल्क की कोई वसूली नहीं की गई, जिससे आबकारी शुल्क की राशि 26.96 लाख रुपये की अवसूली रही।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि क्षति पर आबकारी शुल्क प्रभार्य नहीं है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमों में क्षति पर आबकारी शुल्क वसूल किये जाने का प्रावधान है।

6.2.13.3 राजस्थान मदिरा के (आसवनियों और भण्डागारों में) स्टॉक ग्रहण और अपचय संबंधी नियम 1959 के अन्तर्गत बन्ध पत्राधीन अयातित या परिवहनित प्रासव के अभिवहन में रिसाव, वाष्पीकरण या अन्य अपरिहार्य कारणों से हुई वास्तविक हानि को समय-समय पर निर्धारित सीमा तक स्वीकार किया जायेगा। अनुमत्य सीमा से अधिक क्षति पर शुल्क प्रभारित किया जायेगा।

छः जिला आबकारी कार्यालयों[10] में देखा गया कि वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान बंध पत्राधीन परवहनित शोधित प्रासव में अनुमत्य क्षति से 16,164.796 प्रुफ लीटर अधिक क्षति मान्य कर दी गई। राजस्व की कमी को न तो संबंधित जिला आबकारी अधिकारी और न ही आबकारी आयुक्त जिसे कि क्षति से संबंधित मासिक

---

[9] अलवर, चित्तोडगढ़ एवं श्रीगंगानगर।

[10] अलवर, बीकानेर, चित्तोडगढ़, दौसा, जयपुर (अभि.) एवं जोधपुर (अभि.)।

विवरणी प्रस्तुत की गई, पता लगा पाये। इस त्रुटि के कारण आबकारी शुल्क राशि 19.88 लाख रुपये की निम्नानुसार कम वसूली की गईः-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	कार्यालय का नाम	ली गई रास्ता क्षति (प्रुफ लीटर)	अधिकतम अनुमत्य क्षति (प्रुफ लीटर)	मान्य की गई अधिक रास्ता क्षति (प्रुफ लीटर)	सन्निहित आबकारी शुल्क	
						दर प्रति प्रुफ लीटर	राशि .
1.	2003-04	जि.आ.अ., जोधपुर	894.94	365.41	529.53	100	0.53
2.	2003-04	जि.आ.अ., दौसा	891.26	122.90	768.36	100	0.77
3.	2004-05	जि.आ.अ., अलवर	13,104.183	478.312	12,625.871	125	15.78
4.	2004-05	जि.आ.अ., दौसा	176.10	66.64	109.46	125	0.14
5.	2004-05	जि.आ.अ., बीकानेर	635.936	314.172	321.764	125	0.40
6.	2004-05	जि.आ.अ., चित्तोड़गढ़	1,197.566	554.18	643.386	125	0.80
7.	2004-05	जि.आ.अ., जयपुर	1,644.793	478.368	1,166.425	125	1.46
	योग		**18,544.778**	**2379.982**	**16,164.796**		**19.88**

यह ध्यान दिलाये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर, बीकानेर एवं जयपुर ने अवगत कराया कि वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये गये हैं। जिला आबकारी अधिकारी अलवर ने अवगत कराया कि राशि 1.13 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है।

6.2.14 पी पी सील एवं पाऊच चार्जेज के आरोपण का अभाव

राज्य सरकार ने मार्च 1995 एवं अप्रैल 1998 में निर्धारित किया कि मै.राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा अनुज्ञाधारियों से पी पी सील[11] एवं पॉली पाऊच चार्जेज क्रमशः 1 रुपये प्रति बोतल तथा 0.56 रुपये प्रति पाऊच की दर से वसूल किये जावें। इसके बदले में मै.आर.एस.जी.एस.एम.लि. राजकोष में पी पी सील्स एवं पॉली पाऊच चार्जेज के 0.25 रुपये प्रति बोतल एवं 0.31 रुपये प्रति पाऊच की दर से जमा करायेगा।

जयपुर में यह पाया गया कि वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान जन जाति क्षेत्र के अनुज्ञाधारियों को 28,533 बोतल एवं 2,32,65,400 पॉली पाऊच जारी किये गये थे। मै. आर.एस.जी.एस.एम. लि. द्वारा राशि 72.19 लाख रुपये पी पी सील एवं पाऊच चार्जेज के रूप में राजकोष में जमा कराये जाने थे। तथापि न तो मै. आर.एस.जी.एस.एम. लि. द्वारा राशि जमा कराई गयी और न ही जिला आबकारी

[11] पिल्फर प्रुफ सील।

अधिकारी द्वारा इसकी मांग की गई। परिणामस्वरूप राशि 72.19 लाख रुपये की अवसूली रही।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया कि यह प्रकरण वसूली हेतु राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

6.2.15 चिरे डोडा पोस्त एवं मदिरा समूहों की निविदा प्रक्रियाओं में बेनामी व्यक्तियों का भाग लिया जाना

वर्ष 2002 से पूर्व निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये राजस्व अधिकारी से प्रमाणित हैसियत प्रमाणपत्र आबकारी विभाग में प्रस्तुत कर पंजीयन कराना आवश्यक था, जिसमें निवास स्थान सहित अन्य प्रमाणिक जानकारियां उपलब्ध होती थी। परंतु 1 अप्रैल 2002 से इस प्रावधान को नियमों से मुक्त कर दिया गया। मुक्त किये गये प्रावधान की दृष्टि से की गई मापक जांच में देखा गया किः

6.2.15.1 चित्तोड़गढ़ में वर्ष 2003-04 के दौरान डोडा पोस्त विक्रय हेतु दो व्यक्तियों को उनके द्वारा प्रस्तुत उच्चतम निविदा के आधार पर डोडा पोस्त समूह प्रतापगढ़ एवं बेंगू रावतभाटा 7 मार्च 2003 को स्वीकृत किए गए। एक अन्य समूह छोटी सादड़ी भी वर्ष 2004-05 के लिये उच्चतम निविदा के आधार पर 27 फरवरी 2004 को स्वीकृत किया गया। इस प्रकार तीनों समूह वार्षिक अनुज्ञा फीस राशि 7.79 करोड़ रुपये पर स्वीकृत किए गए। अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए अनुज्ञाधारियों से 33.33 प्रतिशत धरोहर राशि जमा कराने हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किये गये। परन्तु निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्रों में अंकित निवास स्थान के गलत होने के कारण स्वीकृतियां सुपुर्द नहीं की जा सकी। स्वीकृत पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय के नाटिस बोर्ड पर भी चस्पा किये गये थे। आबकारी आयुक्त द्वारा इन स्वीकृतियों को 21 मार्च 2003 एवं 11 मार्च 2004 को दोषी अनुज्ञाधारियों की जोखिम एवं लागत पर निरस्त करते हुए अगले उच्च निविदादाताओं के पक्ष में राशि 3.76 करोड़ रुपये की अनुज्ञा फीस पर पुनः स्वीकृत किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किये गये राशि 4.03 करोड़ रुपये (7.79 करोड़ रुपये - 3.76 करोड़ रुपये) के मांग पत्र वर्णित गाँव के अस्तित्व में नहीं होने व गलत पते के कारण विभागको वापस लौट आये। इस प्रकार निविदा की प्राप्ति के समय निविदा में अंकित निवास स्थान की सत्यता सुनिश्चित नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप राशि 4.03 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

6.2.15.2 चूरू में देखा गया कि वर्ष 2003-04 में चूरु समूह के देशी/भा.नि.वि. मदिरा/बीयर खुदरा विक्रय की अनुज्ञा स्वीकृति निविदादाता द्वारा प्रस्तुत उच्चतम निविदा के आधार पर रतलाम, मध्यप्रदेश (म.प्र.) के निवासी के पक्ष में राशि 17.08 करोड़ रुपये पर दिनांक 12 मार्च 2003 को स्वीकृत की गई। निविदा शर्तों के अनुसार राशि 1.71 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं किये जाने पर भी अनुज्ञाधारी को 1 अप्रैल 2003 से 26 जून 2003 तक समूह का संचालन करने दिया गया। अनुज्ञाधारी मासिक गारंटी राशि 188.12 लाख रुपये एवं उस पर देय ब्याज के जमा कराने में असफल रहा। अनुज्ञापत्र 26 जून 2003 को दोषी अनुज्ञाधारी के जोखिम एवं लागत पर निरस्त

करते हुए 28 जून 2003 को वर्ष के शेष अवधि हेतु 10.58 करोड़ रुपये पर पुनः स्वीकृत किया गया। राशि 4.59 करोड़ रुपये का राजस्व वसूली प्रमाण पत्र कलक्टर, रतलाम (म.प्र.) को प्रेषित किया गया। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अप्रस्तुत बैंक गारंटी पर देय ब्याज की राशि 8.54 लाख रुपये को मांग पत्र की राशि में शामिल नहीं किया गया। लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए विभाग द्वारा जारी किया गया राशि 4.68 करोड़ रुपये का संशोधित राजस्व वसूली प्रमाण पत्र वर्णित पते पर व्यक्ति के अस्तित्व में नहीं होने की टिप्पणी के साथ वापस लौट आया।

इन प्रकरणों के ध्यान दिलाये जाने पर विभाग द्वारा स्वीकार किया कि अनुज्ञापत्र बेनामी व्यक्तियों को स्वीकृत किये गये। अतः निविदा प्रक्रिया में बेनामी व्यक्तियों के भाग लेने को रोकने हेतु अधिनियम/नियम में आवश्यक प्रावधान किये जाने की सिफारिश की जाती है।

6.2.16 आबकारी शुल्क की कम वसूली

वर्ष 2004-05 की आबकारी नीति के अनुसार भा.नि.वि.म. पर आबकारी शुल्क मदिरा के किस्म एवं विक्रय मूल्य के आधार पर लिया जाना था। राज्य सरकार द्वारा आबकारी शुल्क निम्नांकित अधिसूचित किया गया:-

क्र. स.	मदिरा निर्माता द्वारा घोषित बोतल के केस के अधिकतम विक्रय मूल्यानुसार	आबकारी शुल्क (रुपये प्रति प्रुफ लीटर)
(अ)	रुपये 300 तक	125
(ब)	रुपये 300 से अधिक परंतु रुपये 1500 तक	150
(स)	रुपये 1,500 से अधिक परंतु रुपये 3,000 तक	200
(द)	रुपये 3,000 से अधिक	300

सरकार द्वारा अध्धों एवं पव्वों के अधिकतम विक्रय मूल्य पर लिए जाने वाले आबकारी शुल्क को अधिसूचित नहीं किये जाने से विभाग द्वारा बोतल के विक्रय मूल्य के ही घोषणा पत्र मदिरा निर्माताओं से प्राप्त किए गए।

मदिरा पर चुकाए गए आबकारी शुल्क एवं मदिरा निर्माताओं द्वारा जारी किए गए मदिरा विक्रय बिलों के सत्यापन में पाया गया कि अध्धों के 18,452 कार्टन एवं पव्वों के 82,315 कार्टन घोषित मूल्य से उच्च मूल्य पर विक्रय किए गए। अध्धों एवं पव्वों पर देय आबकारी शुल्क की अधिसूचना में शामिल नहीं किए जाने के कारण विभाग द्वारा अध्धों एवं पव्वों पर भी बोतल के घोषित मूल्य के आधार पर आबकारी शुल्क प्रभारित किए

जाने के कारण राशि 1.66 करोड़ रुपये के आबकारी शुल्क की निम्न विवरणानुसार अपवंचना हुई:-

विक्रित कार्टन संख्या		उत्पादक द्वारा प्रभारित विक्रय मूल्य (रुपये प्रति कार्टन)		निहित प्रुफ लीटर	विभाग द्वारा प्रभारित आबकारी शुल्क (रुपये)	देय आबकारी शुल्क (रुपये)	आबकारी शुल्क अन्तर राशि (करोड़ रुपये में)
अध्धा	पव्वा	अध्धा	पव्वा				
18,307	82,195	305 से 320	320 से 339	6,56,195.85	8,20,24,481 (125 प्रति एल पी एल की दर से)	9,84,29,377 (150 प्रति एल पी एल की दर से)	1.64
145	120	3100	3200	1,756.35	3,51,270 (200 प्रति एल पी एल की दर से)	5,26,905 (300 प्रति एल पी एल की दर से)	0.02
योग					**8,23,75,751**	**9,89,56,282**	**1.66**

यह ध्यान दिलाए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि यह राज्य सरकार का निर्णय था क्योंकि एक ही किस्म पर अलग अलग दर से शुल्क प्रभारित नहीं किया जा सकता। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आबकारी नीति में बोतल के माप को ध्यान में रखे बगैर मदिरा की किस्म एवं विक्रय मूल्य पर आबकारी शुल्क लिए जाने का प्रावधान है।

6.2.17 ब्याज की अवसूली

आबकारी अधिनियम में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा शुल्क, फीस या अन्य देय मांग की राशि देय दिनांक तक नहीं चुकाई जाती तो देरी की अवधि पर वर्ष 2002-03 तक दो प्रतिशत एवं उसके पश्चात 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज प्रभारित किया जावेगा।

राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड (आर.एस.जी.एस.एम.) द्वारा आयातित एवं परिवहनित शोधित प्रासव के परमिट जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर द्वारा जारी किए जाते हैं जो देय परमिट फीस पर भी निगरानी रखते हैं। जयपुर में देखा गया कि 1,543.01 लाख बी.एल. शोधित प्रासव आयात/परिवहन करने हेतु आर.एस.जी.एस.एम. के पक्ष में परमिट जारी किए गए। परमिट जारी होने से पूर्व देय परमिट फीस की राशि 46.02 करोड़ रुपये आर.एस.जी.एस.एम. द्वारा नौ से 144 दिनों की देरी से जमा कराई गई। देरी की अवधि पर देय ब्याज की राशि 1.04 करोड़ रुपये न तो जमा कराई गई ना ही विभाग द्वारा वसूल की गई।

ध्यान दिलाये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रकरण वसूली हेतु राज्य सरकार को भेजा गया है।

6.2.18 एकाकी विशेषाधिकार राशि की कम वसूली

वर्ष 2003-04 के देशी मदिरा, भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार अनुज्ञापत्र की समाप्ति पर बचे हुए मदिरा के स्टॉक पर एकाकी विशेषाधिकार[12] राशि के प्रति दिया गया भराव[13] अमान्य किया जाकर कम कर दिया जायेगा।

चार जिला आबकारी कार्यालयों[14] में देखा गया कि अनुज्ञाधारियों की 14,500 बी.एल. देशी मदिरा 10,248.84 बी.एल. भा.नि.वि.म. एवं 936 बी.एल. बीयर अधिग्रहित कर अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध आबकारी अभियोग पंजीकृत किए गए। अधिग्रहण के कारण मदिरा की यह मात्रा अनुज्ञा अवधि के अंत तक अनिस्तारित रही। अतः अनुज्ञाधारियों को इस मदिरा पर दया गया भराव अनियमित एवं अनुज्ञापत्र की शर्तों के विरूद्ध हुआ। इससे राशि 10.18 लाख रुपये के एकाकी विशेषाधिकार राशि की कम वसूली रही।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभागद्वारा अवगत कराया गया कि वसूली की कार्यवाही जारी है।

6.2.19 शास्ति की कम वसूली

राजस्थान आबकारी अधिनियम एवं देशी/भा.नि.वि.मदिरा/बीयर खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्रों की शर्तों के अनुसार यदि अनुज्ञाधारी या उसका प्रतिनिधि अवैध रूप से मदिरा का परिवहन करते हुए पाया जाता है तो प्रत्येक ऐसे अपराध पर कम से कम पाँच लाख रुपये का दण्ड उस पर आरोपित किया गया।

जयपुर, झालावाड़ एवं चूरू में देखा गया कि वर्ष 2004-05 के दौरान तीन व्यक्तियों के विरूद्ध 13 आबकारी अभियोग पंजीकृत किये गये। इन व्यक्तियों द्वारा किये गये अपराधों की संख्या को ध्यान में रखे बिना विभाग द्वारा व्यक्तियों की संख्या के आधार पर शास्ति आरोपित राशि 65 लाख रुपये के स्थान पर विभाग द्वारा तीन व्यक्तियों पर राशि 15 लाख रुपये की शास्ति वसूल किये जाने से राशि 50 लाख रुपये की शास्ति कम वसूल हुई।

यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया। वसूली हेतु की गई कार्यवाही उपलब्ध नहीं कराई गई।

6.2.20 निष्कर्ष

राज्य आबकारी राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली अप्रभावी पाई गई अतः आबकारी राजस्व की उपयुक्त एवं समायोजित प्राप्तियाँ सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली के सुगठित किये जाने की आवश्यकता।

---

[12] एकाकी विशेषाधिकार की राशि वह राशि है जिस पर किसी वर्ष में मदिरा विक्रय का अनुज्ञापत्र अनुज्ञाधारी को स्वीकृत किया जाता है। जिसकी 12 मासिक किश्तें होती है।

[13] एकाकी विशेषाधिकार राशि के विरूद्ध दी गई जमा।

[14] अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा एवं सीकर।

राजस्व बकाया प्रकरणों के मोद्रिक मूल्यों में उच्चतर झुकाव पाया गया।

आबकारी वस्तुओं के उत्पादन, निस्तारण एवं अधिकतम सीमा से अधिक क्षय पर शास्ति के संबंध में मानक निर्धारण किये जाने हेतु आबकारी अधिनियम/नियमों में मुखर प्रावधानों का अभाव पाया गया।

चिरे डोडा पोस्त उत्पादन, संग्रहण एवं विक्रय तथा इसके दुरूपयोग के संबंध में लोक लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने में प्रशासनिक विभाग असफल रहा। अतः राज्य के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिये अधिनियम/नियमों में आवश्यक परिवर्तन/संशोधन लाये जावें।

6.2.21 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को मई 2006 में सरकार/विभाग को सूचित किया गया। समीक्षा के निष्कर्षों पर परिचर्चा करने हेतु लेखापरीक्षा समीक्षा समिति (ए.आर.सी.) की बैठक 6 जुलाई 2006 को आयोजित की गई, ताकि समीक्षा को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार/विभाग के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जा सके। सरकार का प्रतिनिधित्व शासन सचिव (वित्त) एवं आबकारी विभाग का प्रतिनिधित्व आबकारी आयुक्त एवं वित्तीय सलाहकार द्वारा किया गया। सरकार/विभाग द्वारा प्रकट किये गये दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समीक्षा को अंतिम रूप दिया गया है।

6.3 राजस्थान राज्य आबकारी राजस्व प्रणाली में कम्प्यूटरीकरण

प्रणाली का उपयोग कम होना

6.3.1 जून 2002 में, राजस्थान राज्य आबकारी विभाग (विभाग) द्वारा राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2000 के क्रियान्वयन के लिए अपनी मुख्य राजस्व पैदा करने वाली गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण करने के उद्देश्य से अपनी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, जिसमें सर्वर प्रशासन एवं प्रबन्ध भी शामिल हैं, को तायल सॉफ्टवेअर कन्सलटेन्सी सर्विसेज, उदयपुर (विक्रेता) को आउटसोर्स आधार पर प्रदान की गई थी। विभाग ने अपने कम्प्यूटरीकरण के प्रयासों पर 71.02 लाख रुपये व्यय किये जिसमें 21.50 लाख रुपये सॉफ्टवेअर विकसित करने तथा उसको क्रियान्वित किए जाने पर व्यय शामिल था।

जून 2005 से सितम्बर 2005 के दौरान प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा की गई थी जिसमें 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 की अवधि के लिए इन्टर एक्टिव डेटा एक्सट्रेक्शन एण्ड एनालिसिस के माध्यम से आँकड़ों का विश्लेषण शामिल था। विश्लेषण के परिणामों को तीन जिला आबकारी कार्यालयों, जयपुर, अलवर एवं सीकर की नमूना जाँच के माध्यम से सत्यापित किया गया था। नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि जयपुर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा केवल भारत निर्मित विदेशी मदिरा

(आई.एम.एफ.एल.) के संबंध में ही अपने कार्य-परिचालनों का कम्प्यूटरीकरण किया गया था तथा अन्य आबकारी शुल्क योग्य माल के संबंध में मैन्यूअल कार्यों/रिकार्ड रखरखाव पर निर्भर रहना जारी रखा गया। अन्य दो जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा भी अपने कार्य-परिचालनों का कम्प्यूटरीकरण किया गया था, परंतु वे अपने सभी आबकारी शुल्क योग्य माल के संबंध में मैन्युअल कार्य-चालन/रिकार्ड रखरखाव पर निर्भर रह रहे थे। लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निम्नलिखित बिन्दु सामने आएः-

प्रबन्धन में परिवर्तन का अभाव

6.3.2 अधिसूचना दिनांक 5 अगस्त 2004 के अनुसार देशी मदिरा के लिए अनुज्ञा-पत्र शुल्क की दर 6 रुपये प्रति बल्क लीटर (बी.एल.) से 8 रुपये प्रति बी.एल. संशोधित की गई थी। इसी प्रकार इसी उपर्युकत दिनांक से इसके साथ-साथ ही आई.एम.एफ.एल. के लिए अनुज्ञापत्र शुल्क की दर भी 1 रुपये प्रति बल्क लीटर से 4 रुपये प्रति बल्क लीटर संशोधित की गई थी।

पूरे राज्य के डेटाबेस के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 6 जिला आबकारी अधिकारियों के देशी मदिरा के 26 मामलों में तथा 6 जिला आबकारी अधिकारियों के आई.एम.एफ.एल. के 51 मामलों में 2004-05 के दौरान अधिसूचित दर के अनुसार अनुज्ञापत्र शुल्क प्रभारित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 6.36 लाख रुपये का कम उदग्रहण हुआ।

जिला आबकारी अलवर की एक कम्प्यूटरीकृत इकाई की नमूना जाँच में पाया गया कि आठ मामलों में विभाग द्वारा अन्तर की राशि मैन्यूअल तौर पर वसूल की गई थी। तथापि, इन आठ मामलों में डेटाबेस अद्यतन नहीं किए गए थे।

6.3.3 यह पाया गया कि 10 कार्यालयों[15] द्वारा आबकारी ड्यूटी 64.54 लाख रुपये के 63 अनुज्ञापत्र तथा अनुज्ञापत्र शुल्क 12.16 लाख रुपये के 70 अनुज्ञापत्र वास्तव में उपुर्यक्त ड्यूटी/शुल्क प्रभारित किए बिना जारी कर दिए गए थे। एक इकाई (डी.ई.ओ. अलवर) की नमूना जाँच में पाया गया कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों को 42 अनुज्ञापत्र आबकारी ड्यूटी राशि 45.72 लाख रुपये तथा अनुज्ञापत्र शुल्क 7.62 लाख रुपये मैन्युअल तौर पर प्रभारित कर बिना डेटाबेस को अद्यतन किए जारी किए गए थे।

6.3.4 0.63 लाख रुपये के अनुज्ञापत्र शुल्क के आई.एम.एफ.एल. के तीन[16] अनुज्ञापत्र बिना देय अनुज्ञापत्र शुल्क प्रभारित किए ही जारी कर दिए गए।

इसको सूचित किए जाने के पश्चात विभाग ने जुलाई 2006 में उत्तर दिया कि सिस्टम द्वारा जयपुर डी.ई.ओ. द्वारा जारी दो अनुज्ञापत्रों के मामलों में अनुज्ञापत्र शुल्क प्रभारित नहीं किया गया था। अतः इसे डेटाबेस से विलोपित कर दिया गया था। उत्तर मान्य नहीं

[15] अलवर, बाड़मेर, बून्दी, हनुमानगढ़, झालावाड़, झुन्झुनू, नागौर, पाली, सीकर तथा सवाई माधोपुर।

[16] जयपुर के दो मामले तथा बीकानेर का एक मामला।

था, क्योंकि जयपुर डी.ई.ओ. की नमूना जांच में यह पाया गया कि ये अनुज्ञापत्र देय शुल्क प्रभारित किए बिना ही जारी तथा उपयोग में लाए गए थे।

6.3.5 राज्य के डेटाबेस के विश्लेषण में पाया गया कि 57 मामलों में अनुज्ञापत्र उनमें जारी की गई मात्रा को दर्शित किए बिना जारी किए गए थे। यह इंगित करता है कि डेटाबेस में संदर्भ की सत्यनिष्ठा तथा त्रुटि का पता लगाने के लिए पर्याप्त नियंत्रण कार्य प्रणाली का भी अभाव था।

डेटाबेस में अनियमितताएं

6.3.6 एक उचित डेटाबेस सिस्टम के लिए लेखा संधारण हेतु सही क्रियाविधि की अनुपालना की जाना आवश्यक होता है। जयपुर डी.ई.ओ. कार्यालय के डेटाबेस विश्लेषण में पाया गया कि आठ में से चार मामलों में 72.50 लाख रुपये के राजस्व के आवश्यक चालानों के बिना ही परेषितियों को अनुज्ञापत्र जारी कर दिए गए थे।

इन मामलों की नमूना जाँच में पाया गया कि अनुज्ञापत्रों को जारी किए जाने के लिए जमा की गई राशि की प्रविष्टियों पर चार मामलों में आर.सी.आर. संख्या दर्ज थी तथा अन्य चार मामलों में कोई आर.सी.आर. संख्या नहीं थी, यद्यपि दिनांक एवं राशि समान थी।

आगे यह पाया गया कि दो मामलों में 7.31 लाख रुपये की राजस्व के आवश्यक चालानों के बिना ही परेषितियों को अनुज्ञापत्र जारी कर दिए गए थे, यद्यपि इसे डेटावेस में दर्ज कर लिया गया था।

इसको सूचित किए जाने के पश्चात विभाग ने जुलाई 2006 में उत्तर दिया कि उनके पास ये चालान उपलब्ध नहीं थे।

6.3.7 राशि 5.45 लाख रुपये के आबकारी ड्यूटी के देशी मदिरा के नौ सौदों में निर्धारित आबकारी ड्यूटी से कम प्रभारित की गई थी। यद्यपि कम ड्यूटी की मैन्यूअल तौर पर वसूली कर ली गई थी परन्तु डेटाबेस को अद्यतन नहीं किया गया था। इस प्रकार अनियमितताओं से दर्शित होता है कि डेटाबेस में सत्य निष्ठा का अभाव था।

डेटाबेस की विश्वसनीयता का अभाव

6.3.8 सभी डी.ई.ओ. स्तर पर दर्ज किए गए आँकड़ों के संबंध में चालान सन्दर्भ संख्या, अनुज्ञापत्र सन्दर्भ संख्या तथा अनुज्ञापत्र संख्या (सभी स्वचालित रूप से जनरेट होती है) में अन्तराल थे। इससे दर्शित हुआ कि मामलों को पूर्ण रूप से विलोपित किया जा रहा था। क्योंकि अनुप्रयोग में ऐसे विलोपन की अनुमति थी, इससे आँकड़ों की सुरक्षा को खतरा था तथा कपट की जोखिम बढ़ गई थी।

31 मार्च 2005 को, दो डी.ई.ओ. (जयपुर एवं सीकर) के देशी मदिरा का डेटाबेस दो परेषितियों के विरूद्ध आबकारी शुल्क का क्रेडिट शेष दर्शाता था जबकि इन डी.ई.ओ. के मैन्यूअल रिकार्ड इन परेषितियों के विरूद्ध शुन्य शेष प्रदर्शित करते थे। इससे दर्शित

हुआ कि सिस्टम के बावजूद विभाग द्वारा शून्य शेष वाले पारेषितियों को अनुज्ञापत्र जारी किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया कि वर्ष 2004-05 में, सिस्टम के माध्यम से उगाहे गए राजस्व (1,200.20 करोड़ रुपये) तथा लेखास्कंध द्वारा मैन्यूअल तौर पर संकलित राजस्व आँकड़ों (1,276.06 करोड़ रुपये) के मध्य 76 करोड़ रुपये का अन्तर था।

इसको सूचित किए जाने के पश्चात विभाग ने सितम्बर 2005 में बताया कि 2004-05 में सिस्टम प्रारम्भिक अवस्थाओं में था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि सिस्टम अक्टूबर 2002 से कार्यरत था तथा इसके निवेश और निर्गम रिपोर्टों की यथोचित जांच एवं सत्यापन तकनीकी परामर्शदाता (राजकोम्प) एवं अन्तिम उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया था।

6.3.9 निष्कर्ष

सिस्टम में पायी गयी कमियों के कारण यह अविश्वसनीय हो गया तथा इसमें सन्दर्भ सत्यनिष्ठा, आँकड़ों की सत्यनिष्ठा, परिवर्तन करने के प्रबन्धन की क्रियाविधि तथा नियंत्रण कार्यप्रणाली का भी अभाव हो गया। इस प्रकार डी.ई.ओ. मुख्य रूप से मैन्यूअल कार्यचालन एवं रिकार्ड रखरखाव पर ही निर्भर थे जिससे राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुसार कम्प्यूटरीकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई तथा कम्प्यूटरीकरण पर 71.02 लाख रुपये के व्यय का कम उपयोग हुआ।

अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2005-06 के दौरान खान एवं भू-विज्ञान विभाग, वित्त, वन एवं सिंचाई विभाग के अभिलेखों की मापक जांच में 1,438 मामलों में 271.14 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली का पता चला, जो कि मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
अ. वित्त विभाग			
1.	ब्याज प्राप्तियों की कम/अवसूली	1	20.85
ब. वन विभाग			
2.	उच्चतम निविदा स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण राजस्व हानि	1	0.07
स. खान एवं भू-विज्ञान विभाग			
3.	स्थिर भाटक/अधिशुल्क की कम वसूली/अवसूली	369	17.29
4.	अनाधिकृत उत्खनन	307	74.14
5.	धरोहर राशि का जब्त न करना	203	1.49
6.	शास्ति/ब्याज का अनारोपण	198	13.56
7.	अन्य अनियमितताऐं	358	143.34
द. जल संसाधन (सिंचाई) विभाग			
8.	साधारण मिट्टी पर अधिशुल्क की अवसूली	1	0.40
	योग	**1,438**	**271.14**

वर्ष 2005-06 के दौरान विभाग ने 584 मामलों में 62.45 करोड़ रुपये की कम वसूली आदि को स्वीकार किया जिसमें से 39.93 करोड़ रुपयों के 405 मामले वर्ष 2005-06 के दौरान तथा शेष मामले पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये। इसके अतिरिक्त, विभाग ने 321 मामलों में 5.21 करोड़ रुपये की वसूली की जिसमें से 61.09 लाख रुपयों के 46 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2005-06 के दौरान तथा शेष मामले पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी होने के बाद 2005-06 के दौरान ध्यान में लाये गये एक प्रकरण में विभाग ने 66.55 लाख रुपये वसूल कर लिये।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें 155.10 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, के मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उल्लेख अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया है:

अ. वित्त विभाग

7.2 ब्याज प्राप्तियों की कम/अवसूली

7.2.1 प्रस्तावना

ब्याज प्राप्तियाँ राजस्थान सरकार की कर-इतर प्राप्तियों के मुख्य स्रोतों में से एक है जो कि वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी समितियों, स्थानीय निकायों, सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को विभिन्न उद्दश्यों हेतु विभिन्न ब्याज दरों पर ब्याज धारित ऋण की स्वीकृति प्रदान करती है।

ऋण नियत अवधि की समान किश्तों में एक निश्चित समय में निर्धारित दर से ब्याज सहित वसूली योग्य होता है। ऋणी को ऋण स्वीकृति आदेश में उल्लेखित प्रसंविदा तथा शर्तों पर मूल तथा ब्याज राशि के पुनः भुगतान के तरीकों तथा प्रक्रिया का भी विवरण होता है।

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में 'ब्याज प्राप्तियाँ' पर एक समीक्षा (अनुच्छेद 7.2) पहले भी सम्मिलित की गई थी। समीक्षा के निष्कर्षों पर जन लेखा समिति ने (जुलाई 2006) विचार विमर्श कर लिया एवं उस पर सिफारिशें आना अपेक्षित था।

7.2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

1 अप्रैल 2001 को बकाया ऋणों के विवरण के साथ साथ आठ विभागों[1] द्वारा वर्ष 2001-02 से 2004-05 के लिए स्वीकृत किये गये ऋणों से संबंधित लेखों तथा अभिलेखों की मापक जांच मई 2005 तथा मार्च 2006 के मध्य में की गई तथा ऋण एवं अग्रिम की स्थिति जो कि संबंधित अवधि में राज्य सरकार के वित्त लेखों में दर्शाई गई है, की भी समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा की मुख्य अभ्युक्तियों का उल्लेख अनुवर्ती अनुच्छेदों में किया गया हैः

7.2.3 ब्याज का संचयन

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवदेन (राजस्व प्राप्तियाँ) राजस्थान सरकार में दिखाया गया कि चार निगमों को तीन विभागों द्वारा स्वीकृत ऋण एवं अग्रिमों पर देय ब्याज 52.50 करोड़ रुपये था। संबंधित विभागों ने न तो बकाया देयता की वसूली हेतु कोइ मांग पत्र जारी किया और न ही वसूली के लिए कोई

[1] कृषि, पशुपालन, कमाण्ड एरिया डवलपमेंट, सहकारिता, ऊर्जा, वित्त, उद्योग एवं शहरी विकास तथा आवासन।

कार्यवाही की जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2005 को 70.50 करोड़ रुपये की राशि का नीचे दिये विवरण अनुसार संचय हुआः-

(लाख रुपयों में)

निगम का नाम	ऋण की अवधि	स्वीकृति राशि	पुनः भुगतान किया ऋण	चुकाया गया ब्याज	31 मार्च 2005 को बकाया	
					ऋण	ब्याज
राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम	1987-88 से 1992-93	1,380	150	-	1,230	1,770
राजस्थान जन जाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ	1992-93 से 2000-01	600	600	-	-	588
राजस्थान भूमि विकास निगम	1976-77 से 1992-93	2,300	155	-	2,145	3,372
राजस्थान हैण्डलूम विकास निगम	1985-86 से 2004-05	1,653	94	-	1,559	1,320
योग		**5,933**	**999**	-	**4,934**	**7,050**

शहरी विकास एवं आवासन विभाग

7.2.4 ब्याज की अवसूली

सचिव, शहरी विकास एवं आवासन (यू.डी.एच.) विभाग द्वारा संधारित ऋणों एवं ब्याज अग्रिम रजिस्टर की जांच से ज्ञात हुआ कि 15 नगरपालिकाओं[2]/शहरी सुधार केन्द्रों के विकास के लिए अवधि फरवरी 1994 से जुलाई 2000 के दौरान 15.50 प्रतिशत से 16.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर कुल 1.83 करोड़ रुपये के छः ऋण वितरित किये गये। मूल ऋण राशि की वसूली के लिए प्रारंभिक पांच वर्षों के ऋण स्थगन अवधि के साथ 25 वार्षिक किश्तों में ऋण को ब्याज के साथ पुनर्भुगतान किया जाना था ऋण स्थगन अवधि ऋणों पर देय ब्याज के संग्रहण के लिए नहीं थी जो कि वार्षिक रूप से वसूल किया जाना था लेकिन न तो इसकी मांग की गई न ही ऋणियों द्वारा चुकाया गया। 31 मार्च 2005 को भुगतान योग्य देय मूल ऋण व ब्याज क्रमशः राशि 47 लाख रुपये एवं 2.85 करोड़ रुपये वसूली योग्य थे। इस में से ब्याज राशि 1.31 करोड़ रुपये अवधि 2001-02 से 2004-05 तक से संबंधित थी।

7.2.5 कलक्टरों द्वारा आवंटित आवास ऋणों पर ब्याज

विभिन्न कलक्टरों द्वारा जारी स्वीकृति आदेशों की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार मूल ऋण राशि के साथ आवास ऋणों पर ब्याज वार्षिक रूप से वसूली योग्य था।

संबिंधत कलक्टर कार्यालयों द्वारा संधारित ब्राडशीट एवं स्वीकृति आदेशों की जाचं में उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2001-02 से 2004-05 के दौरान संबंधित कलक्टरों के जरिये

[2] भरतपुर, चाकसू, देवगढ़, दौसा, देवली, धौलपुर, फतेहनगर, झुन्झुनु, किशनगढ़, निम्बाहेड़ा, पुष्कर राजसमन्द, रतनगढ़, सरदारशहर एवं विजयनगर।

तीन जिलों में 87 व्यक्तियों को निम्न आय समूह (एल.आई.जी.) एवं मध्यम आय समूह आवास स्कीम (एम.आई.जी.एच.) के तहत भवन निर्माण के लिए यू.डी.एच. द्वारा 1.18 करोड़ रुपये के आवास ऋण स्वीकृत किये गये। मूलधन एवं ब्याज निर्धारित समान वार्षिक किश्तों में वसूली योग्य था। लेकिन मूलधन एवं ब्याज राशि क्रमशः 66 लाख रुपये एवं 80 लाख रुपये तीन जिलों में मार्च 2005 को वसूली हेतु बकाया रहे।

इसके अतिरिक्त 11 अन्य जिलों में एल.आई.जी.एच. एवं एम.आई.जी.एच. स्कीम में भवनों के निर्माण के लिए यू.डी.एच. द्वारा अवधि 1955 से 2000 के दौरान स्वीकृत ऋण राशि 6.37 करोड़ रुपये 31 मार्च 2005 को बकाया थे। त्रणों एवं ब्याज के बकाया के वर्षवार विवरण संधारित नहीं किये गये थे। यह ज्ञात हुआ कि कलक्टरों से ऋण एवं ब्याज बकाया की स्थिति की जानकारी के लिए प्रशासनिक विभाग द्वारा कोई विवरण पत्र निर्धारित नहीं किया गया था। 31 मार्च 2005 को इन ऋणों के विरूद्ध प्रभार्य ब्याज 2.86 करोड़ रुपये अवसूल रहा।

पंचायती राज विभाग

7.2.6 आवासन एवं अन्य ऋणों पर ब्याज

निदेशक, पंचायती राज विभाग के अभिलेखों की जांच में उद्घाटित हुआ कि स्वीकृत ऋणों एवं उन पर समय समय पर देय ब्याज की वसूली की निगरानी के लिए विभाग ने कोई भी अभिलेख संधारित नहीं किया था।

इसके अतिरिक्त ज्ञात हुआ कि विभान ने 1994-95 से बकाया ऋणों पर देय ब्याज की न तो कोई गणना की और न ही मांग की। पिछले 10 वर्षों में समय समय पर प्रभार्य 17.79 करोड़ रुपये के विरूद्ध मूल राशि पर 1.67 करोड़ रुपये एवं 17.77 करोड़ रुपये के ब्याज के विरूद्ध 6 लाख रुपये की अल्प राशि ही वसूल की गई। इस प्रकार, 31 मार्च 2005 को मूल राशि 16.12 करोड़ रुपये एवं ब्याज 17.71 करोड़ रुपये बकाया रहे।

सहकारिता विभाग

7.2.7 ब्याज की अवसूली

सहकारी समितियों को ऋण स्वीकृति के लिए सहकारिता विभाग एक प्रशासनिक विभाग है। बकाया ऋणों एवं उस पर देय ब्याज की समय पर वसूली पर निगरानी एवं अभिलेखों के संधारण के लिए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां उत्तरदायी था।

यह ज्ञात हुआ कि 360 सहकारी समितियों में से 245 उन पर देय ऋण एवं ब्याज का भुगतान नहीं कर रही थी। 31 मार्च 2002 को ब्याज की बकाया वसूली योग्य राशि 42.73 करोड़ रुपये थी जो कि 31 मार्च 2005 को बढ़ कर 78.60 करोड़ रुपये हो गयी। मार्च 2002 के अंत में बकाया में 35.87 करोड़ रुपये की वृद्धि जो कि बकाया का 49 प्रतिशत है इसका सूचक था कि दोषी सहकारी समितियों से ऋणों की वसूली हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा कठोर प्रयत्न किये जाने आवश्यक थे।

7.2.8 बैंक में राशि पड़ी होने के कारण ब्याज की हानि

एक सहकारी मिल को सहकारिता विभाग द्वारा जनवरी 2001 में दो ऋण क्रमशः राशि 1.90 करोड़ रुपये एवं 66 लाख रुपये वार्षिक ब्याज दर 12 प्रतिशत एवं आठ प्रतिशत पर स्वीकृत किये गये। यह ज्ञात हुआ कि 1.90 करोड़ रुपये में से राशि 26.48 लाख रुपये एक सहकारी बैंक में जून 2002 में इसे सरकारी खाते में जमा कराने तक, अवरूद्ध रही। 26.48 लाख रुपये को 18 महीने के लिए अनियमित अवरोधन के फलस्वरूप राशि 4.77 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त दो ऋणों पर शेष रही राशि 2.30 करोड़ रुपये पर देय ब्याज मार्च 2005 को 99.36 लाख रुपये संगणित किया गया। जिसकी विभाग द्वारा मांग कायमी नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप 4.77 लाख रुपये की हानि के अतिरिक्त 99.36 लाख रुपये ब्याज की अवसूली रही।

7.2.9 ऋणों को अनुदान में परिवर्तित करने के कारण ब्याज की अवसूली

वित्त विभाग (मार्गोपाय) ने अप्रैल 2001 में दो ऊर्जा कंपनियों को 45 करोड़ रुपये के दो लम्बी अवधि के ऋण स्वीकृत किये। ऋण 12.5 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज के साथ 20 वर्षों में पुनर्भुगतान योग्य था। बाद में विभाग ने दिसम्बर 2001 में 50 प्रतिशत ऋण राशि 22.50 करोड़ रुपये को अनुदान में बदल दिया। विभाग ने ऋण के अनुदान में परिवर्तित होने की अवधि तक के लिए उस पर देय ब्याज 1.88 करोड़ रुपये की न तो मांग कायमी की और न ही कम्पनियों ने राशि जमा कराई जिसके परिणामस्वरूप 1.88 करोड़ रुपये के राजकीय राजस्व की अवसूली हुई।

इसी प्रकार पशुपालन विभाग ने सितम्बर 2001 में राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 4.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की। बाद में नवम्बर 2003 में ऋण को अनुदान में बदल दिया गया। सितम्बर 2001 में जारी स्वीकृति आदेश की निबन्धन एवं शर्तों के अनुसार सितम्बर 2001 में ऋण के जारी होने की अवधि से लेकर नवम्बर 2003 में उसके अनुदान में परिवर्तित होने तक की अवधि के लिए 1.30 करोड़ रुपये ब्याज प्रभार्य था। न तो विभाग ने कोई मांग कायमी की और न ही फेडेरेशन ने कोई राशि जमा कराई परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजकीय राजस्व की अवसूली रही।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने के बाद विभाग ने बताया कि सहायतार्थ अनुदान में वितरण के लिए 2001-02 में कोई प्रावधान नहीं था इसलिए बाद में समायोजन के अधीन यह राशि ब्याज धारित ऋण के रूप में आकस्मिक निधि से जारी की गई थी। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि अप्रैल 2001 एवं सितम्बर 2001 में जारी मूल स्वीकृतियों में ब्याज के भुगतान की विशिष्ट शर्त निर्धारित की हुई थी तथा इस प्रकार ऋण के अनुदान में समायोजन की तिथि तक ब्याज देय था।

उद्योग विभाग

7.2.10 ब्याज की अवसूली

उद्योग विभाग ने नवम्बर 2001 में एक उद्योग को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम लिमिटेड (रीको) के निदेशक के मार्फत राशि 93 लाख रुपये के ऋण के स्वीकृति आदेश जारी किये। स्वीकृति की निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार मूल राशि एवं उस पर ब्याज की संचयी दरों पर तिमाही गणना से 16 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज की वसूली हेतु निदेशक उत्तरदायी था। स्वीकृति यह भी इंगित करती है कि रीको द्वारा देयताओं की अवसूली की स्थिति में राज्य सरकार देय बकाया की वसूली के बारे में उसके स्वयं के स्तर पर उचित निर्णय लेगी।

इकाई ने मूल राशि के साथ ही मार्च 2005 को देय ब्याज 64 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया। पिछले पांच वर्षों के दौरान न तो रीको ने और न ही उद्योग विभाग ने राशि वसूली हेतु कोई कदम उठाये। अभिलेखों से यह ज्ञात नहीं हो सका कि प्रशासनिक विभाग यथा उद्योग विभाग द्वारा ऋण एवं उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु दोषियों को या रीको को कभी भी कोई नोटिस जारी किया गया हो।

7.2.11 दोषपूर्ण स्वीकृति आदेशों के कारण ब्याज की हानि

ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि, ब्याज की दर/विलम्ब से भुगतान के लिए दण्डनीय ब्याज को दर्शाने वाली निबन्धन एवं शर्तों को स्वीकृति में ही शामिल किया जाना चाहिए था।

निदेशक उद्योग विभाग के अभिलेखों की मापक जांच में उद्घाटित हुआ कि 1.92 करोड़ रुपये का एक ऋण जून 2003 में स्वीकृत हुआ। स्वीकृति आदेश में ऋण की स्वीकृति हेतु पुनर्भुगतान अनुसूची एवं निबन्धन तथा शर्तों को नहीं दर्शाया गया था। फलस्वरूप ब्याज की न तो गणना की गई और न ही मांग कायमी की गई।

7.2.12 वित्त विभाग के साथ समन्वय के अभाव के कारण ब्याज की हानि

उद्योग विभाग ने रीको को 25.14 करोड़ रुपये[3] के ऋणों के चार स्वीकृति आदेश जारी किये। तथापि बाद में वित्त विभाग ने शर्त लगाई कि व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खाते से निधियों की निकासी हेतु उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। ऋणों को बिना ब्याज धारित व्यक्तिगत खाते में जमा करा दिया गया। इन ऋणों में से 6.25 करोड़ रुपये पी.डी. खाते में मई 2002 तक रहे जबकि 18.89 करोड़ रुपये पी.डी. खाते में मार्च 2003 तक रहे। रीको द्वारा सरकार को यह राशि उन तिथियों को चुका दी जिस दिन यह उपयोग के लिए खोल दिय गये थे। इस प्रकार ऋणों को पी.डी. खाते में रखने के फलस्वरूप राशि 13.88 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई।

[3] (24.26 करोड़ रुपये 25 सितम्बर 1998 को तथा 0.88 करोड़ रुपये 31 मार्च 2000 को)।

7.2.13 उपसंहार

ब्याज प्राप्तियाँ राज्य की कर इतर प्राप्तियों का एक मुख्य भाग है इसके लिए आवश्यक है कि सरकार ब्याज की वसूली एवं शीघ्र निर्धारण को सुनिश्चित करने हेतु एक उचित प्रणाली एवं प्रक्रिया रखे।

प्रशासनिक विभाग समय समय पर प्राप्ति योग्य ब्याज की वसूली में असफल रहे जो कि स्पष्टतः कार्य प्रणाली की असफलता का सूचक है। ब्याज की वसूली सुनिश्चित करने की अनुश्रवण प्रणाली की कमी के कारण राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई। सरकार को राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण में तत्परता को सुनिश्चित करने हेतु निकास मार्गों को बन्द करना होगा।

ब. वन विभाग

7.3 उच्चतम निविदा को स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण राजस्व हानि

राजस्थान तेन्दु पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के अनुसार तेन्दु पत्तों का निस्तारण निविदाओं के द्वारा किया जावेगा। प्रत्येक तेन्दु पत्ता इकाई (इकाई) के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) द्वारा तेन्दु पत्ता बिक्री एवं व्ययन समिति के साथ परामर्श के बाद किया जाता है। उच्चतम बोलीदाता की निविदा, यदि आरक्षित मूल्य से कम नहीं है तो समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है। जहाँ पर बोली आरक्षित मूल्य से कम हो उस इकाई के तेन्दु पत्ता का निस्तारण निलामी द्वारा किया जाता है और जो निलामी के बाद भी बिक्री नहीं की जा सकी उन्हें विभागीयतौर पर बेचा जाता है। सरकार ने (नवम्बर 1991) तय किया कि जहाँ निलामी बोली आरक्षित मूल्य से कम है ऐसे मामले में पी.सी.सी.एफ. प्राप्त उच्चतम मूल्य को सरकार के अनुमोदन के लिए सिफारिश करेगा।

झालावाड़ में 2003-05 की अवधि में यह ज्ञात हुआ कि सात इकाइयों[4] में वर्ष 2003-04 व 2004-05 के दौरान तेन्दु पत्ते के संग्रहण के लिए उच्चतर बोलियों को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया कि कुल 7.28 लाख रुपये की प्रस्तावित बोली आरक्षित मूल्य से कम थी एवं तेन्दु पत्ते का संग्रहण विभागीय तौर पर 5.33 लाख रुपये के व्यय साथ किया गया। विभागीय तौर पर तेन्दु पत्ते की बिक्री से 5.62 लाख रुपये प्राप्त हुए जिसके फलस्वरूप शुद्ध प्राप्ति नीलामी बोली में प्रस्तावित 7.28 लाख रुपये के विरूद्ध 0.29 लाख रुपये की हुई। इसके परिणामस्वरूप 6.99 लाख रुपये की हानि हुई।

यह सितम्बर 2005 में ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने बताया कि बोली को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह आरक्षित मूल्य से कम थी। तथ्य यह इंगित करते हैं कि या तो आरक्षित मूल्य का गलत निर्धारण हुआ या तेन्दु पत्ते नीलामी के प्रयासों में कमी रही

[4] अमेठा, आसलपुर, भालता, देवरी चंचल, गेहूँ खेड़ी, कूकलपाड़ा एवं रीछ्वा।

प्राप्त कीमत पर नीलामी की स्वीकृति हेतु मामला सरकार को भेजने हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये।

मामला सरकार को मई 2006 में सूचित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

स. खान एवं भूविज्ञान विभाग

7.4 सरकार के अनुदेशों की पालना नहीं करना

मई 1962 में राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदेशों में निर्दिष्ट किया कि यदि एक बोलीदाता जिसको ठेका आवंटन किया गया हो वह उसके निष्पादन में दोषी पाया जाता है तो खान विभाग उससे ठेका हानि[5] वसूल कर सकेगा बशर्ते 'नीलामी नोटिस' में ही ऐसा एक उप वाक्य शामिल किया गया हो। उसके पश्चात दोषी बोलीदाता द्वारा कराईगई जमाओं को जब्त किया जा सकेगा। जब्त की गई जमा राशियों से अधिक यदि कोई हानि हो तो दोषी ठेकेदार से वसूली योग्य होंगी।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि खान विभाग द्वारा अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका (ई.आर.सी.सी.)[6] स्वीकृति हेतु आमंत्रित निविदाओं हेतु प्रकाशित निविदा नोटिसों में उक्त शर्त का प्रावधान नहीं किया गया था। राजसमंद में निर्गमित खनिज मारबल के लिए ई.आर.सी.सी. स्वीकृति हेतु अवधि जुलाई 2000 एवं जून 2005 के मध्य राजसमन्द जिले में स्वीकृत लीज क्षेत्र से लगातार तीन वर्षो के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी। उच्चतम निविदादाता जिन्हें ठेके दिया जाना स्वीकृत हुआ, ठेकों के निष्पादन कराने में दोषी रहे तथा इसलिए पुनः निविदाएं मांगी गई एवं अतंतः पश्चातवर्ती निविदादाताओं को निम्न दरों पर स्वीकृत किये गये। आमंत्रित निविदा नोटिसों में उक्त शर्त के अभाव में कम प्राप्त राशि को हानि के रूप में दोषियों से वसूल नहीं किया जा

---

[5] दोषी ठेकेदारों द्वारा प्रस्तावित राशि एवं उसके दोषी होने के परिणामस्वरूप पुनः नीलामी की दशा में पश्चातवर्ती नीलामी से प्राप्त राशि का अन्तर शामिल है।

[6] विशेष खनिज एवं क्षेत्र के लिए वार्षिक स्थिर भाटक से अधिक अधिशुल्क संग्रहण के लिए दिया गया एक ठेका एवं ठेकेदार सरकार द्वारा ठेके की शर्तो के अनुसार एक नियत राशि का भुगतान करेगा।

सका। इसके परिणामस्वरूप नीचे दिये वर्णनानुसार अमानत राशि 1.20 करोड़ रुपये के समायोजन के बाद 92.08 करोड़ रुपये की राशि के राजस्व की हानि हुई:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	बोली/ नीलामी की दिनांक	प्रस्तावित राशि (वार्षिक)	जब्त अमानत राशि	पुनः निविदा की दिनांक	पुनः निविदा में स्वीकृत वार्षिक ठेका राशि	वार्षिक राशि में हानि/कमी	वार्षिक ठेका अवधि	राशि
1.	3.7.2000	43.00	0.05	15.2.2001	24.51	18.49	31.12.2001 से 30.06.2003	27.71
2.	10.3.2003	48.00	0.25	27.6.2003	36.52	11.48	19.07.2003 से 29.06.2005	22.33
3.	21.3.2005	71.00	0.90	24.6.2005	45.00	26.00	02.08.2005 से 31.03.2007	43.24
योग			**1.20**					**93.28**
जब्त अमानत राशि कम की								**1.20**
शुद्ध हानि								**92.08**

यह फरवरी 2006 में ध्यान दिलाये जाने के बाद खनि अभियन्ता, राजसमन्द-I ने जून 2006 में बताया कि ठेकेदारों में प्रतिस्पर्धा के कारण बोली राशि बढ़ गई थी एवं इस प्रकार प्रस्तावित बोली राशि वास्तविक नहीं थी। बोलीदाता को दोषी घोषित किये जाने के बाद अमानत राशि को नियमानुसार जब्त किया गया था। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि विभाग ने सरकारी अनुदेशों की पालना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप भारी हानि हुई।

7.5 ठेका राशि के कम संशोधन से राजस्व हानि

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों (आर.एम.एम.सी.) के अनुसार ठेकेदार द्वारा प्रतिवर्ष संदत्त की जाने वाली रायल्टी ठेका स्वीकृति हेतु अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी। तथापि, यदि सरकार द्वारा रायल्टी की दरें बढ़ा दी जाती हैं तो ठेकेदार संविदा की शेष अवधि के लिए ऐसी वृद्धि की तारीख से बढ़ी हुई संविदा राशि संदाय करने का दायी होगा। खनिज संगमरमर की अधिशुल्क की दरें दिनांक 25 मई 2004 से 125 रुपये प्रति मैट्रिक टन से बढ़ाकर 165 रुपये प्रति मैट्रिक टन की गई थी तथा बाद में दिनांक 12 जून 2004 से कम करके 145 रुपये प्रति मैट्रिक टन की गई।

राजसमंद प्रथम में फरवरी 2006 में देखा गया कि विभाग 43.10 करोड़ रुपये वार्षिक अधिशुल्क संग्रहण कर रहा था जिसमें से 6.58 करोड़ रुपये पट्टेधारियों द्वारा संदत्त स्थिर भाटक के पेटे समायोजित किया जाना था एवं 36.52 करोड़ रुपये अवधि जुलाई 2003 से मार्च 2005 के लिए ठेका राशि थी। अधिशुल्क की दरों में संशोधन के कारण कुल वार्षिक अधिशुल्क 25 मई 2004 से 56.89 करोड़ रुपये एवं 12 जून 2004 से 49.99 करोड़ रुपये बनते थे। पट्टेधारियों द्वारा संदत्त स्थिर भाटक के समायोजन के बाद संशोधित वार्षिक ठेका राशि क्रमशः 50.31 करोड़ रुपये एवं 43.41 करोड़ रुपये होनी चाहिए थी। इसके बजाय विभाग ने ठेका राशि क्रमशः 48.21 करोड़ रुपये एवं 42.36

करोड़ रुपये संशोधित की जिसके परिणामस्वरूप 25 मई 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि के लिये 94.85 लाख रुपये की हानि हुई।

मामला विभाग को मार्च 2006 में ध्यान में लाया गयां एवं सरकार को मार्च 2006 में प्रतिवेदित किया गया उनका उत्तर अपेक्षित है (जुलाई 2006)।

7.6 विकास प्रभारों की अवसूली

सरकार के फरवरी 2004 के निर्देशों की पालना में पट्टेधारी द्वारा लाइमस्टोन एस.एम.एस.[7] ग्रेड के निर्गमन एवं उत्खनन पर विकास प्रभार अप्रैल 2004 से 30 रुपये प्रति टन की दर से वसूली योग्य थे।

जैसलमेर में जनवरी 2006 में देखा गया कि जुलाई 2004 से मार्च 2005 की अवधि के दौरान विभिन्न उद्योगों को निर्गमित एवं उत्खनित 68,017 मैट्रिक टन एस.एम.एस. ग्रेड लाइमस्टोन पर विकास प्रभार भुगतान किये जाने योग्य थे जो न तो पट्टेधारी द्वारा जमा करायेगये और न ही विभाग द्वारा मांग की गई। त्रुटि के परिणामस्वरूप 20.41 लाख रुपये के विकास प्रभार की अवसूली रही।

मामला जनवरी 2006 में विभाग के ध्यान में लाया गया एवं सरकार को मार्च 2006 में सूचित किया गया उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (जुलाई 2006)।

7.7 लोह अयस्क (आयरन ओर) पर अधिशुल्क की कम वसूली

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) (एम.एम.आर.डी.) अधिनियम में प्रावधान है कि खनन पट्टा धारक उसके द्वारा हटाये गये या उपभोग किये गये खनिज के संबंध में अधिशुल्क का भुगतान करेगा। आयरन ओर के संबंध में अधिशुल्क की दरें खनिज में उपलब्ध आयरन अंश के आधार पर निर्धारित होती हैं।

नवम्बर 2005 में खनि अभियन्ता, जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच में उद्घाटित हुआ कि एक खनन पट्टा आयरन ओर का फरवरी 1979 से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया था फरवरी 1999 से फरवरी 2004 की अवधि के लिए अधिशुल्क का निर्धारण मई 2002 एवं सितम्बर 2004 के मध्य आयरन ओर में आयरन अंश के सत्यापन के बिना किया गया। पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत दो नमूनों की रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट जो विभाग के पास उपलब्ध थी के आधार पर आयरन अंश 65 प्रतिशत से अधिक था। तथापि, 62 प्रतिशत से कम आयरन अंश की रायल्टी वसूल कर ली गई थी। वसूल किये गये अधिशुल्क 4.04 लाख रुपये के विरूद्ध 14.25 लाख रुपये निर्धारण योग्य थे।

[7] स्टील मैल्टिंग सोपः लाइम स्टोन जिसमें सिलिका की मात्रा 1.5 प्रतिशत से कम हो।

आयरन अंश का सत्यापन नहीं करने की चूक के परिणामस्वरूप 10.21 लाख रुपये के अधिशुल्क की हानि हुई।

यह दिसम्बर 2005 में ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने मार्च 2006 में बताया कि पट्टेधारी को जनवरी 2006 में राशि जमा कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।

मामला सरकार को जनवरी 2006 में सूचित किया गया; उनका उत्तर अपेक्षित था (जुलाई 2006)।

7.8 खदान अनुज्ञप्ति शुल्क का कम आरोपण

बिजौलिया में जुलाई 2001 से 60X30 वर्ग मीटर प्लाट हेतु क्वारी के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क 8,000 रुपये से 10,000 रुपये संशोधित किया गया था। बड़े प्लाटों के लिए शुल्क निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग (डी.एम.जी.) द्वारा अप्रैल 1998 में दिये निर्देशानुसार आनुपातिक आधार पर निर्धारित किया जाना था।

बिजौलिया में यह देखा गया कि खातेदारी भूमि में नवम्बर 2002 एवं जून 2004 के मध्य स्वीकृत खदान अनुज्ञप्तियों के 62 मामलों में अनुज्ञप्ति शुल्क 10,000 रुपये के स्थान पर संशोधन से पूर्व की दर 8,000 रुपये वसूल किये गये थे। इस चूक के परिणामस्वरूप 77.77 लाख रुपये के शुल्क का कम आरापेण हुआ।

मामला सरकार को अक्टूबर 2005 एवं मार्च 2006 में सूचित किया गया; उनका उत्तर अपेक्षित था (जुलाई 2006)।

7.9 अधिशुल्क एवं ब्याज की अवसूली

अप्रैल 2000 में जारी सरकारी निर्देशों में प्रावधान था कि सक्षम प्राधिकारी संप्रेषित खनिज के संबंध में मासिक आधार पर अधिशुल्क की संगणना कर मांग कायमी करें एवं उसकी वसूली के लिए कार्यवाही प्रारंभ करे। आगे खनिज रियायत नियम (एम.सी.आर.) 1960 के अन्तर्गत सरकार को देय अधिशुल्क के भुगतान हेतु नियत दिनांक की समाप्ति के साठवें दिन से 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभार्य था।

जयपुर में नवम्बर 2005 में यह देखा गया कि एक खनन पट्टा घीया पत्थर (सोपस्टोन) के लिए एक फर्म को मई 1981 में स्वीकृत किया गया एवं यह मई 2001 में नवीनीकरण हुआ तथा मई 2003 में बन्द कर दिया गया। इसी दौरान पट्टेधारी ने मई 2002 से मई 2003 के दौरान 78,498.41 मैट्रिक टन खनिज सोपस्टोन का संप्रेषण किया। पट्टेधारी ने उसके द्वारा भुगतान योग्य 1.07 करोड़ रुपये के विरूद्ध 45.78 लाख रुपये अधिशुल्क के जमा कराये लेकिन विभाग ने न तो गणना की और न ही मांग

नोटिस जारी किया। इसके परिणामस्वरूप 61.48 लाख रुपये अधिशुल्क की कम वसूली हुई। इसके अतिरिक्त अधिशुल्क के देरी से एवं कम जमा पर राशि 40.57 लाख रुपये ब्याज भी वसूली योग्य था।

यह नवम्बर 2005 में ध्यान में लाये जाने पर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया एवं इस पर अधिशुल्क एवं ब्याज राशि पेटे 1.63 करोड़ रूपये की मांग कायमी कर दी जिसमे से 21 लाख रुपये पट्टेधारी द्वारा जमा करा दिये गये।

मामला जनवरी 2006 में सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

7.10 बिना रवन्नाओं के खनिज संप्रेषण से राजस्व हानि

ई.आर.सी.सी. के करार के अनुसार ठेकेदार केवल पट्टेधारी द्वारा जारी मान्य रवन्ना[8] धारित वाहनों से ही राशि संग्रहण कर सकेगा। बिना रवन्ना के खनिज ले जाने वाले वाहनों के मामले में ठेकेदार ऐसे वाहनों को खनि अभियन्ता को सुपुर्द करेगा। अनाधिकृत खनिज के संप्रेषण के मामले में विभाग खनिज के अधिशुल्क का 10 गुणा वसूली का अधिकारी होता है।

उदयपुर में सितम्बर 2005 में यह देखा गया कि तहसील सराड़ा एवं गिर्वा के लिए अप्रैल 2004 से मार्च 2006 तक की अवधि का खनिज संगमरमर संप्रेषण हेतु ई.आर.सी.सी. ठेका एक फर्म को स्वीकृत किया गया। अप्रैल 2004 एवं जुलाई 2004 के मध्य की अवधि के लिए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत अधिशुल्क के 'रिटर्न' में उद्घाटित हुआ कि बिना रवन्ना के खनिज ले जाने वाले 199 वाहनों से भी अधिशुल्क वसूली कर ली गई। ठेकेदार ने इन वाहनों को विभाग द्वारा उच्च दर पर अधिशुल्क आरोपण हेतु खनि अभियन्ता को सुपुर्द नहीं किया जसके परिणामस्वरूप खनिज के अनाधिकृत संप्रेषण के रूप में 69.25 लाख रुपये की अवसूली हुई।

मामला विभाग एवं सरकार को नवम्बर 2005 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

7.11 अधिशुल्क का कम निर्धारण

आर.एम.एम.सी.आर. में प्रावधान है कि पट्टेदार विभागीय मुद्रांकित रवन्ना के बिना खान से खनिज को ना तो हटायेगा अथवा निर्गमन करेगा या उपयोग में लायेगा। मार्च 2002

[8] रवन्ना-खानों से खनिज के निर्गमन या हटाने के लिए डिलीवरी चालान।

से प्रवर्तित संगमरमर नीति के अनुसार सभी मौजूदा पट्टेधारियों के लिए इस नीति के आरम्भ होने की दिनांक से एक वर्ष के अन्दर खनन योजना प्रस्तुत करना आवश्यक था।

जयपुर में, नवम्बर 2005 में यह देखा गया कि संगमरमर के लिए एक खनन पट्टा एक पट्टेधारी को जून 1998 में 20 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। पट्टेधारी द्वारा प्रस्तुत खनन योजना जो कि अतिरिक्त निदेशक (भू विज्ञान) द्वारा अनुमोदित थी, में उद्घाटित हुआ कि पट्टेधारी ने जुलाई 2004 तक 6,456.996 मैट्रिक टन संगमरमर ब्लॉक एवं 22,599.486 मैट्रिक टन खण्डों[9] का उत्खनन किया। तथापि अधिशुल्क निर्धारण अभिलेखों के अनुसार खनि अभियन्ता ने जुलाई 2004 तक 132 मैट्रिक टन संगमरमर ब्लॉक एवं 600 मैट्रिक टन खण्डों पर निर्धारण किया। इस प्रकार 6,324.996 मैट्रिक टन संगमरमर ब्लॉक एवं 21,999.486 मैट्रिक टन खण्डा के संबंध में 16.71 लाख रुपये के अधिशुल्क का कम निर्धारण हुआ।

मामला सरकार को जनवरी 2006 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

7.12 अनाधिकृत उत्खनन के कारण राजस्व हानि

प्रधान खनिज

खनिज रियायत नियम (एम.सी.आर.) के अन्तर्गत यदि कोई खनिज जो कि पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टा क्षेत्र में पाया जाता है तो पट्टाधारक ऐसे खनिज को न तो निकालेगा और न ही निस्तारित करेगा। सरकार के आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 1999 के अनुसार खनिज जो पट्टे में सम्मिलित नहीं है, का निर्गमन करने पर निर्गमित खनिज के मूल्य के रूप में शास्ति एवं उस पर देय अधिशुल्क प्रभार्य होता है। खनिज तांबा एवं चांदी पर संदेय अधिशुल्क मूल्यानुसार प्रभार्य है।

7.12.1 राजसमंद में यह देखा गया कि एक खनन पट्टा मार्च 1970 में एक कंपनी को खनिज लेड एवं जिंक के उत्खनन हेतु मई 1970 से 20 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया। पट्टा मई 1990 से 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया एवं आगे मई 2000 से 10 वर्ष के लिए केवल खनिज लेड एवं जिंक हेतु बढ़ा दिया गया। पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न की जांच में उद्घाटित हुआ कि अन्य खनिज अर्थात तॉबा मूल्य 14.17 करोड़ रुपये एवं चांदी मूल्य 21.77 करोड़ रुपये के सितम्बर 2000 एवं मार्च 2005 के मध्य नियमित रूप से निर्गमित एवं उत्पादित किये गये जो कि पट्टा करार में सम्मिलित नहीं किये गये थे। अतः विभाग द्वारा उनका मूल्य 35.94 करोड़ रुपये वसूल किया जाना अपेक्षित था।

[9] खण्डा-संगमरमर जिसका आयाम 35 से.मी. से अधिक ना हो।

यह ध्यान दिलाये जाने पर खनि अभियन्ता ने मई 2006 में बताया कि पट्टे में तांबा (चाल्कोपाइराइट), चांदी एवं केडमियम को सम्मिलित करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। तथापि, पूर्व में उत्खनित खनिज के मूल्य की वसूली पर जवाब मौन था।

चूक को विभाग एवं सरकार के ध्यान में मई 2006 में लाया गया उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

7.12.2 एम.सी.आर. में प्रावधान है कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी प्रयोगशाला जांच हेतु खनिज की एक निश्चित मात्रा निशुल्क एवं निश्चित मात्रा अधिशुल्क के भुगतान पर उत्खनन करने के लिए अधिकृत है। अनुमति से अधिक की मात्रा में खनिज उत्खनन को अनाधिकृत खनन माना जावेगा एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तिधारी एम.एम.आर.डी. अधिनियम के प्रावधानानुसार ऐसे खनिज के मूल्य के भुगतान के लिए दायी होगा।

उदयपुर में सितम्बर 2005 में यह देखा गया कि निदेशक खान एवं भू विज्ञान (डी.एम.जी.) ने 11 मई 2004 एवं 29 मार्च 2005 के मध्य 15 पट्टेधारियों को 20 से 30 वर्षों की अवधि के लिए खनिज उत्खनन के लिए 15 खनन पट्टे स्वीकृत किये। विभाग के पास उपलब्ध भूवैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रतिवेदनों की जांच में उद्घाटित हुआ कि पट्टेधारियों ने 1.35 करोड़ रुपये मूल्य का खनिज अनुमत्य सीमा से अधिक उत्खनित किया जिसके परिणामस्वरूप नीचे वर्णनानुसार राजस्व हानि हुईः-

क्र. सं.	खनिज का नाम	अधिकृत मात्र (मैट्रिक टन)	उत्खनित मात्रा (मैट्रिक टन)	अधिक/अनाधिकृत मात्रा उठाई गई (मैट्रिक टन)	दर प्रति मैट्रिक टन	खनिज का मूल्य (लाख रुपयों में)
1.	फेल्सपार	440	61,404.5	60,964.5	114.00	69.50
2.	क्वार्टज	500	40,686.5	40,186.5	141.60	56.90
3.	केलसाइट	51	2712	2,661.0	312.00	8.30
	योग					**134.70**

यह ध्यान दिलाये जाने के बाद, अतिरिक्त निदेशक (खान) ने अक्टूबर 2005 में बताया कि आपत्तियों पर वरिष्ठ तकनीकी अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की विस्तृत जांच आवश्यक है। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि विभाग के पास इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रासंगिक तकनीकी प्रतिवेदन उपलब्ध थे एवं उसे वसूली की कार्यवाही करनी चाहिए थी।

मामला सरकार को नवम्बर 2005 में सूचित किया गया उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

अप्रधान खनिज

7.12.3 आर.एम.एम.सी. नियमों के अनुसार निर्माण ठेकेदारों द्वारा कार्य में उपयोग होने वाले खनिजों के लिए संबंधित खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता से अग्रिम में अल्पावधि अनुमति पत्र (एस.टी.पी.) प्राप्त करना होता है। यदि एस.टी.पी. धारक

एस.टी.पी. में अधिकृत मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा में उत्खनन करता है एवं खनिज ले जाता है तो एस.टी.पी. में अधिकृत मात्रा से ऊपर एवं अधिक उत्खनित एवं हटाई गई मात्रा को अनाधिकृत उत्खनन माना जावेगा एवं अनुज्ञप्तिधारक ऐसे अधिक खनिज उत्खनन के मूल्य के भुगतान के लिए दायी होगा।

सहायक खनि अभियन्ता बालेसर (जोधपुर) एवं जालौर के अभिलेखों से जनवरी 2005 एवं अगस्त 2004 में उद्घाटित हुआ कि संबंधित निर्माण विभागों द्वारा छः ठेकेदारों को रोड़/बांध निर्माण के लिए छः निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये। सहायक खनि अभियन्ताओं द्वारा उपरोक्त ठेकेदारों को एस.टी.पी. जारी किये थे। निर्माण कार्य के पूर्ण होने पर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज की मात्रा से संबंधित निर्माण विभाग द्वारा सहायक खनि अभयन्ताओं को सूचित किया गया। जांच में उद्घाटित हुआ कि ठेकेदारों ने एस.टी.पी. में अधिकृत मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा का उपयोग किया तथा बिना अनुमति के खनिज अर्थ का उपयोग किया। इस खनिज के मूल्य की राशि 50.40 लाख रुपये निम्न विवरणानुसार आरोपण किये जाने योग्य थी:-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्यो की संख्या	खनिज	अनुमत्य मात्रा (मैट्रिक टन)	उपयोग में ली गई मात्रा (मैट्रिक टन)	अधिक उपयोग में ली गई मात्रा (मैट्रिक टन)	प्रति मैट्रिक टन खनिज का मूल्य	वसूली योग्य राशि
1.	स.ख.अ., बालेसर	4	अर्थ	-	2,28,504	2,28,504	16.50	37.70
2.	स.ख.अ., जालौर	2	अर्थ	-	72,901	72,901	15.00	10.94
			मैसनरी स्टोन	2,660	6,192	3,532	50.00	1.76
योग								**50.40**

यह ध्यान में दिलाये जाने के बाद विभाग ने फरवरी 2006 में बताया कि बालेसर के दो मामलों में मिट्टी काटने पर अधिशुल्क भुगतान योग्य नहीं था। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि अर्थ के उपयोग से संबंधित कार्य आदेश में सतह को समतल करने के लिए मिट्टी का फैलाव, कम्पैक्टिंग, तटबन्ध आदि के लिए स्वीकृत किया था तथा अनाधिकृत उत्खनन के लिए खनिज का मूल्य वसूली योग्य था। शेष मामलों में विभाग का तथा सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2006)।

द. जल संसाधन (सिंचाई) विभाग

7.12.4 साधारण मिट्टी पर अधिशुल्क की अवसूली

सितम्बर 2005 से अक्टूबर 2005 के मध्य सिंचाई खण्ड धौलपुर के अभिलेखों की मापक जांच में उद्घाटित हुआ कि अप्रैल 2003 से अगस्त 2003 के दौरान चार[10] मुख्य

[10] 1. राम सागर मुख्य नहर करेरा शाखा तथा राम सागर बांध की सिंगोरिया माइनर, धौलपुर।
2. पार्वती मुख्य नहर तथा पार्वती बाँध की बसेड़ी शाखा, धौलपुर।
3. सैपऊ शाखा, राजौरा खुर्द माइनर तथा पार्वती बाँध की माकरा वितरणिका धौलपुर।
4. उर्मिला सागर बाँध की उर्मिला सागर मुख्य नहर, धौलपुर।

नहरों, माइनर एवं वितरिकाओं के रिहेबिलिटेशन का कार्य राजस्थान जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना (आर.डब्ल्यु.एस.आर.पी.) के अन्तर्गत चार संवेदकों को आवंटित किये गये। 31 मार्च 2006 तक 19,09,209 क्यूबिक मीटर अर्थ वर्क के लिए संवेदकों को भुगतान किया गया। लेकिन संवेदकों से नहरों/माइनर/वितरिकाओं के तटबन्धों में उपयोग में ली गई अर्थ पर अधिशुल्क की वसूली नहीं की गई जिसके परिणामतः संवेदकों से 40.09 लाख रुपये के अधिशुल्क की अवसूली हुई।

यह दिसम्बर 2005 में ध्यान दिलाये जाने के बाद राज्य सरकार ने मार्च 2006 में सूचित किया कि रिहेबिलिटेशन कार्यों में कोई अधिशुल्क भुगतान योग्य नहीं था क्योंकि इन मामलों में नहर के दोनों तरफ उपलब्ध विभागीय अर्थ का उपयोग किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मिट्टी मुर्रम एवं हार्ड सोइल में तटबन्धों हेतु लाई जाकर ठेकेदारों ने कार्य किया एवं इस पर ठेकेदारों द्वारा अधिशुल्क भुगतान योग्य था तथा अधिसूचना में इस हेतु कोई शिथिलता का प्रावधान भी नहीं किया गया।

मामला जून 2006 में सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2006)।

सरोज पुनहानि

जयपुर
दिनांक 15 नवम्बर NOV 2006

(सरोज पुनहानि)
महालेखाकार
(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

वि. ना. कौल

नई दिल्ली
दिनांक 21 NOV 2006

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-अ

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.14)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये अनुच्छेद एवं जो 31 जुलाई 2006 को जन लेखा समिति में चर्चा हेतु बकाया थे, की स्थितिः

कर का नाम		2001-02	2002-03	2003-04	2005-06	योग
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	10	15	7	6	38
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	15	7	6	28
मोटर वाहनों पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	7	7	3	8	25
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	3	8	11
भू-राजस्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	1	2	2	4	9
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	2	2	4	8
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	4	1	4	3	12
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	4	3	7
राज्य उत्पाद शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	5	5	3	4	17
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	-	-	-
भूमि एवं भवन कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	4	3	5	-	12
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	3	5	-	8
खनन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	9	8	5	1	23
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	9	8	5	1	23
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	5	4	2	1	12
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	2	4	2	1	9
योग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	45	45	31	27	148
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	11	32	28	23	94

परिशिष्ट-ब

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.14)

31 जुलाई 2006 को विभागों से बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की स्थितिः

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन
1.	31वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1991-92	4
2.	32वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1992-93	1
3.	36वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1996-97	1
4.	46वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1990-91	1
5.	47वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1984-85 से 1989-90	5
6.	134वां प्रतिवेदन 2002-03	1.7.2003	खान	1997-98	5
7.	135वां प्रतिवेदन 2002-03	1.7.2003	खान	1998-99	8
8.	208वां प्रतिवेदन 2003-04	22.7.2003	खान	1999-2000	10
9.	209वां प्रतिवेदन 2003-04	22.7.2003	खान	2000-01	5
10.	219वां प्रतिवेदन 2003-04	8.8.2003	सिंचाई	1998-99 से 2000-01	9
11.	88वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	बिक्री कर	2001-02	5
12.	89वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	भू-राजस्व	2000-01	3
13.	90वां प्रतिवेदन 2004-05	2.12.2004	भू-राजस्व	2001-02	2
14.	97वां प्रतिवेदन 2004-05	31.3.2005	आबकारी	2000-01	6
15.	98वां प्रतिवेदन 2004-05	31.3.2005	आबकारी	2001-02	5
	योग				**70**